खण्ड-340, अंक-5
बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(6 जून, 1979 ई0)

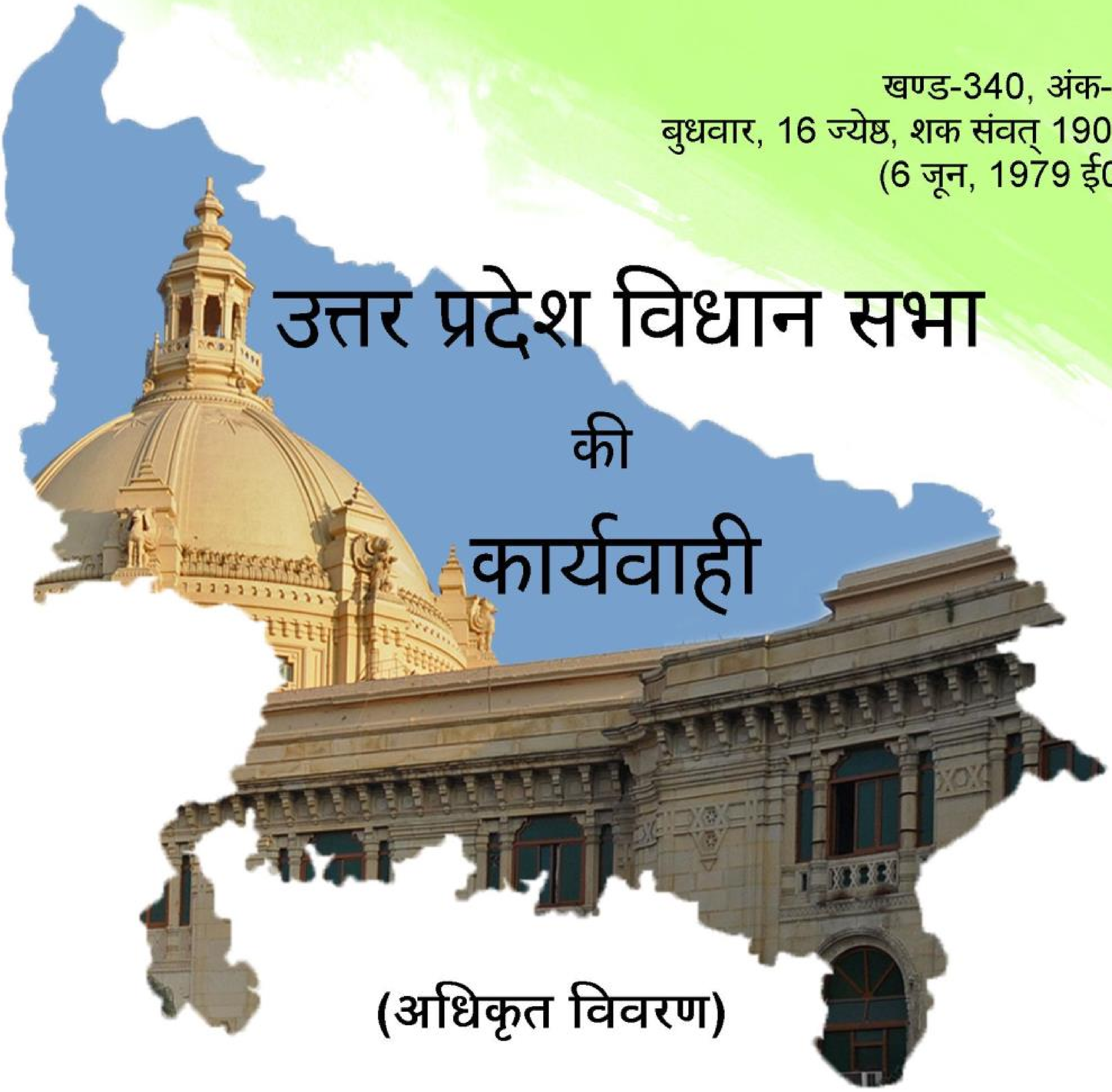

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९८१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-सं०
उपस्थित सदस्य ..	581-584
प्रश्नोत्तर ..	585-624
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	624-625
भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहम्मद अब्दुस्समद, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा तथा श्री रघुराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	625-628
औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	628
जिला गोरखपुर के ग्राम भलूही में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	628
गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम गड़ेरियापुरवा में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	628-629
आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	629
फिरोजाबाद, आगरा में पेयजल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	629-630
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की गृह परीक्षा में नए नियमों के लागू करने से भारी संख्या में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	630-631
जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	631-632
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, श्री शिव वर्मा व महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की पेन्शन बन्द किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	632-634
आज शोक प्रस्ताव को उप मुख्य मंत्री द्वारा न रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	634-635
व्यापारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	635-636
बरेली जिला अस्पताल के डाक्टरों व कर्मचारियों द्वारा श्री चेतराम गंगवार सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार तथा श्री चेतराम गंगवार द्वारा सदन की सदस्यता से त्यागपत्र ..	636-648
सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	648-649
विधायक निवास नं० 1 में पानी न आने की शिकायत ..	649

विषय	पृष्ठ-संख्या
बस्ती जिले की हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी मे अचानक 6 फिट पानी आ जाने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	649–650
उत्तरी भारत नहर और जल विकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (पुरःस्थापित किया गया) ..	650–651
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 67—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 69—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 70—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज), अनुदान संख्या 91—उद्योग विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	651–702
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	702
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	703–711
इंटरमीडिएट, हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में पेपर आउट होने, नकल होने तथा इस सम्बन्ध म व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	711–724
नत्थियां ..	725–730

अवर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---300

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठईराम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खांन, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइयाजी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश श्री (उर्फ राममिलन सिंह)
ओम प्रकाश, सिंह श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, सोनकर श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कांत मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री

जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहन, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ना भाई)
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री

मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव दास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण , श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 6 जून, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के अभिवक्ताओं की सेवा समाप्ति

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जज तथा जिला अधिकारी लखनऊ द्वारा कार्य के प्रति सन्तोषजनक रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी लखनऊ के 5 सरकारी अधिवक्ताओं को इसी सप्ताह सेवा-निवृत्त कर दिया गया जिससे कि न्यायालयों का काम प्रभावित हो गया है ? क्या यह भी सही है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) का तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जाने के बाद अवधि के बीच में ही बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए सेवा-निवृत्त किया गया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ?

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)--

जनपद लखनऊ के पांच सरकारी अधिवक्ताओं को पिछले सप्ताह इसलिए कार्य मुक्त करने के आदेश दिए गए क्योंकि इनकी प्रारम्भिक नियुक्तियां उपयुक्त नहीं थी। इन आदेशों से न्यायालयों के कार्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। उपयुक्त पांच अभिवक्ताओं में सहायक जिला शासकीय अभिवक्ता (दीवानी) भी सम्मिलित हैं। इनके कार्यकाल का नवीनीकरण तीन वर्ष के लिए किया गया था। विधि परामर्शी निदेशिका के प्राविधानों के अनुसार शासन किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी जिला सरकारी अभिवक्ता की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि नियुक्तियां उपयुक्त नहीं थीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या यह सही है कि जो 5 शासकीय अधिवक्ताओं को बिना कारण बताओ नोटिस के हटाया गया है, उनमें से एक श्री बृज बहादुर सक्सेना हैं, जिनकी नियुक्ति हेतु जो पेनल जिलाधिकारी, लखनऊ में था और जो सत्र न्यायाधीश का पेनल था, उसमें उनका प्रथम स्थान था और इसी आधार पर उनकी नियुक्ति जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर की गयी थी और इसके बाद वह साल भर काम भी करते रहे, तो उनको हटा देने में क्या अनर्हता पाई गयी है ? उपयुक्त होना या अनुपयुक्त होना, इसका शासन ने कोई मापदण्ड बनाया है ?

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, जो भी पेनल आता है, उसमें विधि परामर्शी की राय लेना उपयुक्त रहता है और इन मामलों में न्याय विभाग से कोई भी टिप्पणी नहीं मांगी गयी थी और जिला जज के पेनल में श्री बृज बहादुर सक्सेना का तीसरा नम्बर था और कोई कारण यह नहीं बताया गया कि प्रथम जिनका स्थान था, जो सिटिंग थे, उनको क्यों नहीं लिया गया और इन्हीं को क्यों लिया गया।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

घटक के रहे होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो सेशन्स जज का पैनेल था, उसमें उनका नाम था, जो अंग्रेजी में है, मैं उसे पढ़ देता हूं, फिर हिन्दी भी कर दूंगा।

"The District Magistrate shall in consultation with the Sessions Judge constitute a Panel".

जिलाधिकारी, सत्र-न्यायाधीश की परामर्श से एक पैनल बनायेंगे। चूंकि यह जानकारी मांगी गयी थी कि क्या यह सही है कि जो पैनेल था, उसमें श्री बृज बहादुर सक्सेना का पहला नाम था। इसी में श्रीमती उर्मिला तिवारी का तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण भी हो गया था और उसकी संस्तुति जिलाधिकारी, लखनऊ ने भेजी है। उसके अनुसार सरकार के पक्ष में केसेज शतप्रतिशत उनकी बहस के कारण गये, तो उन्हें निकालने का क्या कारण था ?

श्री श्रीचन्द--

उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी के पैनेल में सक्सेना का नाम प्रथम था और जिलाधीश के पैनेल में चौथा नम्बर था। अक्सर जे० ओ० के यहां फौजदारी के मुकदमें होते हैं या सेशन्स ट्रायल होते हैं, उनका जो भी अंदाजा लगा सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कभी भी फौजदारी के मुकदमें नहीं होते हैं और न ही वह उनकी कार्यक्षमता ही जानते हैं। अगर न्याय विभाग से टिप्पणी मंगाते, तो सफलता के बारे में परसेंटेज पता चल जाता। इनकी क्या परसेंटेज थी, यह पता नहीं चलता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय न्याय मंत्री, आप स्पष्ट कर दें।

श्री श्रीचन्द--

डी० जी० सी० सिविल के पद से के० बी० सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। और न्याय विभाग की टिप्पणी में राम लखन अग्रवाल का नाम जो सहायक डी० जी० सी० थे, पैनल में प्रथम था और राम प्रसाद श्रीवास्तव का नाम भी प्रथम स्थान पर उनके साथ ब्रेकेटेड था। श्रीमती उर्मिला तिवारी चौथे स्थान पर थीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या यह सही है कि पिछले मंत्रिमण्डल में जो न्याय मंत्री थे, उन्होंने अपने घटक के लोगों को इसमें एप्वाइन्ट किया और उनका घटक मंत्रिमण्डल से सटक गया इसलिए यह लोग अटक गये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आरोप है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)--

श्री ब्रज बहादुर सक्सेना, डी० जी० सी०, क्रिमिनल और श्रीमती उर्मिला तिवारी, डी० जी० सी०, दीवानी लोक सेवा अधिकरण नम्बर 3 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त हो गया है ?

श्री श्रीचन्द्र--

जुडिशियल मेम्बर शायद श्री बाजपेयी के यहां से मिला है उन्होंने श्रीमती उर्मिला तिवारी के बारे में यह कहा है ये मेरी परिचित हैं लिहाजा यह क्लेम पिटीशन मेरी फाइल से दूसरे अधिकरण को भेज दी जायें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

हम लोग यहां किस लिए आये हैं ?

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

5 वकील हटाये गये, उनमें से कोई हरिजन, पिछड़ा वर्ग या मुसलमान था, अगर नहीं, तो क्या यह सही है कि वे एक घटक के हैं ?

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय--

श्री गुप्ता जी ने जो कागजात के उदाहरण पेश किये हैं वे उनको कैसे मिले क्या इस मामले की जाँच करा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कागजात क्या मिले हैं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

जो गोपनीय रिपोर्ट है, वह पढ़ी है तो वह रिपोर्ट उन्हें किस ढंग से मिली है ? क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर तथा प्रश्न पूछने का अवसर देने की मांग करने पर)

इधर भी, उधर भी, सब जगह मैं देख रहा हूं सबको अवसर मिलेगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि प्रारम्भिक नियुक्तियां उपयुक्त नहीं थीं । क्या अनियमितता थी, इसको विवेचना कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दे चुके हैं । यह बताया है कि विधि विभाग की इसमें सहमति नहीं थी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि सरकारी वकीलों के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जो सरकार आती है वह अपने ढंग से नियुक्ति कर लेती है और दूसरी सरकार जब आती है तो वह उनको विमुक्त कर देती है । तो कृपया यह बतायें कि न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में मापदण्ड क्या है ?

श्री श्रीचन्द--

एल० आर० मैनुअल के मुताबिक जो पैनल आता है, जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट जज के पैनलमें जो उनका स्थान होता है उसके ऊपर फिर न्याय विभाग की टिप्पणी मांगी जाती है और टिप्पणी से यह तय किया जाता है कि आया जो नाम उन्होंने दिये हैं उनका कितना कार्य है कितना सफलता का परसेंटेज है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मापदण्ड के बारे में बतायें, आप तो प्रोसीजर बता रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने पूछा है कि न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त मापदण्ड क्या है ?

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, एक प्रश्न पर 10-10 मिनट होंगे, तो माननीय सदस्यों के अन्य प्रश्न कैसे आयेंगे ?

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 5 व्यक्तियों का पैनल आया है जिसमें नन्द लाल वर्मा, पिछड़ी जाति (मल्लाह), मदन मोहन पिछड़ी जाति के हैं । ब्रज बहादुर सक्सेना और उर्मिला तिवारी आपातकाल में मीसा के अन्दर बन्द रहे हैं । मीसा डेटन्यू रहे हैं । तो शासन क्या सक्षम है कि पैनल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है ? मेरे कहने का मतलब यह है जिला अधिकारी, जिला जज ने जिन व्यक्तियों के नाम पैनल म दिया है शासन उनमें से किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है ।

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, जिस तरह का पैनल में नम्बर आयेगा जिसका प्रथम स्थान होगा उसका सामान्यतः एप्वाइंटमेंट किया जायगा जब तक कि उसके खिलाफ कोई ऐसी बात न हो । अगर ऐसा है तो दूसरे नम्बर वाले को लिया जायगा, अगर यह उपयुक्त नहीं है तो तीसरे को लिया जायगा । लेकिन इंगित करेंगे कि हम कैसे उनको नहीं ले रहे हैं । इसमें डींगर छठे नम्बर पर हैं और जायसवाल आठवें स्थान पर हैं ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न है कि शासन सक्षम है कि नहीं लेकिन मंत्री जी किस्सा कहानी बता रहे हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, इस पर दो दिन की चर्चा करा दीजिए ।

(शोर)

श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

एक स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अब 15 मिनट हो गये हैं ।

श्री मोती राम--

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कोई शिड्यूलकास्ट का कोटा है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं देता हूं । कोटा नहीं है । आप बैठें । प्रश्न संख्या 3 सिंचाई मंत्री ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

[× ×]।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायेगा । यह बड़ा गलत तरीका है मैंने सिंचाई मंत्री जी को बुला लिया है और फिर भी आप लोग बोलते जा रहे हैं । इसलिए यह नहीं लिखा जायेगा ।

चोपन क्षेत्र, मिर्जापुर जिले की बारी, भलुआ व निंधा खानों की ठेकेदारी प्रथा

**2--श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--(अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय खनिज विकास निगम चोपन, दिल्ली, मिर्जापुर, में (चोपन, बाड़ी, भलुआ और निंधा) माइन्स में अब भी ठेकेदारी प्रथा लागू है जब कि समस्त निगमों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

उत्तर प्रदेश राजकीय खनिज विकास निगम द्वारा मिर्जापुर जनपद के चोपन क्षेत्र की बारी, भलुवा व निंधा खानों में अल्पविधि-ठेके व वर्क-आर्डर द्वारा कार्य कराया जा रहा है । एसा इस कारण कराया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में निगम को लम्बी अवधि के पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त नहीं हैं । लम्बी-अवधि के क्रयादेश प्राप्त

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करने हेतु निगम प्रयत्नशील है जिनके प्राप्त होने पर शनैः-शनैः सारा कार्य निगम द्वारा स्वयं किया जाने लगेगा ।

रायबरेली की गोपूमऊ पम्प नहर योजना की समाप्ति

**3--श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पम्प नहर सिंचाई योजना गोपूमऊ, जिला रायबरेली कई वर्षों से बिजली न मिलने के कारण बन्द पड़ी है ? क्या यह सही है कि अब उक्त योजना समाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इस योजना पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

जी नहीं । रायबरेली जनपद में गोपूमऊ पम्प नहर सूखे के समय डीजल पम्पों से 1969 में चलाई गई थी । बाद में नदी में जल के अभाव के कारण इसका विद्युतीकरण करना उचित नहीं समझा गया ।

जी हां । लोनी नदी में पानी की कमी के कारण इस योजना को समाप्त किया जा रहा है ।

इस योजना के निर्माण कार्य पर कुल 8,716.00 रु० व्यय हुआ है ।

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, क्या सरकार बतायेगी कि लोना नदी में पूरे साल पानी भरा रहता है और कभी इस पम्प नहर द्वारा सिंचाई होती थी ? यदि हां, तो कितने एकड़ जमीन की और फिर इसको समाप्त करने का निर्णय सरकार ने कब लिया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इससे 1969-70 में 32 एकड़ की सिंचाई हुई, 1970-71 में 43 एकड़, 1971-72 में 44 एकड़, 1972-73 में 23 एकड़, 1973-74 में 27 एकड़, 1974-75 में 27 एकड़ और 1975-76 में 14 एकड़ की सिंचाई हुई ।

बन्द होने की तो बात इसमें नहीं है, लेकिन निर्णय हो गया है कि इसको बन्द कर दिया जाय ।

श्रीमती सुनीता चौहान--

क्या सरकार को जानकारी है कि इस लोन नदी से 2 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है, तो जब यह समाप्त कर दी जायगी, तो किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए कौन सी योजना लागू कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, पहले इस योजना का विद्युतीकरण करने का विचार था, लेकिन जब सर्वे किया गया, तो इसमें पानी की कमी निकली क्योंकि 2.5 क्यूसेक पानी होता, तो योजना लागू की जाती, इसलिए इस योजना को समाप्त किया गया और इसी एरिया में एक राजकीय नलकूप कार्य कर रहा है तथा दो नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है, इस प्रकार तीन नलकूप वहां सिंचाई के लिए लगा दिये गये हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1969 में जब यह योजना शुरू हुई, तो कितना व्यय होने वाला था और उस समय इसका सर्वे हुआ था कि नहीं या बिना सर्वे के काम शुरू हो गया। यदि बिना सर्वे के शुरू हुआ तो 8 हजार रुपये बेकार में क्या व्यय किए गए ? सर्वे कब हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, प्रदेश में जब सूखे की स्थिति हो गयी 1976-77 में तब एक हजार डीजल पम्प खरीदे गये थे क्योंकि लोनी नदी में कुछ पानी उपलब्ध है और दो पम्प उसमें लगाये गये--10 हार्स और 15 हार्स पावर के। लेकिन बाद में पाया गया गया कि उतना पानी नहीं आ पाता है, जितना आना चाहिये और न उसमें पानी उपलब्ध है। इसलिए जो विद्युतीकरण का विचार था पानी न होने से छोड़ना पड़ा और योजना को बन्द करना पड़ा।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं केवल यह बात जानना चाहता हूं कि बिना सर्वे के योजना शुरू हुई और इसलिए बाद में पता चला कि पानी इसमें उपलब्ध नहीं है। जब पानी नहीं था तो सर्वे क्या हुआ ? इतने उचित प्रश्न का कोई उचित या अनुचित उत्तर तो आना चाहिए। सर्वे हो गया, योजना बन गई, रुपया खर्च हो गया....

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, आप इतना बता दें कि जब सर्वे किया गया तब क्या इस बात का अनुमान नहीं लगाया गया कि यह नदी कितना पानी नहर के लिए देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब सर्वे कराया गया और योजना बनाई गई तो 2·5 क्यूसेक पानी चलाने की योजना थी। यह हो सकता है कि उस समय पानी काफी मात्रा में रहा हो लेकिन 3-4 वर्ष के समय में पानी कम हो गया हो। पानी उपलब्ध न होने के ही कारण हमारा जो विद्युतीकरण का विचार था, उसको भी एबनडन करना पड़ा।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मन्त्री जी ने बताया कि नदी में पानी कम हो जाने से योजना समाप्त कर दी गई। वहां नालियां बनी होंगी, बिजली पर लाखों रुपया खर्च हुआ होगा और पानी कम होने के कारण योजना समाप्त कर दी गई। क्या मन्त्री जी नलकूप की बोरिंग करवाकर सिंचाई की व्यवस्था करायेंगे ताकि नालियों और बिजली पर जो लाखों रुपया खर्च हुआ है, उसका सदुपयोग हो सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस योजना पर कुल 8,716 रु० व्यय हुआ था। इसमें से 8,466 रु० का जो सामान है, उसका अन्यत्र उपयोग किया जाएगा। कुल 250 रु० का व्यय बेकार जाएगा ?

श्रीमती सुनीता चौहान--

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस प्रश्न को स्थगित कर दें और मुझे विश्वास है सरकार और मन्त्री जी पर, यह स्वत: देख लें कि बारहो महीने उस नदी में पानी रहता है कि नहीं ? तब तक इस स्कीम को वापस लेना स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, क्या आप इसका सर्वे करा लें कि पानी मतलब भर का है या नहीं ? जिससे आप स्वयं सन्तुष्ट हो जायें ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जैसा मैंने कहा कि 2·5 क्यूसेक की नहर बनाने की योजना थी उस पानी से । इससे केवल पांच-छ: सौ एकड़ की ही सिंचाई होती । नलकूप से भी 200 एकड़ की सिंचाई हो जाती है । 3 नककूप लग जाने से पांच-छ: सौ एकड़ सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी । फिर भी आपका आदेश हो तो हमें सर्वेक्षण कराने में कोई एतराज नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मेरठ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल एवं कुलपति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय के गत सत्र के 23 केन्द्रों की परीक्षायें सामूहिक नकल के आरोप में निरस्त कर दी गयी है ? क्या सामूहिक नकल तथा अन्य भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुलपति के विरुद्ध शिकायतें परीक्षा के दौरान शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

जी हां ।

मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सम्बोधित कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय के परिपत्र दिनांक 20-2-79 के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हुई कि इसके द्वारा सामूहिक नकल को बढ़ावा दिया दिया गया ।

कुलपति के उक्त परिपत्र में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे सामूहिक नकल को बढ़ावा मिले । अत: किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, बड़े दुख के साथ मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि मन्त्री जी को स्वयं मैंने नानक चन्द डिग्री कालेज यूनियन के प्रेसीडेंट जितेन्द्र कुमार कौशिक का एक पत्र दिया था जिसमें वहां के कुलपति पर 9 आक्षेप लगाये गये थे । मान्यवर, यह पत्र मैंने उस समय दिया था जब मुझे

जानकारी हुई कि जितने प्रत्यावेदन मेरठ से गये हैं, वे आपके कक्ष में पड़े हुए थे और श्रद्धा देवी, जो वाइस चांसलर की साली हैं, उनके द्वारा फाड़ दिये गये थे। मन मन्त्री जी से निवेदन किया था कि इसकी जांच करा लें और आपने आश्वासन दिया था। लेकिन कार्यालय ने उत्तर लिख कर दे दिया। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मैंने उन्हें नौ आक्षेप वाला पत्र नानक चन्द्र डिग्री कालेज अध्यक्ष का दिया था या नहीं ? यदि दिया था, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जहां तक पत्र का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने मुझे वह दिया था। उस में तीन प्रकार की शिकायतें हैं। एक तो मास कोपीइंग की। उस में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने ऐसे पत्र लिखे हैं, जिन के द्वारा मास कोपीइंग हुई है। दूसरे प्रकार की शिकायत में यह है कि जितनी नियुक्तियां हुई है, वह भाई भतीजेवाद के आधार पर हुई हैं। तीसरी शिकायत यह थी कि जितनी भी विश्वविद्यालय में छोटी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें पक्षपात किया गया है। यह पत्र मैंने पढ़ा है। अंग्रेजी में है आपकी इजाजत हो, तो पढ़ कर सुना सकता हूं। पहली जो शिकायत है, वह तो किसी प्रकार समझ में नहीं आती। दूसरी शिकायत के बारे में सेलेक्शन कमेटी के द्वारा विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की नियुक्तियां होती हैं और जब इस प्रकार की नियुक्तियों में आपत्ति होती है, तो धारा 68 विश्वविद्यालय ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति चान्सलर को कुलाधिपति को अपनी शिकायतें दे सकता है। सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। उस सम्बन्ध में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे। तीसरी प्रकार की जो छोटे कर्मचारियों की नियुक्तियों के बारे में है, वह तो इम्पलाइमेंट से व्यक्ति आये और उन का चुनाव किया गया। यह हो सकता है कि किसी प्रकार से उन्होंने लिये हों। यह उन से कह नहीं सकते कि किस तरह से हुआ। तीन प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इसमें शासन किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही सीधे-सीधे नहीं कर सकता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रद्धा देवी का जिक्र किया गया मैं नहीं जानता कि यह कौन हैं। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 केन्द्रों में जो सामूहिक नकल हुई है उस में आप ने विद्यार्थियों को पनिश कर दिया लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो इनविजीलेटर्स थे क्या कार्यवाही हुई जिन की वजह से सामूहिक नकल हुई ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस के लिए कुलपति जी से कहा गया है कि वह पूरी आख्या हम शीघ्रातिशीघ्र दें और उनको जो एक्जीक्यूटिव कमेटी है उस में इस विषय को प्रस्तुत करें और जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उन पर कार्यवाही करें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, जो नवां आरोप है कि डिग्री कालेज ने अवैध रूप से पैसा ले कर बी० एड० में छात्रों का दाखिला करवाया। 84 सीटें थी बिना किसी

क्वालिफिकेशन के 149 लोगों का दाखिला करवाया । इस के साथ ही साथ में माननीय मन्त्री जी को याद दिलाऊंगा कि 21-4-79 को मैंने हरिश चन्द्र वर्मा की रजिस्टर्ड पत्र की प्रति आप को दी, जिस में अभियोग लगाया गया है कि वीना रानी और मन्शा रानी को जिन के 171 नम्बर थे, दाखिल किया गया और उन की लड़की वर्षा रानी जिस के 188 नम्बर थे का दाखिला नहीं किया गया । अभियोग यह भी लगाया गया है कि कुलपति दीप चन्द्र शर्मा और वहां के प्रिन्सिपल दोनों मिल कर यह कर रहे हैं । क्या इस में कोई जांच की गयी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, जो इस प्रकार के प्रवेश का सीधा सम्बन्ध प्रिन्सिपल से होता है । जांच कराने के लिए कोई ऐसा पत्र नहीं मिला जिसके माध्यम से यह किया जाता तथा इसका कोई सीधा सम्बन्ध उन से हो । जितनी बी० एड० की परीक्षायें होती हैं वह उसी कालेज के प्रिन्सिपल के माध्यम से होती हैं ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उप कुलपति के द्वारा जो नियुक्तियां हुई वे कब हुई और किस आधार पर हुई ? नम्बर दो क्या उन के बारे में कोई शिकायती-पत्र मिला तो उसमें उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप थे और श्रद्धा कुमारी जो भूतपूर्व एम० एल० ए० हैं तथा मुख्य मन्त्री जी की निकट की सम्बन्धी हैं, क्या इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के तीसरे भाग की इजाजत में नहीं देता । दूसरे भाग का जवाब दिया जा चुका है और पहला भाग इससे उठता नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

सोहन वीर सिंह तोमर ने आरोप लगाये हैं कि श्रद्धा देवी जी उनके कार्यालय में बैठ कर तमाम पत्रों को फाड़ती है, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा क्या यह आरोप सही है और अगर इसकी सत्यता में कोई सन्देह है, तो क्या वह इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति

*1--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 अक्तूबर, 1977 को विधान सभा में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने कहा था कि 10,900 बी०टी०सी०

अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं तथा नये विद्यालयों में लगभग सात हजार अध्यापक नियुक्त होंगे ? यदि हां, तो आदेशानुसार कितने अध्यापक नियुक्त हुए तथा नये विद्यालयों में कितनी नियुक्तियां हुईं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

28 सितम्बर, 1977 को श्री ऊदल के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में 10,900 अध्यापकों की रिक्तियों को भरने के आदेश और लगभग 6,200 पदों के सृजन की बात कही हुई थी। जहां तक 10,990 रिक्त पदों पर भरती का प्रश्न है यह स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की गई थी :--

(1) रिक्तियों का आगणन इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक का अनुपात 40 : 1 हो जाय।

(2) एक अध्यापकीय प्राइमरी विद्यालयों में एक और अध्यापक तैनात कर दिया जाय यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :--

(क) उस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक कक्षाय लगती हों।

(ख) छात्रों की संख्या 40 से अधिक हो।

उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन 10,900 रिक्त पदों के समक्ष प्रदेश भर में 31-3-1978 तक 8579 अध्यापकों की नियुक्तियां की गईं।

जहां तक नये विद्यालयों में नियुक्तियों का प्रश्न है वर्ष 1977-78 में प्राइमरी स्कूलों में 3163 और जूनियर हाई स्कूलों में 1960 कुल 5123 अध्यापकों के पद सृजित किये गये किन्तु प्रदेश के 46 जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन जिलों में 2910 अध्यापक नियुक्त किये गये।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि 6200 पद सृजित किये जा रहे हैं लेकिन अन्तिम पैरा में केवल 5,123 पद सृजित किये गये और उसमें नियुक्ति केवल 2,910 लोगों की गयी तो इस विरोधाभास का कारण क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

विरोधाभास नहीं है। रिक्तियां 6,200 के लिये थीं और रिक्तियों में सृजन का कोई प्राविधान नहीं होता। इसलिये जो रिक्तियां हैं, वे भरी जाती हैं। पदों का सृजन अलग से होता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

10,900 में से 2,321 अध्यापकों की नियुक्तियां जो शेष रह गयी हैं, उनको कब तक भर दिया जायगा और 5,210 अध्यापकों के सृजित पदों में 2,213 पदों में नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है, तो यह कब तक कर दी जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

40 पर एक के अनुपात में नियुक्ति की गयी । जहां पर ऐसा था वहां कोई नहीं रखा गया। शेष जिलों में इसकी पूर्ति की गयी जिसके लिये आदेश जारी कर दिये गये । इसके अलावा जहां भी अध्यापकों की कमी है वहां बी० टी० सी० उत्तीर्ण लोगों की जिलेवाइज नियुक्ति कर दी गई है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 40 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक की नियुक्ति होगी । क्या यदि 45 विद्यार्थी किसी विद्यालय में हो, तो क्या पोजीशन होगी ? दूसरी बात यह है कि क्या पर्वतीय अंचल में भी यह मापदन्ड है या दूसरा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इस समय तो 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की सब जगह व्यवस्था है । 45 पर 1 अध्यापक हाई स्कूल में और 55 पर 1 अध्यापक इन्टरमीडिएट में है....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अगर 45 विद्यार्थी हों, तो 2 अध्यापक रखे जायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

40 विद्यार्थी पर 1 रखा जायेगा । हम तो यह व्यवस्था कर रहे हैं कि 40 विद्यार्थियों पर 2 अध्यापक रखे जायं । यह बात मैंने अपने बजट भाषण में कह दी थी । क्योंकि दो अध्यापक होंगे, तो एक अध्यापक के छुट्टी लेने पर दूसरा तो मौजूद रहेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

पर्वतीय अंचल में क्या व्यवस्था है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

पर्वतीय अंचल में व्यवस्था हो रही है । 11 तारीख को पौड़ी में एक मीटिंग रखी गई है । जहां अध्यापक नहीं होंगे वहां व्यवस्था की जायेगी ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

वहां भी प्रत्येक विद्यालय में २ अध्यापक होंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की भारी संख्या को देखते हुये और उनकी बेरोजगारी की समस्या को देखते हुये क्या शासन के सामने नये स्कूल खोलकर उनको खपान की योजना शासन के विचाराधीन

है ? यदि हां, तो प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों को कब तक रोजगार दिला दिया जायेगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, जब नये विद्यालय खुलते हैं, तो यह सर्वविदित तथ्य है कि नये स्कूलों में नये अध्यापकों की नियुक्ति होगी। पुरानों में तो आलरेडी अध्यापक लगे होंगे। जैसा मैंने कहा था कि 439 प्राइमरी विद्यालय और 220 जूनियर हाई स्कूल नये खुलने वाले हैं और जहां स्थान रिक्त हैं या जहां पर 40.1 में रिक्त होने की सम्भावना है, उनमें प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 अध्यापकों का प्राविधान कर दिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जो प्रशिक्षित बी0 टी0 सी० अध्यापक बेरोजगार हैं उनको एब्जार्ब कब तक कर लेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, यह कहना तो कठिन होगा कि हम उन्हें कब तक खपा लेंगे। अभी छठी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ स्कूल खुलेंगे। उनमें लगेंगे लेकिन जो 50सौ हजार हैं उनको सबको लगाना सम्भव नहीं होगा। धीरे-धीरे हम समझते हैं कि लग पायेंगे। अधिकांश हम खपा लेंगे लेकिन सब कब तक लग जायेंगे, यह कहना कठिन है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या क्या है ? यह स्वतः सिद्ध है कि लोग बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं और 50 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसलिये शिक्षा के प्रसार के लिये इन अध्यापकों के लिये कोई योजना है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, यह मैंने 25 मई को अपने भाषण में कहा था कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह सर्वेक्षण से पता चला है कि कक्षा 1 में यदि 100 भरती होते हैं, तो कक्षा 5 तक जाते-जाते वह 39 ही रह जाते हैं। तो उनको अलग से नान-फारमल करके पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है, इसका पता करके बताया जा सकता है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, यह तो बताया जा सकता है।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत सिल्ट एक्सक्लूडर तथा सिल्ट इजेक्टर का निर्माण

*2—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के बैराज के निकट सिल्ट एक्सक्लूडर तथा सिल्ट इजेक्टर, जो 13,50,000 रुपये की लागत से बनायी गई तथा जिसने आज तक काम नहीं किया, की शिकायत सिविल डिप्लोमा इन्जीनियर्स संघ ने भी गत वर्ष मन्त्री को दी ? यदि हां, तो इतनी बड़ी राज्य सम्पत्ति की हानि के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेवार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित ऐसी कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है तथापि सिल्ट एक्सक्लूडर एंव सिल्ट इंजेक्टर के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले के चिनहट ब्लाक में नलकुप का निर्माण

*3—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि 21 जनवरी, 1979 को लखनऊ जिले के चिनहट ब्लाक में बन रहे राजकीय नलकूप का आकस्मिक निरीक्षण क्षेत्रीय विकास उपमन्त्री ने किया था तथा नलकूप घर नाली आदि में लगी पोली ईटों तथा सीमेन्ट बालू आदि के नमूने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (श्री आर० एन० टन्डन) को अपने चेम्बर में दिये थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

इस मामले से सम्बन्धित ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज कर लिया गया है । सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध भर्त्सनात्मक प्रविष्टि कर दी गई है और सहायक अभियन्ता को भविष्य के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

सफदरगंज-रामनगर सड़क, जिला बाराबंकी के निर्माण की मांग

*4—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत सफदरगंज से रामनगर तक की अवशेष सड़क को निर्मित किये जाने हेतु ब्लाक रामनगर व मसौली के कई ग्रामों (धोखारिया, लालूपुर, गहरेला, मलपुर, अरसंडा-ददौरा, बिठौरा, अनूपगंज, तथा मुहम्मदपुर आदि) के प्रधानों के संयुक्त प्रार्थना-पत्र को संलग्न करते हुये इसी जिले में कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित कोई पत्र उन्हें माह नवम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 725 पर ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)--

जी हां ।

सफदरगंज उपनगर का अवशेष भाग 9 कि0 मी0 लम्बा है जो किसी योजना में धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

शारदा सहायक पोषक नहर को सीपेज रोकने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*5--श्री बाबूलाल वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर परियोजनान्तर्गत निकली पोषक नहर में सीवेज से गांव व खेत डूब जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 1979 में प्राप्त हुआ जिसमें जांच एवं आवश्यक कार्यवाही का आग्रह किया गया था ? यदि हां, तो सीपेज रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये ? क्या सरकार नहर के सीवेज से क्षतिग्रस्त गांव व कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां ।

शारदा सहायक पोषक नहर के किनारे सीपेज रोकने के लिये नहर के किनारे-किनारे सीपेज ड्रेन व क्रास ड्रेनों का निर्माण कराया जा रहा है । पोषक नहर में कुछ स्थानों पर लाइनिंग भी कराई गई है । अन्य स्थानों पर लाइनिंग का कार्य चल रहा है । इससे सीपेज कम होने में सहायता मिलेगी क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर किसी विशेष मामले को प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार किया जा सकता है ।

[दिनांक 6 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले की सौरहा बुजुर्ग माइनर से सिंचाई

*1--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सौरहा बजुर्ग माइनर में सौरहा बुजुर्ग गांव तक पानी किन कारणों से नहीं पहुंच पा रहा है ? क्या यह सही है कि सौरहा बुजुर्ग माइनर में पानी न होते हुए भी पतरौल ने किसानों के खेतों को सिंचित परताल घोषित किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

पानी पहुंच रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पानी कहां तक जाता है पानी टेल तक जाता है या नहीं ? वहां के लोग तबाह हो गये हैं (भोजपुरी भाषा का प्रयोग किए जाने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्रीनारायण जी आप खड़ी बोली में बोलें ।

श्री श्रीनारायण--

पानी लोगों के खेत तक जाता है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, यह नहर फरवरी, 1978 में चलाई गई थी और इससे सोरहा बुजुर्ग गांव में रबी में 14 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई ।

श्री श्रीनारायण--

क्या पानी टेल तक जाता है । (भोजपुरी में प्रश्न पूछने पर)

श्री उपाध्यक्ष --

आप खड़ी बोली में कहें जिससे सभी माननीय सदस्यों को समझ में आ सके ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मान्यवर, सदन में अनेक बार यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि यहां पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही प्रश्न और उत्तर होंगे । यदि आप इस तरह से आज्ञा देंगे तो कोई गढ़वाली में बोलेगा कोई भोजपुरी में बोलेगा । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह व्यवस्था पहले भी हो चुकी है कि खड़ी बोली में ही प्रश्न और उनके उत्तर दिये जायेंगे या कोई वक्तव्य दिया जायेगा पहले जो अध्यक्ष थे उनका भी निर्देश हो चुका है और मैंने भी पिछली बार श्री श्रीनारायण जब बोल रहे थे, तो कहा था कि खड़ी बोली सदन की भाषा है, उसमें ही प्रश्न करने चाहिये ।

श्री श्रीनारायण --

भोजपुरी कोई भाषा नहीं है । (भोजपुरी में बोलने पर) सब लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो अपनी ही भाषा प्रयोग करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह लिखा नहीं जायगा । कृपया आप बैठिये ।

*2--श्री रवीन्द्र सिंह--

[6ठे मंगलवार मे तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]
छठीं कक्षा से उर्दू पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कथित निर्णय

*3--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) तथा श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी सत्र से उत्तर प्रदेश के अन्दर कक्षा 6 से उर्दू पढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है और इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी नहीं । अतः योजना का विवरण तथा उस पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष --

(श्री राम सिंह के खड़े होने पर) आपका माइक ठीक काम नहीं कर रहा है आप इधर आ जायं ।

श्री राम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे आपके उपरोक्त उत्तर के बिलकुल विपरीत आपके मंत्रिपरिषद के 3 मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि छठवीं कक्षा से उर्दू की पढ़ाई प्रारम्भ कर दी जाएगी ? यदि ऐसा नहीं था, तो उनको वह वक्तव्य देने की आवश्यकता थी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह बात बिलकुल नहीं है । बात यह है कि श्री राजमंगल तिवारी के प्रश्न में यह निहित था कि क्या कक्षा 6 से उसे अनिवार्य बनाया जाएगा, तो कक्षा 6, 7 व 8 में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत उसके पढ़ाने की व्यवस्था है ।

श्री फजलुलबारी--

मंत्री जी ने अभी हवाला दिया है कि त्रिभाषा फार्मूला में उर्दू पढ़ाने का प्राविधान है, तो इसके अनुसार इसमें क्या कोई क्लासिकल जबान भी दाखिल है, कानून के खिलाफ ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इसके अन्तर्गत पहले हिन्दी भाषा अनिवार्य है । दूसरी अंग्रेजी या अन्य कोई योरोपियन भाषा है और तीसरी भाषा भारतीय संविधान के शेडयूल 8 के अनुसार उर्दू,संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि कोई एक भाषा है । तो उसके अन्तर्गत उर्दू एक भाषा के रूप में पढ़ाने का प्राविधान है ।

श्री फजलुलबारी--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाने का भी उसमें प्राविधान है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मन्जूर अहमद--

यह प्राविधान कब से है ? पहले से है या मौजूदा सरकार ने किया है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

यह योजना पहले से है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या उनको इस बात की जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद में जो उर्दू के अध्यापक जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष --

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री राज मंगल तिवारी--

क्या ऐच्छिक रूप से कक्षा 6, 7 व 8 में उर्दू पढ़ान की व्यवस्था की गयी है और क्या अनिवार्य रूप में उर्दू की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मैंने पहले ही कहा अनिवार्य रूप से नहीं है, भाषा के रूप में अन्य भाषाओं के साथ दूसरे स्थान पर है और जहां कम से कम 5 विद्यार्थी हो जाते हैं, वहां पर उर्दू का अध्यापक निश्चित रूप से रख दिया जाता है ।

श्री शकीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

उर्दू को छठी कक्षा तक पढ़ानें की एक बात आपने फरमाई है, तो क्या हाई स्कूल तक उर्दू को दूसरी जबान करार दिया जाएगा और उसको जरूरी करार दिया जाएगा और हर क्लास में उसको पढ़ाया जाएगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, यह इस समय सम्भव नहीं है ।

*4--श्री मित्रसेन--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

एटा जिले की सोरों याकूतगंज सड़क का निर्माण

*5--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में खाद्यान्न योजना नं० 3 के अन्तर्गत सोरों-याकूतगंज नव निर्मित सड़क को कब तक पक्का कर दिया जायगा ? क्या अप्रैल, सन् 1978 म इस सड़क के पक्के किए जाने के लिए धन की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

इस सड़क के पक्का करने का कार्य स्वीकृत नहीं है । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि यह सड़क कब तक पक्की कर दी जायेगी ।

जी हां। इस मार्ग को पक्का किए जाने का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

*6--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

बाराबंकी, रुदौली मे राजकीय बालिका हाई स्कल की स्थापना की माँग

*7—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली नोटीफाइड एरिया में बालिकाओं के हाई स्कूल खोले जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा तथा जनता द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित विद्यालय के खोले जाने हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ह ? और क्या उक्त विद्यालय सन् 1979-80 में खुल जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

आवश्यक जांच पड़ताल करायी गयी ।

सीमित भौतिक लक्ष्यों तथा उपयुक्त भवन/भूमि की उपलब्धता के निश्चित न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1979-80 में रुदौली म बालिकाओं का राजकीय हाई स्कूल खुल जायगा अथवा नहीं ।

*8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*9—श्री बाबू लाल वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*10—श्री उदय नारायण सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*11—श्री छोटे लाल निर्भय—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*12—श्री राम आसरे वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

मीसा में बन्द किए गए कुल भाष्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों का वेतन

*13—श्री संगम लाल—(जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल भाष्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद के डी० आई० आर० अथवा मीसा बन्दी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का जेल में निरुद्ध समय का वेतन भुगतान कितने लोगों को नहीं किया गया है और क्यों ? उन अफसरों के खिलाफ, जिन्होंने वेतन भुगतान रोक रखा है, क्या कोई कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

कुल भाष्कर आश्रम डिग्री कालेज, इलाहाबाद के डी० आई० आर० अथवा मीसा बन्दी किसी भी शिक्षक व अन्य कर्मचारी का जेल में निरुद्ध समय का वेतन नहीं रोका गया है । अतएव किसी अफसर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संगम लाल--

मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां के कुछ मीसा और डी० आई० आर० में बन्दी अध्यापकों का वेतन रोका गया है और विभाग ने इस विषय में गलत सूचना मंत्री जी की दी है, मंत्री जी इस बात की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मेरे पास निश्चित सूचना है कि श्री बल्लभ मिश्र और बी० एल० निगम का वेतन बिल 4-10-77 को पास किया गया और उसके बाद निरन्तर उनको पे दी जा रही है । इस प्रकार की सूचना सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो अधिकारी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही की जायगी। लेकिन मेरी निश्चित सूचना है कि उनको निरन्तर वेतन दिया जा रहा है ।

श्री संगम लाल--

मैं मंत्री जी को लिखित दे दूंगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस लिखित देने के बाद आप किस अफसर से जांच करवायेंगे ? क्योंकि जैसे इस प्रश्न का जवाब दे दिया उसी तरह से मंत्री जी के पास आ जायगा । मेरे लिखित देने के बाद किस अफसर से जांच करवायेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस समय डी० आई० ओ० एस० के माध्यम से वेतन आबंटित किया जाता है । वेतन विद्यालयों को दिया जाता है । यह माननीय सदस्य दे दें, तो डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर जिसको कहें, उसके द्वारा जांच करवा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय वह मीसा और डी० आई० आर० में निरुद्ध रहे होंगे, उनकी कुछ अवधि रही होगी उसका वेतन एकमुश्त दिया गया होगा । माननीय मंत्री जी के पास सूचना है कि एकमुश्त वेतन किस तिथि को अध्यापकों को दिया गया ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जिस समय डी० आई० आर०, मीसा में बन्द रहे उस समय के पीरियड की उनको छुट्टी स्वीकार कर दी गई है और उसके पश्चात् जो रुपया दिया गया है, वह उसके पश्चात् दिया गया है । कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, माननीय सदस्य मुझको लिख कर दे दें मैं उच्चतम अधिकारी द्वारा उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो छुट्टी काल में डी० आई० आर० तथा मीसा में बन्द थे कितने महीने का वेतन उनको दिया गया था ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जितने समय वह रहे उसमें अलग-अलग पीरियड है, सब को उस समय तक छुट्टी दी गयी है। छुट्टी के बाद उनको वेतन दिया गया ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

मान्यवर, यह पूछा है, मंत्री जी को जानकारी है कि कितना वेतन दिया गया है। हमारी जानकारी यह है कि उनको वेतन अभी तक नहीं मिल पाया। इलाहाबाद का मामला है, मैं निश्चित रूप से जानकारी रखता हूं, वह मुझसे मिले थे, उनका वेतन नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मंत्री जी को मिली है, कितने माह का वेतन दिया जा चुका है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दीजिए। श्री संगम लाल जी के प्रश्न पर कि क्या किसी उच्चाधिकारी से जांच करवायेंगे, उन्होंने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, डिप्टी डाइरेक्टर, डाइरेक्टर जिससे चाहें वह इसकी जाँच करवा लेंगे।

तिलकधारी कालेज, जौनपुर से सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त एल० टी० अध्यापक

*14--श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलकधारी कालेज, जौनपुर से 1962 में कितने अध्यापकों ने सेवाकालीन एल० टी० प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया तथा उनमें से कितने अध्यापक आज भी सी० टी० वेतन क्रम में कार्यरत है ? क्या शासन सेवाकालीन एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त सभी अध्यापकों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से ही शासकीय आदेशों के अनुरूप एल० टी० वेतनमान स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

28 अध्यापकों ने सेवाकालीन एल० टी० प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया, जिनमें से 26 अध्यापक एल० टी० वेतनक्रम पा रहे हैं। शेष दो अध्यापकों के विद्यालयों का नाम ज्ञात किया जा रहा है। सेवाकालीन एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त सभी अध्यापकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से एल० टी० वेतनक्रम देना विद्यालय में रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री बिन्दू लाल--

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, ऐसा लगता है कि जानबूझ कर छिपाने का प्रयास किया गया है कि 28 अध्यापकों ने सेवाकालीन एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें 26 अध्यापक एल० टी० ग्रेड पा रहे हैं। शेष दो अध्यापकों के विद्यालय का पता लगाया जा रहा है। उन दोनों अध्यापकों के नाम क्या हैं ? क्या तुलसीपुर, गोंडा के स्वतंत्र भारत इन्टर कालेज के मुजीबुर्रहमान सिद्दीकी, जिन्होंने 1962 से एल० टी० ग्रेड किया था, जिनको आज तक नहीं दिया गया ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उन दो व्यक्तियों का नाम है सर्वश्री प्रतापकृष्ण कपूर और सुरेन्द्र चन्द्र सक्सेना 1963 का मामला है। 15-16 का वर्ष हो गया। एल० टी० कालेज से सूचना माँगी गयी है कि वे किस विद्यालय में कार्यरत हैं। केवल एल० टी० का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने से ही एल० टी० ग्रेड में होने की गारन्टी नहीं हो जाती है। जब रिक्ति होती है, तो उसमें नियुक्ति की जाती है।

श्री बिन्दू लाल--

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं जिन्होंने सन् 1962 में एल० टी० का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उनको वह स्केल नहीं दिया गया और जब कि स्थान भी रिक्त था। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अगर नाम मिल जाए, तो मैं इस सिलसिले में अविलम्ब कार्यवाही करूंगा और पूरा ग्रेड दिलाने की कोशिश भी करूंगा।

*15--श्री राम सजीवन--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

आगरा जिले में सड़क निर्माण की माँग

*16--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा) -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा में सन् 1978 में जमुना नदी की बाढ़ से बर्बाद गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनी थी ? यदि हां, तो क्या जनपद आगरा की सड़कों का चयन हुआ और वे निर्मित की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

धनाभाव के कारण ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैंने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है, जो सूचना दी गयी है, वह तथ्यों के विपरीत है। खाद्यान्न की सरकार की योजना थी और उसके बारे में आगरा जिला में बैठक हुई थी और सड़कों के बनाने के बारे में तय हुआ था, तो आप इसकी जांच फिर से करायेंगे और उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, ऐसी योजना तो नहीं थी। माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर ऐसी योजना बनायी गयी थी, तो उसकी जानकारी मैं करा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

योजना तो उन्होंने बतायी कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैं जांच करा लूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

योजना बनी थी और सरकार के आदेश पर आपके अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और सड़कों का सेलेक्शन हुआ था, तो आप निर्माण कार्य कब आरम्भ कर देंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मैंने कहा कि कोई योजना नहीं बनी । माननीय सदस्य उसको बता दें, कोई योजना नहीं है, तो कार्य कैसे करा दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या यह सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अनुदान मिला है, उसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के बनाने की योजना है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

सिंचाई संघ द्वारा ग्रामीण जन समिति के गठन की मांग

*17--श्री बाबूलाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई संघ, उत्तर प्रदेश ने अपने 51वें वार्षिक सम्मेलन वाराणसी में एक प्रस्ताव पारित कर सिंचाई विभाग में ग्रामीण सिंचाई जन समितियों के गठन किए जाने की शासन से अगस्त, 1977 में मांग की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मांग को स्वीकार कर कार्यान्वित कर रही है ? यदि नहीं , तो उस मांग को मान लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां । सिंचाई संघ का प्रश्नगत पत्र दिनांक 5-9-77 शासन को प्राप्त हुआ था । शासन द्वारा ग्रामीण जन समिति गठित किये जाने की मांग स्वीकार नहीं की गयी । मांग मान लेने की दशा में गलत इन्द्राज की सीधी जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन होगा ।

*18--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*19--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*20--श्री राम आसरे अग्निहोत्री--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*21--श्री रवीन्द्र सिंह--

[23-5-79 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित] ।

बेसिक शिक्षा परिषद् तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान

*22--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूल व बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूल तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई अन्तर्विरोध है ? यदि हां, तो वह क्या है और क्यों ? क्या उनके वेतनमानों में एकरूपता लाने का शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

परिषदीय अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को निम्न वेतनमान शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं--

विद्यालय का प्रकार	पदनाम	वेतनमान
1--बेसिक शिक्षा परिषद्	चपरासी चौकीदार दाई आदि	रु0 165/- मासिक नियत रु0 165-2-185-3-215
2--सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल	चपरासी तथा अन्य	तदेव
3--सहायता प्राप्त हाई स्कूल	चपरासी व अन्य	तदेव
	सेवकगण दफ्तरी	रु0 170-2-184-3-205-4-225

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर है और इसका कारण यह है कि ये कर्मचारी पहले स्थानीय निकायों के अधीन कार्य करते थे जो उन्हें प्रायः नियत वेतन देती थी। उनके वेतनमानों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। अब यह प्रश्न भविष्य में गठित होने वाले वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायगा।

*23--श्री राम सिंह--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

*24--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[30-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित]।

*25--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शाहजहांपुर जिले के कटरा-सिउरा मार्ग का निर्माण

*26--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कटरा से सिउरा मार्ग का निर्माण कितना हो चुका है तथा सरकार इस मार्ग के काम को कब तक पूरा करा देगी ? क्या यह सही है कि इस मार्ग के निर्माण में शिथिलता बरती जा रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

यह मार्ग 4 कि0 मी0 लम्बा है । कि0 मी0 1, 3 व 4 में मिट्टी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । यदि समुचित मात्रा में मैक्सफाल्ट उपलब्ध होता रहा तो इस मार्ग का कार्य जून, 1980 तक पूरा कराने की कोशिश की जायेगी ।

इस मार्ग के निर्माण में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है ।

*27--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

*28--श्री छोटे लाल निर्भय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

*29--श्री राजकिशोर तिवारी--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*30--श्री बाबूराम शुक्ल--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*31--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल एवं उनकी मांग

*32--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल वापस हो जाने के बाद सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के (एक गुट) ने हड़ताल की थी, जो शासन द्वारा दिये गये आश्वासन के फलस्वरूप वापस नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी शिक्षकों की न्यायोचित मांगों पर विचार करके आवश्यक निर्णय लिए गए हैं ।

तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर की शारदा सहायक नहर का दलदल

*33--श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर शारदा सहायक नहर के बाईं साइड की ओर बसे हुए गांव में दल-दल पैदा हो गया है ? यदि हां, तो दल-दल से प्रभावित गांव को राहत देने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? इस दल-दल को रोकने के लिए क्या सरकार कोई योजनाबद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां।

इस समस्या के निराकरण के लिए कुतुबपुर ड्रेन को गहरा एवं चौड़ा करना तथा सहायक ड्रनों का निर्माण प्रस्तावित है। कुतुबपुर ड्रेन को चौड़ा एवं गहरा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

*34--श्री राम सजीवन--

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*35--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

देवरिया जिले के ग्राम धतुरा में नलकूप के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*36--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम धतुरा (बैतालपुर ब्लाक) में राजकीय नलकूप हेतु वर्ष 1965 में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था और अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। देवरिया जनपद के ग्राम धतुरा खास, (बतुरा नहीं) बैतालपुर ब्लाक में राजकीय नलकूप बनवाने हेतु वर्ष 1967 में (1965 में नहीं) किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था।

अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा वितरण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान विशेष भूमि अधिकारी, देवरिया को माह फरवरी, 1979 में कर दिया गया है।

*37--श्री रियासत हुसैन--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल को स्टेशनरी एवं यूनिफार्म का अनुदान

*38--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल को पिछले 2 साल से कोई स्टेशनरी प्राइमरी फीस का रिइम्बर्समेंट

तथा यूनिफार्म ग्रान्ट नहीं मिला है जबकि निर्धारित समय के अन्दर विद्यालय से हर तरफ से प्रार्थना-पत्र एवं हिसाब भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

गत वर्षों हेतु स्टेशनरी और यूनिफार्म अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है ।

वर्ष 76-77 की क्षतिपूर्ति अनुदान वर्ष 1978 में स्वीकृत किया जा चुका है । वर्ष 77-78 व 78-79 की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उचित एवं वांछित सूचना सहित निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

इटावा-ग्वालियर मार्ग के जमुना एवं चम्बल के पुल से पथकर की वसूली

*39—श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इटावा-ग्वालियर मार्ग पर बने जमुना व चम्बल सेतुओं से सरकार को यातायात कर द्वारा 90 से 95 हजार रुपया प्रति माह की आय वर्ष 1977 में थी और अब यह वर्ष 1978 से घटकर 40 से 60 हजार रुपया के मध्य प्रति माह रह गई है ? यदि हां, तो यह आय घटने के क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

यमुना सेतु पर पथ-कर की वसूली सन् 1977 के रुपये 8,71,885.25 के मुकाबले में सन् 1978 में 7,64,135.25 रुपये हुई जबकि चम्बल सेतु पर 1977 में 6,93,999.50 रुपये के मुकाबले में आमदनी 7,46,568.50 रुपये हुई। यमुना सेतु पर 1978 में आय में कमी का मुख्य कारण राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 2 का निर्माण था जिसके कारण भारी यातायात यमुना पुल से न जाकर राष्ट्रीय मार्ग से गुजरा । इसके अतिरिक्त 1978 में भीषण बाढ़ के कारण तथा इटावा-ग्वालियर मार्ग का कुछ भाग पानी में डूबे रहने के कारण यातायात कम गुजरा जिसके कारण आमदनी में कमी आई ।

इटावा जिले के जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण

*40—श्री औसान सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि इटावा जनपद में वर्ष 1978-79 में लगभग 80 जूनियर हाई स्कूलों का नवीनीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इटावा जनपद में वर्ष 1978-79 में केवल 36 विद्यालयों को अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया । इन विद्यालयों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी किये जाने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेश दिये गये हैं । शर्तें पूरी होने पर मान्यता दे दी जायेगी ।

*41—श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

*42—श्री नाथूराम शिक्षक—

[5-8-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 55 द्वारा उत्तरित]।

बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षा अधीक्षकों एवं सहायक उपस्थित अधिकारियों के पदों का सम्मिलीनीकरण

*43—श्री राजकुकार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् ने 12 दिसम्बर, 1973 में शिक्षा अधीक्षकों तथा सहायक उपस्थित अधिकारियों के संम्लिनीकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था तथा विसंगति समिति ने भी संस्तुति की थी ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया और कब तक क्रियान्वयन किया जायगा ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षा अधीक्षकों तथा सहायक उपस्थिति अधिकारियों को शिक्षा विभाग के समकक्ष शासकीय पदों में संविलीन करने का प्रश्न सक्रियरूप से शासन के विचाराधीन है किन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

*44—श्री राजकुमार शर्मा—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय कन्या प्राइमरी पाठशाला, जिला बस्ती की सहायक अध्यापिका के वेतन का भुगतान

*45—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद में वर्ष 1970 से अब तक राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के सहायक अध्यापकों के पुराने वेतन का बकाया है यदि हां, तो किन-किन अध्यापकों का कितना-कितना धन किस वर्ष का बकी है ? और इसका भुगतान विभाग द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

बस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी राजकीय प्राइमरी पाठशाला संचालित नहीं है । नगर क्षेत्र में एक राजकीय कन्या प्राइमरी पाठशाला संचालित है परन्तु किसी भी सहायक अध्यापिका का वर्ष 1970 के वेतन का बकाया नहीं है ।

*46—श्री देव बहादुर सिंह—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री जयशंकर पांडेय—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित] ।

2--श्री रवीन्द्र सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

3--श्री रवीन्द्र सिंह--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

4--श्री रवीन्द्र सिंह--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

5--श्री रवीन्द्र सिंह--

[8वें गुरुवार में अतारकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

सिंचाई विभाग में सहायक भंडार अधीक्षकों का चयन

6--श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ ने सहायक भंडार अधीक्षक के पद के लिए 11-ई-3/77-78 के अन्तर्गत विज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पद के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उसमें कितने का चुनाव किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सिंचाई विभाग में सहायक भंडार अधीक्षक के पदों पर तदर्थ आधार पर अस्थायी एवं अनन्तिम रूप से नियुक्तियों हेतु गत वर्ष विज्ञापन संख्य 1-ई-3/77-78 जारी किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में 2,053 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 121 अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया।

7--श्री विश्व नाथ पाण्डेय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

8--श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]।

9--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]।

10--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

11--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

12--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

आगरा नगर की नहर खारिजा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

13--रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में दीवानी कचहरी के पूर्व की ओर जमुना नदी कमला नगर और विजयनगर के मध्य नहर खारिजा की हजारों वर्ग फुट भूमि बेकार पड़ी है ? क्या उस नहर खारिजा की 15 फुट चौड़ी दोनों पटरियों पर अनधिकृत कब्जे हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत कब्जों को हटाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी और भूमि का नीलाम कर सरकार को हानि से बचाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जनपद आगरा में दीवानी कचहरी के पूर्व में यमुना नदी की ओर कमला नगर तथा विजयनगर के मध्य सिंचाई विभाग की कुल 40.31 एकड़ भूमि थी जिसमें से 7.28 एकड़ मेसर्स जान एण्ड कम्पनी एवं 0.41 एकड़ लाला राम दयाल श्याम लाल को वर्ष 1916 में बेच दी गई तथा शेष 32.62 एकड़ नगर-पालिका, आगरा को वर्ष 1917 में स्थानान्तरित कर दी गयी। अतः कथित भूमि का सिंचाई विभाग से अब कोई सम्बन्ध नहीं है।

सीतापुर खण्ड, शारदा नहर की सिंचाई दर

14-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर प्रखण्ड शाखा नहर, सीतापुर के परिक्षेत्र में सिंचाई की दर में शिडयूल एक-अ लागू होता है जो कि सिंचाई की सबसे उच्चतम दर है जब कि सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं रहती ? यदि हां, तो सिडूल एक-अ लागू होने का क्या कारण है ? 1383, 1384, 1385 तथा 1386 (31-1-79) तक के प्रतिवर्ष उल्लिखित प्रखण्ड में कितना-कितना क्षेत्रफल सिंचित किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सीतापुर खंड, शारदा नहर, सीतापुर में सिंचाई के लिए अनुसूची 1-ए की दर राज्यादेशों के अनुसार लागू की गई हैं। इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई की दरें उच्चतम हैं। इस प्रखण्ड में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित है। सिंचित क्षेत्र के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :--

	खरीफ	रबी
	(एकड़ में)	
1383	72475	134040
1384	82627	119384
1385	70826	115684
1386	73171	113305

एस० डी० आई० तथा ए० आई० जी० एस० के नियमितीकरण की मांग

15–श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1965 से अब तक एस० डी० आई० तथा ए० आई० जी० एस० जिनकी सेवाएं तीन वर्ष से अधिक हैं, उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री कलाश नाथ सिंह––

जी हां इस हेतु सभी विभागों के लिए सामान्य रूप से शासन के कार्मिक विभाग न अधिसूचना संख्या 19–8/75–का–1, दिनांक 14 मई, 1979 द्वारा नियमावली बना दी है, जिसके अधीन परीक्षणोपरान्त अनुमोदन की कार्यवाही पूरी हो सकेगी ।

खीरी जिले के बरबर कस्बे में राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थापना की मांग

16–श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला खीरी के बरबर कस्बे में एक राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रार्थना–पत्र 23 मार्च, 1979 को भेजा गया प्राप्त हुआ, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

जी हां ।

आवश्यक जांच–पड़ताल कराने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिये गये हैं ।

17–श्री मन्ना लाल––

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

मेरठ जिले के देहाती क्षेत्र में कन्या जूनियर हाई स्कूल एवं छात्रों की संख्या

18–श्री सोहनवीर सिंह तोमर––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले के देहाती क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत लड़कियों के कितने ऐसे जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें 6, 7 तथा 8वीं कक्षाओं में एक भी विद्यार्थी नहीं है अथवा उक्त कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है ? ऐसे विद्यालयों में कुल कितनी अध्यापिकाएं कार्यरत हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह––

मेरठ जनपद में लड़कियों का कोई भी जूनियर हाई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें कक्षा 6, 7 व 8 की कक्षा में एक भी छात्रा नहीं है । 46 जूनियर हाई स्कूलों में उक्त कक्षाओं में 50 से कम विद्यार्थी हैं और इन विद्यालयों में 122 अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

19—श्री रवीन्द्र सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं उसका स्थानान्तरण

20—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, कार्यालय के कौन से व्यक्तिगत सहायक, मुख्य सहायक तथा अधिष्ठान लिपिक, लखनऊ में तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है और कौन लोग इस कार्य के उत्तरदायी हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय के वैयक्तिक सहायक, मुख्य सहायक तथा अधिष्ठान लिपिक जो लखनऊ में लगातार तीन वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं, की सूची* संलग्न है । सूची में अंकित वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक) को छोड़कर अन्य किसी को लखनऊ जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में शासन के कोई सामान्य आदेश नहीं है । वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक) के एक अधिकारी, लखनऊ में तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं जिन्हें अभी स्थानान्तरित करना कार्यहित में संभव नहीं है ।

21—श्री रवीन्द्र सिंह—

[2-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित] ।

22—श्री रवीन्द्र सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

23—श्री रवीन्द्र सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

24—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]—

25—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बस्ती जिले के टिनिच—दुबौलिया मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

26—श्री भीम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की टिनिच-दुबौलिया मार्ग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2, 3, 4 खाद्यान्न योजनाओं के अन्तर्गत बन रही है उस पर मनोरमा नदी तथा रवई नाले पर पुलबुज को 1979-80 के बजट में शामिल करने के लिए सा० नि० मन्त्री के दिनांक

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 726 पर ।

12-3-79 को आदेश देने के बाद भी शामिल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी 1979-80 वर्ष में टिनिच-दुबौलिया मार्ग के दोनों पाइल वृजों को बनाने की घोषणा करेंगे ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

19-3-79 को (न कि 12-3-79 को) प्रश्नकर्ता के पत्र पर सचिव को निर्देश दिये गये थे कि इन पुलों को बजट में सम्मिलित कर लें ।

वर्ष 1979-80 के बजट को 19-3-79 से पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया था । अतः 1979-80 के बजट में इन पुलों को सम्मिलित करना सम्भव नहीं था । इसलिए इस प्रकार की घोषणा करना सम्भव नहीं है ।

27--श्री राम दत्त जोशी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

28-श्री राम दत्त जोशी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

29-श्री रामदत्त जोशी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

नैनीताल जिले के काठगोदाम रौसिल-हैड़ाखान मार्ग के निर्माण की मांग

30-श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के भीमताल विकास खन्ड के अन्तर्गत काठगोदाम रौसिल-हैड़ाखान नामक मोटर मार्ग, खाद्यान्न-श्रम योजना की सहायता से पी० डब्लयू० डी० द्वारा निर्माण कराने के कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जनपद नैनीताल के भीमताल विकास खन्ड के अन्तर्गत काठगोदाम रौसिल-हैड़ाखान नामक मोटर मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है । अतः निर्माण कार्य आरम्भ कराने में विलम्ब, इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता ।

31-श्री राम दत्त जोशी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा-कुन्डा मार्ग का निर्माण

32-श्री बाबूलाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976-77 में प्रतापगढ़ में जठवारा-कुन्डा मार्ग निर्माण हेतु आयोजनागत एवं आयोजनेतर कार्यों के लिए 30.6 किलो मीटर नये सम्पर्क मार्ग के लिए 38.04 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क कोट पेन्टिंग स्टेज तक बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी हाँ ।

पूरी सड़क पर अप्रैल, 1979 तक प्रथम कोट तारकोल लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है । द्वितीय कोट लेपन स्तर का कार्य मैक्सफाल्ट की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है ।

एटा जिले में गंगा नदी की बाढ़ पर नियंत्रण हेतु उड़हर बांध के निर्माण की मांग

33--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा गत वर्ष जनपद एटा में गंगा नदी में आई बाढ़ से दुष्प्रभावित परगना उल्लाई, तहसील कासगंज के ग्राम लेहरा, बधेला, खड़री, दतलाना व उड़हर आदि गांव को गंगा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु ग्राम लेहड़ा से बधेला होकर उड़हर बांध का निर्माण कराने हेतु एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 23 अगस्त, 1978 को दिया था ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त ग्रामों की भावी बाढ़ से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक प्रस्तावित बांध की कार्यवाही प्रारम्भ करवा दी जायगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित 23 अगस्त, 1978 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी थी । जांच से पता चला कि उड़ेर बांध सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है तथा वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था म है तथा असुरक्षित है । इस बांध से जोड़कर आगे मिलाते हुए दूसरा बांध बनाना तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं है क्योंकि वह बांध भी गंगा की मुख्य धारा के निकट खादर क्षेत्र में होगा जहां कटान की समस्या है । इसलिए उड़हर बांध का निर्माण संभव नहीं है ।

34--श्री मुहम्मद रफी खां--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

35--श्री मुहम्मद रफी खां--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

36--श्री रामदत्त जोशी--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

एटा जिले की ग्राम सभा खोजपुर व नाथूपुर में जल निकासी योजना का सर्वेक्षण

37--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड सहावर की ग्राम सभा खोजपुर, गनशपुर, नाथूपुर के प्रधानों की ओर से एक संयुक्त आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 2 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ था जिसमें हजारों एकड़ प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाने वाली भूमि से बरसात का पानी

निकालने की व्यवस्था की मांग की गई थी ? यदि हां, तो अब तक शासन द्वारा मौजा खोजपुर उरोला की हजारों एकड़ भूमि को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां। ग्राम खोजपुर तथा नाथूपुर के 500 एकड़ प्रभावित क्षेत्र का पानी फर्रुखाबाद शाखा की दायीं पटरी के मील 17-5-600 पर काटकर नहर में निकलवा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 480 एकड़ क्षेत्र रबी की बुवाई हेतु उपलब्ध हो गया। केवल तालाबी 20 एकड़ क्षेत्र प्रभावित रह गया। पानी की निकासी हेतु स्थायी प्रबन्ध की योजना के सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

38--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

एटा जिले की कासगंज-अमापुर सड़क का निर्माण

39--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में कासगंज-अमापुर रोड कितनी पक्की हो चुकी है और कितनी पक्की होना बाकी है तथा शेष पक्का होने वाले मार्ग को कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जनपद एटा में कासगंज-अमापुर रोड की लम्बाई 15·20 कि० मी० है। कासगंज की ओर से 1·00 कि० मी० भाग पेटेड है और शेष 14·20 कि० मी० कंकड़ तथा ब्रिक वेलेस्ट से मेटेल्ड है। इस शेष भाग की पेन्टिंग धनाभाव के कारण स्वीकृति नहीं की जा सकी है।

40--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

गोरखपुर जिले की बासगांव तथा सदर तहसील में राजकीय नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

41--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बासगांव व सदर तहसील में कितने ऐसे सरकारी ट्यूबवेल हैं जिन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सका है ? शीघ्र उन्हें बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, गोरखपुर जिले की बासगांव तहसील में 34 तथा सदर तहसील में 13 ऐसे राजकीय नलकूप हैं जिन्हें बिजली का कनेक्शन अभी नहीं मिल सका है। इन नलकूपों के बी० एण्ड एल० फार्म जमा किये जा चुके हैं और इनके विद्युतीकरण की कार्यवाही विद्युत् विभाग द्वारा की जा रही है।

42--श्री रवीन्द्र सिंह--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

बस्ती जिले में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

43--बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1978-79 में खाद्यान्न योजना नं० 4 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र के अनुसार किन-किन मार्गों का निर्माण कराया गया है ? उन मार्गों पर अलग-अलग कितना खाद्यान्न दिया गया है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जनपद बस्ती में वर्ष 1978-79 में विधान सभा क्षेत्र के अनुसार खाद्यान्न योजना नं० 4 के अन्तर्गत जिन मार्गों का निर्माण कराया गया और उन मार्गों के निर्माण के लिये जो खाद्यान्न दिया गया उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(1) देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 729 पर ।

बस्ती जिले के मानपुर-रुधौली मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

44--श्री बाबू राम वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानपुर-रुधौली मार्ग के शेष भाग को पक्का करने के सम्बन्ध में आगामी वर्ष में विभाग विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी नहीं ।

45--श्री राम लखन--

[6ठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

46--श्री सुरेन्द्र पाल--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आगरा के कर्मचारियों का निलम्बन भत्ता

47--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जून, 1978 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय से सम्बन्धित 18 कार्यरत एवं 4 अवकाश प्राप्त अधिकारी एवं कर्मचारी निलम्बित किये गये थ तथा आदेशानुसार कार्यरत निलम्बित को निलम्बन भत्ता तथा अवकाश प्राप्त को आधी पेंशन दी जानी थी ? क्या अब कार्यरत का निलम्बन आदेश वापस हो गया है परन्तु अवकाश प्राप्त को पूरी पेन्शन नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन व्यवस्था करेगी कि अवकाश प्राप्त को पूरी पेन्शन मिले ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

अवकाश प्राप्त अधिकारी निलम्बित नहीं किये गये थे । केवल 18 कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये गये थे। इन निलम्बित अधिकारियों तथा कर्मचारियों

को जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। 4 अवकाश प्राप्त अधिकारियों के मामलों में अन्तिम निर्णय होने तक केवल आधी पेंशन दिये जाने के आदेश दिये गये थे। निलम्बित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक अवकाश प्राप्त अधिकारियों को आधी पेंशन तथा पूरी ग्रेच्युटी न दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

डा० लाल बहादुर, अवकाश प्राप्त प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, एटा का अवशेष वेतन

48--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता (श्री श्याम दत्त पालीवाल) को श्री सतीश चन्द्र गुप्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र अ० शा० पत्रांक अर्थ/दो-33(69)-78-79, दिनांक 19 फरवरी, 1979, जिसमें सूचना दी गयी कि डा० लाल बहादुर, अवकाश प्राप्त प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, एटा को देय अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में स्वीकृत आदेश निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ/2936/400/दो-33(69)-78-79, दिनांक 17 जनवरी, 1979 द्वारा निर्गत किया जा चुका है? यदि हां, तो डा० लाल बहादुर को अभी तक वेतन की अवशेष धनराशि क्यों नहीं मिली है?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जी हां। अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

इलाहाबाद के नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49--श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप सं० 259-एच के चालक के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, इलाहाबाद के पत्र संख्या 225 सिंचाई टी० 18 (बी०), दिनांक 16 जनवरी, 1979 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, इलाहाबाद को आदेश दिया है? यदि हां, तो लिखित शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां, पत्र संख्या 275 सिंचाई/टी०-18 (बी), दिनांक 16-1-79 द्वारा प्रश्नगत नलकूप चालक के विरुद्ध शिकायत निम्न प्रकार थीं--

(1) थोक चार्ट न होने के कारण पानी का स्वयं वितरण करना।

(2) विशेष जाति एवं वर्गों के लोगों को ही सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, कमाण्ड के बाहर सिंचाई कराना एवं शिकायत करने पर नलकूप को खराब करवा देना आदि।

(3) अपने को श्री चरण सिंह के गुट का आदमी बताना।

(4) किसानों को धमकी देना, सिंचाई सम्बन्धी जानकारी न देना, लोगों की सिंचाई उनके नाम न लिखकर अन्य कृषकों के नाम अधिक लिख देना, तथा

(5) दो दलों में झगड़ा कराने का प्रयास करना ।

उक्त शिकायतों की जांच करने पर केवल क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित तथा क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कमाण्ड से बाहर सिंचाई करने की शिकायतें आंशिक रूप से सत्य पाई गयीं जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कूप चालक को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है ।

50—श्री राम नरायन वर्मा—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

51-52—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

गोण्डा जिले के पिपराघाट पर पुल निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

53—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला विधान सभा क्षेत्र, जिला गोण्डा के अन्तर्गत पिपराघाट का पुल बनवाने हेतु प्रार्थना-पत्र हाल में दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होने की आशा है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-7-78 जो मंत्री क्षेत्रीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित तथा तत्कालीन उप मन्त्री, क्षेत्रीय विकास, श्री बाबूलाल वर्मा के माध्यम से मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

धनाभाव के कारण पुल बनाने का कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है ।

इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह पुल कब तक स्वीकृत होगा क्योंकि यह कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

54—श्री हरिश्चन्द्र—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

बस्ती जिले के रिठिया ग्राम का नलकूप

55—श्री हरिश्चन्द्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिलान्तर्गत मिठवल विकास खन्ड के रिठिया ग्राम में स्थित ट्यूबवेल नम्बर 15 बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां । बस्ती जिलान्तर्गत मिठवल विकास खंड के रिठिया ग्राम में स्थित नलकूप संख्या 15 बांसी समूह मई, 1975 म असफल हो जाने के कारण बन्द पड़ा है । इस के लिये विभाग दोषी नहीं है, अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस नलकूप का पुनर्निर्माण हो गया है तथा इसका विद्युतीकरण विद्युत् विभाग से अपेक्षित है ।

फैजाबाद जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

56—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें रख रखाव के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को मार्च, 1979 तक हस्तान्तरित की गयी है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मार्च, 1979 तक फैजाबाद जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित कोई सड़क रख रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी है ।

इस योजना के अन्तर्गत अधूरी निर्मित निम्नलिखित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य पूरा करने हेतु फरवरी, 1977 में हस्तान्तरित की गई थी । निर्माण कार्य समाप्त होने पर इन सड़कों का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

क्रम सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई
		कि0 मी0
1	सुचेतागंज दौलतपुर मार्ग	5·68
2	तारा हैदरगंज कुडेभार मार्ग	15·00
3	मुबारकगंज-पिलखवां मार्ग	2·28
4	वाला पकौली-तरायबीर सिंहपुर मार्ग	6·50
5	मायाबाजार महबूबगंज मार्ग	12·045
6	बसखारी टाण्डा मार्ग	7·10
7	महरुआ मथानी मार्ग	7·10
8	टाण्डा बसखारी मार्ग	7·10
9	कुमारगंज-खंडासा मार्ग	10·10

57-58—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

देवरिया जिले के महुवाडीह-हेतिमपुर तथा देसही-देवरिया मार्ग को पिच किये जाने की मांग

59—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सबसे पुराने मार्ग महुआडीह हेतिमपुर को पिच कराने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करायेगी ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

इस सड़क को पिच कराने का कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः पिच कराने में विलम्ब अथवा निर्माण कार्य आरम्भ कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के सबसे व्यस्त मार्ग देसही–देवरिया की स्थिति अत्यन्त ही जीर्णशीर्ण है, जिससे बरसात में यातायात अवरुद्ध हो जाता है, को पिच कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

देवरिया जनपद में देसई–देवरिया मार्ग को समय पर मरम्मत कराई जाती है। यद्यपि लोपित नहीं है, इसे जीर्ण–शीर्ण अवस्था में कहना उपयुक्त न होगा पिच कराने की कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं है। पिच कराने का कार्य स्वीकृत होना धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

61—श्री बाबू लाल वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

फतेहपुर के ग्राम होलापुर व टिकरा का नलकूप

62—श्री जगन्नाथ सिंह गौतम (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री उत्तर प्रदेश को जानकारी है कि फतेहपुर जिला के उत्तरी बिन्दकी के ग्राम होलापुर, भदोकीपुर, छिबली, टिकरा के राजकीय नलकूप कई सालों से बन्द पड़े हुए हैं ? क्या सरकार इन ग्रामों के राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

ग्राम होलापुर तथा ग्राम टिकरा के नलकूपों का विद्युतीकरण होना शेष है। विद्युतीकरण के पश्चात् यह कार्यरत हो जायेगा। ग्राम छिबली का नलकूप 11/78 से उर्जीकरण के पश्चात् चालू दशा में है ग्राम भदोकीपुर में कोई राजकीय नलकूप नहीं है।

63—श्री मान पाल सिंह एडवोकेट—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में आपकी व्यवस्था चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप हमारे कक्ष में बात कर लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज की कार्य सूची में जितने भी प्रश्न शिक्षा, सिंचाई और पुलिस विभाग से सम्बन्धित थे उनको 7 वें बुधवार के लिए स्थगित कर दिया गया और उस दिन उनको प्राथमिकता मिलेगी जिससे जो पुराने प्रश्न हैं, वे लटक जायगे। तो मेरी प्रार्थना है कि कुछ प्रश्न किसी दिन ले लिए जांय और कुछ प्रश्न किसी दूसरे दिन ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है देख लूंगा।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहम्मद अब्दुस्समद, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा तथा श्री रघुराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मुझे दुःख के साथ सदन के 3 माननीय भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना देनी है। माननीय श्री मोहम्मद अब्दुस्समद (वाराणसी), श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, भूतभूर्व सदस्य, सुल्तानपुर और श्री रघुराज सिंह, भूतपूर्व सदस्य, गोंडा।

श्री मोहम्मद अब्दुस्समद बहुत पुराने और पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग के नेता रहे हैं। 23 अप्रैल, 1979 को लगभग 1 बजकर 20 मिनट पर उनका देहान्त हो गया। अपने पीछे वे भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। वर्षों तो उन्होंने इस सदन में जनता की सेवा की है, जनता के सवाल उठाए हैं। कालीन उद्योग में आप काफी रुचि रखते थे। वर्ष 1952 से 1962 तक इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। आप आल इंडिया कार्पेट मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन की स्थापना करके इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। इनको लन्दन जाने का अवसर भी मिला था और कालीन उद्योग को बढ़वा देने और विदेशों में बिक्री करने की व्यवस्था में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक जाति के व्यक्ति की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। उनके जाने से सदन को बहुत दुख हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन की इन भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

दूसरे कुंवर कृष्ण वर्मा जी सन् 1952 में कांग्रेस के टिकट पर इस सदन में आये। 20 मई, 1979 को दिन में लगभग 12 बजे उनका निधन हुआ। ये भी काफी पुराने सदस्य इस सदन के रहे हैं। जन सेवा उनका परम कर्त्तव्य था। इन्होंने काफी दिनों तक जनता की सेवा की है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं। चूंकि अब जनता को उनकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा अतः उनके स्थान की रिक्ति की पूर्ति करना असम्भव सा लगता है। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सदन की इन भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

तीसरे भूतपूर्व विधायक श्री रघुराज सिंह जी हैं। उनसे मेरा भी परिचय रहा है। 1952 में इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं जब मैं भी यहां का सदस्य रहा हूं। वे तरबगंज, जिला गोंडा को रिप्रेजेन्ट करते रहे हैं। मेरी भगवान से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे—]

प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और आपसे प्रार्थना है कि आप सदन की इन भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें । मेरा निवेदन है कि आप इस सदन की भावना से इन तीनों दुखित शोक सन्तप्त परिवारों को अवगत कराने की कृपा करें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला भरतपुर)—

श्रीमन्, जो भावनायें माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने व्यक्त की है उससे मैं अपने आपको और अपने दल को विशेष रूप से सम्बद्ध करता हूं । यह तीनों ही भूतपूर्व विधायक कांग्रेस दल के थे और यह तीनों प्रथम बार सन् 1952 में यहां पर चुन कर आये थे और इस आदरणीय सदन की शोभा बढ़ायी थी । श्री मोहम्मद अब्दुस्समद का विशेष सम्बन्ध पिछड़े वर्ग से था और उन्होंने कालीन उद्योग के लिए विशेष सराहनीय कार्य किया । वे आल इन्डिया कारपेट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1948 में महाराजा आदित्य नारायण इन्टर कालेज की स्थापना करके उसके जीवन पर्यन्त संस्थापक प्रबन्धक बने रहे । नगरपालिका भदोही के भी अध्यक्ष काफी वर्षों तक रहे तथा काफी वर्षों तक कालीन उद्योग में लगे श्रमिकों, गरीबों तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की मांगों को यहां सदन में उठाते रहे । उनके निधन से श्रमिक वर्ग के लिए काफी क्षति है । इस प्रदेश में उनका अभाव महसूस होता रहेगा ।

इसी प्रकार श्री कुंवर कृष्ण वर्मा के निधन से भी प्रदेश को काफी क्षति हुई है । वे भी कांग्रेस टिकट पर 1952 में चुनकर आये थे । आपके पिता एक यशस्वी, एडवोकेट थे और वर्मा जी भी बड़े लोकप्रिय जाने-माने अधिवक्ता थे । हमारे दल को इनके निधन से विशेष क्षति हुई है । इनका अभाव काफी समय तक प्रदेश को खलता रहेगा ।

स्वर्गीय श्री रघुराज सिंह सन् 74 में मेरे साथ विधायक थे । सर्व प्रथम वे 1952 में कांग्रेस टिकट पर चुन कर आये थे । स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उन्होंने बड़ी यातनायें सही थीं । सन् 1942 में वे कई बार जेल गये थे । यदाकदा बीमार भी रहे थे । उनके साथ बठने और सम्पर्क में रहने का काफी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । वे गरीबों और श्रमिकों की ही बात सदन में उठाया करते थे । आज उनके निधन से प्रदेश को अपार क्षति हुई है । हमारी और हमारे दल की भावनायें आप तीनों शोक सन्तप्त परिवारों तक भेजने की कृपा करें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

स्वर्गीय श्री मोहम्मद अब्दुस्समद और कुंवर कृष्ण वर्मा और श्री रघुराज सिंह जी के स्वर्गवास के बारे में जो भावनायें अभी माननीय दिघे जी, माननीय गुलाब सेहरा जी ने व्यक्त की है, उनके साथ में भी अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । यह तीनों व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्रों में जाने-माने राजनैतिक नेता थे और उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा धक्का लगा है । मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी भावनाय तीनों सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्री मोहम्मद अब्दुस्समद, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा और श्री रघुराज सिंह के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय दिघे जी, माननीय गुलाब सेहरा जी व माननीय नेगी ने व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री अब्दुस्समद कांग्रेस टिकट पर चुनकर आये थे और उनकी एक अभूतपूर्व प्रतिमा थी। कालीन उद्योग और शिक्षा जगत में साथ-साथ दे सराहनीय कार्य करते रहे। उनके निधन से वाराणसी जनपद की और इस प्रदेश की अपार क्षति हुई है जिसका पूरा होना निकट भविष्य में असम्भव लगता है। श्रीमन्, इसी प्रकार श्री कुंवर कृष्ण वर्मा जी जो सन् 1952 में कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा में चुने गए थे और वह लोक सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। उनके निधन से इस प्रदेश को अपूर्णनीय क्षति हुई है। इसी प्रकार श्रीमन्, श्री रघुराज सिंह जो स्वतन्त्रता संग्राम के महान सेनानी था। वे सुभाष इन्टर कालेज के आजीवन सदस्य और टी० बी० सैनीटोरियम के आजीवन सदस्य रहे तथा उनका गरीबों मजदूरों तथा पिछड़े वर्ग के प्रति अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन तीनों विभूतियों के उठ जाने से ऐसा लगता है कि जिनकी हमें सेवाओं की आवश्यकता है, उनकी रिक्तियों से हमें भविष्य में काफी दुःख और परेशानी उठानी पड़ रही है। तीनों के तीनों माननीय सदस्य हमारी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि और हमारे दल की तरफ से श्रद्धांजलि उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय अब्दुस्समद, माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा, तथा माननीय रघुराज सिंह के निधन पर माननीय दिघे जी ने व अन्य नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को उससे सम्बद्ध करता हूं: मान्यवर, ये तीनों सदस्य सदन के सदस्य के रूप में तथा सदन के बाहर जनपदों के साथ जुड़े रहकर, इन्होंने जो भूमिका निभाई, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदनाएं इन तीनों दिवंगत आत्माओं के सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मन्त्री, श्री गुलाब सेहरा, श्री देव बहादुर सिंह और श्री राम आसरे वर्मा ने जो विचार श्री मोहम्मद अब्दुस्समद, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा और श्री रघुराज सिंह के बारे में व्यक्त किये हैं, मैं इस माननीय सदन को और अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। ये तीनों ही नेता उस पीढ़ी के थे जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान किया था और जिनके कारण हमारा मुल्क स्वतन्त्र हुआ। ये तीनों माननीय सदस्य इस विधान सभा में वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक सदस्य रहे और तीनों ही अपने-अपने जिलों में उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते थे। उनके निधन से इस प्रदेश की विशेष हानि हुई है। मैं माननीय नेताओं की और सदन के माननीय सदस्यों की ओर अपनी समवेदनाओं को इन तीनों दिवंगत विभूतियों के सन्तप्त परिवारों को भेज दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करने के

[श्री उपाध्यक्ष---]

लिए हम लोग दो मिनट के लिए खड़े होंगे और उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगे ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए) ।

औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)---

श्रीमन्, बड़े आदर से कहना चाहता हूं, एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले नियम ३०१ की सूचनायें ली जाती है । ३०१ के बाद आप कोई औचित्य का प्रश्न उठाना चाहें और सूचना दी होगी तो मैं सुनूंगा ।

जिला गोरखपुर के ग्राम भलूही में अग्नि काण्ड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन के संज्ञान में ग्राम भलूही, जिला गोरखपुर में चन्द दिन पूर्व हुए भीषण अग्नि कान्ड को लाना चाहता हूं । इस अग्नि कान्ड में करीब ७० घर पूरी तरह जलकर राख हो गये । ये प्रायः हरिजनों एवं कमजोर लोगों के घर के करीब तीन लाख रुपये के क्षति का अनुमान है । सखेद सूचित करना पड़ता है कि अभी तक केवल 600 रुपये पीड़ितों में बांटे गये हैं । पास पड़ोस के गांव वाले और सार्वजनिक संस्थायें तो सहायता कार्य में लगी हुई हैं परन्तु शासन की मशीनरी बिल्कुल मौन है । इस कड़ाके के धूप और लूं में घर बिहीन लोग बगीचे में रहकर दिन व्यतीत कर रहे हैं । शासन की उदासीनता से लोगों में असंतोष का वातावरण व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से तुरन्त ध्यान देने की माँग करते हुए भरपूर आर्थिक सहायता दी जाये तथा समीपवर्ती जंगल से लकड़ी तथा अन्य सुविधाओं की मांग करता हूं ।

गोंडा जनपद की तरबगंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम गड़रिया पुरवा में अग्नि कान्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गोंडा जनपद के तहसील तरबगंज के अन्तर्गत मौजा लगवा कल्याण पुरवा के अन्तर्गत गड़रिया पुरवा में 16 जून, 1979 को रात में अचानक लगी भीषण अग्नि काण्ड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

मान्यवर, उक्त ग्राम में लगी आग से सम्पूर्ण गड़ेरिया का पुरवा जल कर राख हो गया लोगों में त्राहि-त्राहि मची है। लाखों की सम्पत्ति जल कर नष्ट हो चुकी है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तुरन्त अग्नि काण्ड से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता तथा खाने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा तथा मांग करता हूं।

आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्नि

काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के

संज्ञान में लाना

*श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्राम आराजी देवारा नंनीजोत (नई बस्ती) आराजी देवारा करसिया किता अव्वल (बाढ़ू का पूरा) गोड़ोती रोशनगंज एवं बादम पट्टी हरिजन बस्ती में हुए भीषण अग्निकांड के लोक महत्व के प्रश्न की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, उपरोक्त पाँच गांवों के करीब 70 घर जलकर राख हो गये हैं। एक औरत और 11 पशु जलकर मर गये हैं। घर में रखे अनाज, भूसा एवं अन्य गृहस्थी के सारे सामान जलकर राख हो गये हैं।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के दौरे के समय उपरोक्त सभी गांवों में गया हूं, वहां का दृश्य इतना हृदय विदारक है कि कोई भी कठोर से कठोर दिल वाले मनुष्य का हृदय विदीर्ण हुए बिना नहीं रह सकता है। पूर्ण बस्ती के लोग अपने बच्चों, पशुओं को लेकर पेड़ों के नीचे शरण लिये हुए हैं। इस तपती धूप और उष्णतम् लू में प्रभावित लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस प्रकार मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मैं आश्वासन चाहूंगा कि कोई स्थाई व्यवस्था न होने तक इन लोगों को टेन्ट, तम्बू, भोजन एवं पशुओं को चारा अविलम्ब सहायतार्थ दिया जायेगा, जिससे प्रभावित लोगों को अपनी विपत्ति झेलने में थोड़ी राहत महसूस हो सके तथा सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन पीड़ित लोगों को अविलम्ब अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की जावे।

फिरोजाबाद, आगरा में पेय जल संकट के विषय को नियम

301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करता हूं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में पीने के पानी का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। गत एक सप्ताह से नगर पालिका के नलों में पानी आना दूभर हो गया है। नगर पालिका के जलकल संस्थान के 15 नलकूपों में से केवल 10 नलकूप ही पानी देने को सक्षम हैं। लेकिन उनमें से भी प्रतिदिन दो या तीन नलकूप खराब होते रहते हैं जिससे फिरोजाबाद की जनता को पीने का पानी मिलना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुबर दयाल वर्मा--]

अत्यंत दूभर हो गया है । गरीब मजदूर लोग 100-100 की संख्या में नलों पर लाइन बनाये खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पानी नहीं मिल पाता । सुबह दो घन्टे पानी मिल पाता है जिससे फिरोजाबाद में गन्दगी और पानी की समस्या विकट बन गयी है ।

मान्यवर, विधान सभा में मुझे यह आश्वासन मिला था कि दो नलकूप मार्च, 1979 तक लगा दिये जायेंगे और पानी देना शुरू कर देंगे । मेरे बराबर लिखने के बावजूद भी जल निगम ने आश्वस्त किये हुये नलकूप अभी तक न बनवा पाये हैं और न पानी ही दिया जा रहा है । फिरोजाबाद में 10 नलकूपों का निर्माण हो और चन्दवार गेट पर रामनगर स्थित मोहल्ले के लिये एक नलकूप और पानी की टंकी की अलग से व्यवस्था हो जहाँ से पानी उस क्षेत्र में सप्लाई किया जा सके ।

मान्यवर, पेयजल के घोर संकट से आये दिन फिरोजाबाद में जलकल संस्थान का घेराव होता है और जनता के लोग बाल्टी और मटका लेकर नगरपालिका के अधिकारियों का घेराव करते हैं जिससे किसी भी क्षण फिरोजाबाद की शान्ति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है नागरिकों में बेहद असंतोष उभर रहा है और जन मानस हिल उठा है । अस्तु आपसे निवेदन है कि फिरोजाबाद की पेयजल समस्या को हल करने हेतु जल नियम उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त सुझाये गये नलकूपों का तुरन्त निर्माण हो और प्रभावी ढंग से इन कुंओं का निर्माण कर पानी सप्लाई की व्यवस्था तेज की जावे ताकि नागरिकों को राहत मिले ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की गृह परीक्षा में नये नियमों के लागू करने से भारी संख्या में छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की गृह परीक्षाओं में प्रोन्नति के नये नियमों के लागू होने से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं । शिक्षा निदेशक उ० प्र० के पत्रांक शिविर/57-57-1072/78-79, दिनांक लखनऊ, 8-9-1979, जो समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों व मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को प्रेषित है द्वारा एक जबरदस्त भेद भाव एवं असंगति की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । गृह परीक्षायें चूंकि विद्यार्थियों को बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के लिये तैयार करती हैं अतः उनके नियम भी बोर्ड की परीक्षाओं के अनुरूप ही होने चाहिये और इसलिये गृह परीक्षाओं में भी कक्षा प्रोन्नति केवल वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित कार्य क्षमता के आधार पर होनी चाहिये । सन् 1978-79 में गृह परीक्षाओं में सत्र भर की परीक्षाओं के सम्मिलित परिणाम पर आधारित प्रोन्नति नियम से भारी संख्या में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुये हैं और परीक्षाफल कहीं-कहीं तो 25-30 प्रतिशत से ऊपर नहीं बढ़ सका जिससे अभिभावकों में घोर असंतोष व बेचैनी व्याप्त है । यहां तक कि अनेक विद्यालयों में कक्षायें समाप्त हो जाने का भी संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि इन वार्षिक परीक्षाओं में स्पष्टतया उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्पूर्ण वर्ष भर की परीक्षाओं के परिणामों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को वार्षिक परिणामों में सम्मिलित कर लिये जाने के कारण अनुत्तीर्ण होना पड़ता है ।

मान्यवर, आश्चर्य इस बात का है कि उक्त नियम केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अन्तर्गत संचालित कक्षा 6–7 पर तो प्रभावी बनाये गये हैं किन्तु जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 6–7 में यह नियम लागू नहीं किये गये जो कि कानून एवं न्याय की दृष्टि में उचित न होकर भेदभावपूर्ण है । यही नहीं नये प्रोन्नति नियम शिक्षा संहिता के नियम 119–बी के अन्तर्गत प्रधानाचार्यों को प्रदत्त शक्तियों में भी अनुचित हस्तक्षेप करते हैं । और उक्त धारा के विरुद्ध होने के कारण बिना शिक्षा संहिता में संशोधन किये उन्हें लागू करना गैर कानूनी भी है । इनके लागू होने से सत्र के प्रारम्भ में कमजोर विद्यार्थियों को अपने परिश्रम द्वारा वार्षिक परीक्षा में अच्छे परिणाम प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि सम्पूर्ण सत्र में परिणामों को सम्मिलित कर दिये जाने से उसे पीछे घसीटना पड़ता है, विशेष रूप से राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जहां इन नियमों का कड़ाई से पालन हुआ है स्थिति और भी विस्फोटक बन गयी है । और अध्यापकों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच हिंसक घटनायें भी प्रकाश में आ रही हैं ।

अस्तु शिक्षा मंत्री इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर ध्यान देकर उपरोक्त पत्रांक में उल्लिखित प्रोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन लागू करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसमें शिक्षा मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें क्योंकि कक्षायें बन्द हो रही हैं और 25–30 फीसदी रेजल्ट आया है इसलिये अभिभावकों में परेशानी हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष––

शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार कर लें ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में अग्नि काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान माह मई के अंतिम सप्ताह में भीषण अग्निकांड की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र, सिसवा बाजार, गोरखपुर के ग्राम सभा पिपरिया, कमनिसवां सन्डार खुर्द निचलोल ब्लाक और शबपुर, गौरी किशुन, फटकदोना के राजधारी यादव आदि ढाई सौ परिवारों का घर पूरी रबी की फसल पशुओं का चारा सभी सामान एवं भारी–भारी छतें जलकर राख हो गयीं किन्तु शासन की लापरवाही के कारण तत्काल सहायता पहुंचाने में विलम्ब किया गया जबकि आपदा कोष में इन कांडों में मदद पहुंचाने हेतु जिला मुख्यालय पर धन रहता है किन्तु इस शासन की लापरवाही के कारण मेरे द्वारा 5 मई, 1979 को अन्य गाँवों में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने हेतु माननीय राजस्व मंत्री जी को पत्र लिखा था जिस पर माननीय उप मुख्य मंत्री राजस्व ने जिला स्तर से धन की सूचना मांगी थी किन्तु जिला र की लापरवाही से अभी तक उपर्युक्त सूचना शासन को नहीं दी गयी है ।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—]

इस तरह की लापरवाही से मुझे तथा क्षेत्र की जनता को काफी खेद है। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से यह मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र की सभी प्रकार की वसूलियां तथा मालगुजारी माफ करते हुये रोक देवें। अतः माननीय सदन से अनुरोध है कि अग्नि प्रकोप में आग बड़े छोटे का कोई असमानता का भेद भाव नहीं रखती है। इस स्थिति को देखते हुये सहायता देते समय एक एकड़ तथा 5 एकड़ का ध्यान न देकर क्षति के अनुसार सब को सहायता दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करते हुये मांग करता हूं कि अग्नि पीड़ित परिवार को घर बनाने के लिए लकड़ी तथा पशुओं को चारा हेतु राज्य सरकार द्वारा मुफ्त व्यवस्था की जाय तथा उन गरीब परिवारों को खाने की संपूर्ण व्यवस्था शासन द्वारा करने की मांग करता हूं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री शिव वर्मा व महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का पेन्शन बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा ने अमर शहीद भगत सिंह के साथी श्री शिव वर्मा एवं एक मात्र महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी को दी जाने वाली राजनैतिक पेंशन बन्द कर दिये जाने के सिलसिले में "औचित्य का प्रश्न" उठाने की अनुमति माँगा है। इसको मैंने अस्वीकृत किया।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, शासन को अधिकारी बदनाम करने को कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि अमर शहीद भगत सिंह के साथी श्री शिव वर्मा एवं दुर्गा भाभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, जिनको 1947 से पेन्शन अभी तक मिलती रही है लेकिन 31 मई, 1979 से राजनैतिक पेन्शन बन्द करने के आदेश उनको दे दिये गये हैं, तो इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसको अस्वीकृत कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

राम आसरे वर्मा जी ने जो सूचना दिया है उसमें निवेदन है कि श्री शिव वर्मा और दुर्गा भाभी को कौन नहीं जानता। राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका कितना बड़ा महत्व रहा है। यदि माननीय सदस्य की सूचना सही है तो यह उनके प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति अपमान है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रश्न नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वह इस मामले की जांच करवायें और जिस अधिकारी द्वारा यह पेन्शन समाप्त की गयी है उसको दंडित किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है ?

(व्यवधान)

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं औचित्य के प्रश्न पर। मान्यवर, श्री राम आसरे वर्मा ने यह प्रश्न उठाया है, उन्होंने जो कहा। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में लिखित आपको दिया है कि आपकी आज्ञा से सदन में औचित्य का प्रश्न उठायेंगे। आप कह रहे है कि इसको हम स्वीकार नहीं करते। श्रीमन्, स्वीकृति या अस्वीकृति की बात तब आयेगी जब आप सुन लेंगे। यहां तो उन्होंने केवल उठाने की आज्ञा मांगी है। इसको वर्मा जी उठायें और सदन को मालूम हो जाए और तब आप अपने विवेक से कह सकते हैं कि हम इसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। आप कह सकते हैं कि यह कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं है, औचित्य का प्रश्न नहीं है। लेकिन आप सुन तो लें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, दुर्गा भाभी और शिव वर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे और उनकी पेन्शन बन्द करना स्वतंत्रता संग्राम का और इस सारे देश का अपमान है। आप सरकार से पूंछें कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा नियम 300 पढ़िये। वह जो तथ्य है वह अलग की बात है। यह मेरे ऊपर है कि औचित्य के प्रश्न में हम इसको स्वीकार करें या न करें। जब हम आपको अनुमति देंगे तभी तो आप इसको उठायेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप नियम 300 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जीरो अवर में इस तरह के प्रश्न उठाये जाने चाहिये। यह प्रश्न केवल दो व्यक्तियों का नहीं है। यह प्रश्न केवल किसी व्यक्ति की तनख्वाह खत्म करने का नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जो इतिहास में अमर रहेंगे उनको यह कहना कि धोखा देकर उन्होंने पेन्शन प्राप्त की है और उनकी पेन्शन का पट्टा खत्म कर दिया जाये, यह बड़ी शर्मनाक बात है।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आपका यह तरीका बहुत गैर मुनासिब है। जब आप चाहते हैं, उठकर बोलने लगते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने आपको लिखकर दिया और आपसे अनुमति मांगी। अगर आप पहले ही निर्णय कर देंगे तो हमारे अधिकार, जिसका संरक्षण आपको करना है, आप उससे हमको वंचित करेंगे। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। इससे बड़ी और कोई घटना नहीं हो सकती है कि आज के इस शासन में पूरी राष्ट्रीय मर्यादा को कलंकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ला सकते थे, नियम 301 में ला सकते थे लेकिन यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

*वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी और वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है जिस पर आपने निर्णय दिया कि इसे औचित्य के प्रश्न के तरीके से नहीं उठाया जा सकता। यह आपका अधिकार है। जो प्रश्न उठाया गया है उस पर माननीय मंत्री जी स्वयं यहां तैयार हैं कहने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है। किसी अफवाह पर जिसमें तथ्य न हों जानकारी हुई हो तो मैं समझता हूं उसका निराकरण हो जायगा।

राज नैतिक पेन्शन मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)--

मान्यवर, जहां तक दुर्गा भाभी का प्रश्न है उसमें ऐसा है। शिव वर्मा के बारे में भी बता रहा हूं। ऐसा है कि विभाग के द्वारा यह जानकारी की गई थी कि जिन लोगों को पेन्शन प्राप्त हो रही है वह सही व्यक्तियों को प्राप्त हो रही है या नहीं ? इस संदर्भ में दुर्गा भाभी के निवास स्थान पर कई बार अधिकारी गये। वह वहां नहीं मिली। बहरहाल विभाग ने यह जानकारी कर ली कि उन्हें पेन्शन सही दी जा रही है। उन्हें पेन्शन बराबर दिये जाने के आदेश हो चुके हैं। इस कारण पेन्शन बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता जहां तक शिव वर्मा का प्रश्न उठता है मैं व्यक्तिगत शिव वर्मा को जानता हूं। यहां पर बात आई है मैं अभी जाऊंगा और उनकी पत्रावली को देख लूंगा। माननीय सदस्य चाहेंगे तो जानकारी मुझसे कर लेंगे।

आज शोक प्रस्ताव को उप मुख्य मंत्री द्वारा न रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रणजीत सिंह "जुदेव" (जिला झांसी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी तीन सदस्यों की निधन की सूचना दी गयी थी सदन में और उनको श्रद्धाञ्जलियां व्यक्त की गयी। लेकिन श्रीमन्, उप मुख्य मंत्री नारायण सिंह जी के हाउस में रहते हुये संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमें यह सूचना दी। वरिष्ठता के हिसाब से श्रद्धांजली दी जानी चाहिये। जब उप मुख्य मंत्री यहां पर थे तो उनको इस सम्बन्ध में सूचना दी जानी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले भी एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रश्न उठाया था। वैसे तो माननीय नेता सदन को ही निधन का प्रस्ताव पेश करना चाहिए लेकिन जब नेता सदन न हों तो कोई भी मंत्री उसको पेश कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।

व्यापारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्यामधर मिश्र जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है मैं पहले उसमें निर्णय दे दूं। श्री श्यामधर मिश्र ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

300 में दिया है, श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पढ़े दे रहा हूं....

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भाषण करने लगेंगे। मैंने स्वीकार नहीं किया है....

*श्री श्यामधर मिश्र--

संक्षिप्त रूप में कहूंगा, श्रीमन्। मैंने प्रश्न उठाया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में व्यापारियों के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया और उसका लखनऊ में कुछ परिपालन हुआ ऐसा कल मालूम हुआ। उन्होंने वक्तव्य में यह भी कहा कि कल उनकी एक सभा होगी उसको वह सम्बोधित करेंगे यह भी मालूम हुआ कि यह सभा नहीं हुई। यह भी मालूम हुआ कि दिल्ली के लोगों ने श्रीमन्, दो हजार चूड़ियां भेजी हैं व्यापारियों के लिए। कानपुर, बनारस, इलाहाबाद में फिर भी हड़ताल हो रही है। यह क्या व्यवस्था चल रही है, श्रीमन्? क्या हमें जानकारी होगी कि कानपुर में क्या हालत है? आपका समझौता हो गया है। यह किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है क्या इनमें कोई जानकारी देंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न जानकारी के बारे में नहीं था। यह औचित्य का प्रश्न है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, नियम 300 में जानकारी चाहिए....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

इस पर चर्चा करा लीजिए....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा हो चुकी है । इसको मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में अस्वीकार किया है ।

बरेली जिला अस्पताल के डाक्टरों व कर्मचारियों द्वारा श्री चेतराम गंगवार सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार तथा श्री चेतराम गंगवार द्वारा सदन की सदस्यता से त्यागपत्र

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं अपने से सम्बन्धित घटना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें । इसे कल ले लिया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

मुझे आप सुन लें । 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको कल समय दूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

तीन महीने पहले भी मुख्य मंत्री को लिख कर दिया था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । डाक्टर्स का ट्रान्सफर तक नहीं हुआ ।

31 मार्च को मैं दवा लेने गया था । मेरे प्राइवेट डाक्टर एस० पी० आर्य हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको निर्देश देता हूं कि कल आप इसके बारे में कहियेगा । आप आज इसके बारे में पूरी सूचना लिख कर भेज दें । आपकी लिखित सूचना नहीं है। आपकी पहले जो लिखित सूचना आई थी उसे मैंने मुख्य मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया । आज और कल में कोई फर्क नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैंने तो त्यागपत्र तक दे दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको समाधान के लिए समय दिया लेकिन वह समाधान नहीं आया । आपने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था ।

*श्री चेतराम गंगवार—

मैं इस सदन का सदस्य नहीं रहना चाहता । चार दफा पहले भी सदस्य रह चुका हूं । मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि एस० पी० आर्य साहब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो रिटायर्ड मेजर हैं मेरे फैमिली डाक्टर हैं 30 तारीख को उन्होंने पर्चा लिखा था। 31 को मैं दवा लेने अस्पताल गया था। सी० एम० ओ० ने आदेश कर दिए थे। दवायें थी एकियाइसिन, रयडोसिन तथा यूनिन जैम। यूनिन जैम मैं रोज लेता हूं। कांग्रेस के महामंत्री हर नारायन सक्सेना थे उनको दवा देने से मनाकर दिया था। जब मैं बाद में हर नारायण सक्सेना के साथ दवा लेने के लिए गया तो वहां पर एक ए० एस० गुप्ता या एस० एस० गुप्ता जो भी नाम हो सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उन्होंने उन दवाओं को कम कर दिया। मैंने पूछा कि सी० एम० ओ० साहब के लिखने के बाद क्यों कम कर दिया तो वह बुरी तरह से अंग्रेजी में झाड़ने लगे। मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, प्रदेश में हिन्दी ही प्रचलित है। इस पर वह बौखला गए। उन्होंने कहा कि आप कभी एम० एल० ए० और कभी मिनिस्टर बन गए, अंग्रजी नहीं जानते हों। वहां जो और लोग खड़े थ उनसे उन्होंने कहा कि इनका दिमाग दुरुस्त करो यह अंग्रेजी नहीं जानते ह। उन्होंने हर नारायन सक्सेना को मारना शुरू कर दिया। एक डाक्टर तिवारी थे और हड्डी के विशेषज्ञ डा० मुखर्जी थे और एक काली शक्ल का आदमी था जिसका नाम मैं नहीं जानता और कई डाक्टरों ने मिल कर हर नारायण सक्सेना को मारा तथा 3 बार मेरी पिटाई की और मेरी अभूतपूर्व पिटाई की गयी।

मान्यवर, मेरे भाई मुकीमुर्रहमान को मेरी बात सुनने की फुरसत नहीं है मेरी तीन बार पिटाई की गई। जब मैंने कहा कि चलो सी० एम० ओ० के पास तो एक डाक्टर ने कहा कि 'देखो साला अपने बाप की शिकायत कर रहा है और सुन नहीं रहा है" मान्यवर, सबसे बड़े खेद का विषय यह है कि मेरी घड़ी उन्होंने उतार ली और मेरी जेब में 350 रुपए रखे हुए थ वे भी उन्होंने निकाल लिए। इसके अलावा मान्यवर, सारे मानवीय मूल्यों को ताक में रखकर मुझे पीटा गया, मारा गया। वहाँ पर कई और लोग भी आ गए। इतनी पिटाई की गई कि मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले गए। तीन बार मेरी पिटाई हुई एक बार सी० एम० ओ० के कार्यालय के बाहर तथा दो बार सी० एम० ओ० के कमरे में जिसमें एक बार सी० एम० ओ० भी उपस्थित थे। मान्यवर, मेरे नाक तथा मुंह से खून निकल रहा था सारे कपड़े खून से लथपथ थे। मेरे वे कपड़े जमा हैं। जिलाधिकारी, डी० एम० तथा पुलिस व डाक्टर लोगों ने उसी समय लगभग 50 आदमियों ने अन्दर वो कमरे मे मेरे सामने चाय-पान भी किया। उनके सामने मुझे यह भी कहा कि देखो साला हंसता है। और मुझसे कहा कि और कोई सेवा की जाय। मैंने कहा कि मुझे घर पहुंचा दिया जाय। मैंने उन लोगों के प्रति उंगली भी नहीं उठायी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मान्यवर, मेरे पास रिवाल्वर थी, किन्तु मैंने नहीं उठाया, जेब में पड़ी थी। मैं अपनी रक्षा के लिए सी० एम० ओ० के कमरे की ओर चला गया। मैं बिलकुल संयम में था। मुझे 10 घंटे के बाद चिकित्सा सुविधा दी गई। 10 घंटे तक मैं और ब्लाक कांग्रेस के सेक्रेटरी हर नारायण सक्सेना रोते, चीखते तथा सिसकते रहे। मान्यवर, इस घटना को भी महानन्द सेवक, रेडियों के दुकानदार श्री सिंघल, रिक्शा चालक अख्ताफ तथा कल्लू आदि लोगों ने भी देखा। मान्यवर, इन डाक्टरों न इस किस्म का व्यवहार कई अन्य मौकों पर भी किया है। हमेशा से इनका रवैया ऐसा रहा है। मान्यवर, मेरे गांव में मेरे मकान में ही एक डिस्पेन्सरी है, 8 साल पहले मैंने इस 50 हजार के मकान को अस्पताल को डोनेट खामखां में कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पुरानी बात है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इसी तरह की एक घटना इन डाक्टरों ने पहले भी की हुई थी । एक बार बरेली के छात्रों और सिनेमा मालिकों के बीच झगड़ा हुआ था । इस पर सिनेमा मालिकों ने खुलकर अपनी रिवाल्वर का प्रयोग किया था उनमें एक सिनेमा मालिक मिस्टर मिश्रा हैं । उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि मुझे इतनी सारी वारदात होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था । उनपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो इससे क्या मतलब. . . .

श्री चेतराम गंगवार—

कानून सिनेमा मालिक के लिए भी वही है, जो मेरे लिए है । सिनेमा मालिक ने जब फायर किया था तो उसमें दो आदमी जख्मी हो गए थे । वह सेन्टर की सरकार के पास इस सरकार के पास गया और गिरफ्तार तक नहीं हुआ । यह सरकार कानों में तेल डाल कर सोयी हुई है । इसी तरह का एक कांड कानपुर में भी हुआ । माननीय तोमर साहब और भूतपूर्व विधायक श्री राजनाथ सिंह के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया । मान्यवर, 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मेरे साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था । मान्यवर, मैंने इस घटना में जरा भी हाथ नहीं उठाया और किसी को एक चपत भी नहीं मारी । मेरे जिले के सभी अधिकारी मेरे चरित्र की और व्यवहार की प्रशंसा करते हैं । मेरा मन ऐक्शन लेने को करता है लेकिन मैंने नहीं लिया । अगर भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री होते तो मुझे कुछ आशा होती शायद वह कुछ काम करते । सबसे बड़ा खेद और दुख मुझे मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री श्री कौशिक के बयान से हुआ कि एक तरफ बयान श्री कौशिक ने दे दिया और मेरे आर्म्स जब्त कर लिए। उनकी वाइफ मुरादाबाद में डाक्टर हैं और 100 दौरे मुरादाबाद के हो चुके हैं । तो इनको इस किस्म से एक तरफ बयान नहीं देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मैं एम० एल० ए० हूं इसलिए वह एम० एल० ए० की तरफदारी करें । उनके पास जांच के लिए एजेंसी है उससे इन्क्वायरी कराते । मैंने एम० एल० ए० होने के नाते कोई आर्म्स का लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया है । यह मेरी पुस्तैनी चीज है, एम० एल० ए० होने के बाद मैंने कोई नया लाइसेन्स नहीं लिया है । इससे पहले यह मेरे बाप दादा के पास रही। इस प्रकार श्री कौशिक ने एकतरफा बयान दे दिया । मान्यवर, मुझे आज्ञा दें माननीय मुख्य मंत्री एक ऊंचे स्थान पर हैं लेकिन राजनीति में अपने को सुपरमैन न समझें । इन सभी कुर्सियों पर बैठने वालों को लाखों व्यक्तियों ने चुना है . . . .

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मुझे समझ में नहीं आया कि यह अपनी घटना बता रहे हैं या सारी चीज बता रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मना कर दिया है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरे दोस्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं ज्यादा इसमें समय न लेकर कहना चाहता हूं। जैसा मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था....

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चेतराम गंगवार--

मुझे सदन का सदस्य रहने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। पहले आपने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया मुझे खुशी है (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपने वापस ले लिया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

बार-बार माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस्तीफा आपने स्वीकार नहीं किया वह आपने स्वीकार नहीं किया था उन्होंने उसे वापस ले लिया इसके बारे में बात स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं स्थिति साफ कर दूं (व्यवधान) (श्री चेतराम गंगवार से) क्या कुछ और कहना रह गया है?

श्री चेतराम गंगवार--

मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। शून्य प्रहर महत्व का समय होता है इसमें प्रदेश की समस्याओं के बारे में यहां बातें रखी जाती हैं (व्यवधान)

कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं नियम 279 के अनुसार सदन में अपना त्यागपत्र देता हूं। मुझे इस सदस्यता से मोह नहीं है मैं एतद्द्वारा सदन से अपने स्थान से दिनांक 6-6-79 अपरान्ह से पद त्याग करता हूं। यह पत्र मैं आपके पास सबमिट करता हूं। (पत्र देने गए)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इससे पहले आप देखें, आप हमें सुन लीजिए....

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी.... (व्यवधान)।

*श्री श्यामधर मिश्र--

आप हमें सुन लें इससे आपकी सहायता होगी (व्यवधान) इस पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें (व्यवधान) ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक माननीय सदस्य को चोट लगी है और वह इस्तीफा दे रहे हैं । इस तरह के तमाम वाकयात एक बार नहीं अनेक बार आए हैं (व्यवधान) अधिकारियों से विवाद की बातें आईं । मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं अगर यह सरकार संरक्षण माननीय सदस्यों का नहीं कर रही है तो आप स्वयं संरक्षक के नाते इस सदन के सब दलों के नेताओं को बुलाकर इन विवादग्रस्त मामलों की जांच करायें इसका आपको पूरा अधिकार है । मैं आपसे व्यवस्था मांगता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

आदमी का जब इस प्रकार से अपमान होता है, तो वह भावावेश में इस स्थिति तक पहुंच जाता है । मेरा निवेदन यह है कि यह कोई दल विशेष का मामला नहीं है । मैं संसदीय कार्य मंत्री व उप मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसे समझें कि यह दल विशेष की बात नहीं है । माननीय सदस्य न आकर बताया कि उनके साथ एसा अपमानपूर्ण व्यवहार हुआ है, तो मुझे तो यह भी सूचना है कि उनके साथ ही नहीं आपके दल के लोगों के साथ भी हुआ है । तो श्रीमन्, हम सदस्यों को संरक्षण प्रदान करने का दायित्व आप पर है, आप उन सभी को संरक्षण दें, वह चाहे जिस दल के हों। प्रश्न यह है कि संरक्षण यदि सरकार न दे सके, तो विधान सभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को वह संरक्षण देना चाहिए। अपमान की पराकष्ठा इस बात से है कि वह इस स्थिति तक आ गए कि वह विधान सभा की सदस्यता को ज्यादा दिन रखने को तैयार नहीं हैं सदन का त्याग करने को तैयार हैं । मान लीजिए हमारे दल का एक व्यक्ति पिटता है, अपमानित होता है, तो जो आज हमारे साथ होता है, वही अन्य दलों के सदस्यों और आपके साथ भी होगा । जैसे राजनाथ सिंह व तोमर जी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की चर्चा आई । तो सभी दलों के माननीय सदस्यों के साथ जो दो लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यवहार करने के सम्बन्ध में एक आचार-संहिता या नियम होने चाहिए। उसके साथ शर्मनाक मारपीट की जाए और उल्टे उसे ही बन्द कर दिया जाए और फिर उससे बढ़कर बात यह है कि उसकी पूरी जांच भी न कराई जाए, तो यह कितनी खेद और शर्म की बात है. . . (व्यवधान) एक सम्मानित सदस्य के साथ अपमान सरकारी अधिकारी ने किया, कौशिक जी से उनका कोई राजनैतिक विवाद हो सकता है लेकिन उनका व्यक्तिगत सम्मान कायम करने का उत्तरदायित्व उन पर है । जिसे अपने सारे मतभेदों को भुलाकर उन्हें बनाए रखना चाहिए। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही की गयी । उसके सम्बन्ध में गंगवार जी पहले भी मिले आपसे भी मिले और कहा, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ । इससे ज्यादा हौसले लोगों का बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के लोगों का अपमान इस प्रकार होता रहा तो यह सदन के गौरव और गरिमा के अनुकूल नहीं होगा । अतः श्रीमन्, इस मामले को आप अपने हाथ में लें, हमें संरक्षण प्रदान करें, इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाएं, जो जितनी शिकायतें इस प्रकार की आई हैं, उन सब की जांच करें । आप उसके लिए सदस्यों को नामिनेट करें । हम आप से संरक्षण की आशा करते हैं, दल विशेष से नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, निवेदन यह है कि इस प्रश्न को किसी दलगत भावना से आपको नहीं देखना चाहिए। चूंकि माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह सही है और सरकार का वजन है मंत्री जी को उसमें कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। जो नीचे से रिपोर्ट आयी उसे उन्होंने पढ़ दिया। जिन माननीय सदस्य के साथ बीती है उन्होंने अपनी बीती यहां सुनाई है और इस सदन के पास कोई कारण नहीं है कि जो वह कहते हैं, वह उसके बारे में कोई डिस्प्यूट करे। इतनी उनके स्वाभिमान को ठेस लगी है कि उन्होंने सदन की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया है। आखिर आपने सरकुलर भी भेजे हैं इस सम्बन्ध में कि संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ऐसे शासन के आदेश हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एसी घटनाएं होती ह। हमारा आप से यह निवेदन है कि ऐसी घटनाएं हों, इसमें न सरकारी पक्ष न विरोधी पक्ष का मामला समझा जाय, बल्कि एक सर्वदलीय सदन की समिति बनाएं, आप उसको नामिनेट करें या संसदीय कार्य मंत्री और लोगों से भी सलाह कर लीजिये। लेकिन आवश्यक है कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद न खड़े हों और माननीय सदस्यों के स्वाभिमान को धक्का न लगे। इसके लिए जो सुझाव माननीय श्यामधर मिश्र ने दिया वह बहुत सुन्दर सुझाव है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, इसके बारे में जो मैं जो माननीय गंगवार जी ने अपनी वेदना प्रकट की, जब यह घटना घटी, यह प्रश्न काम रोको प्रस्ताव, नियम 51 के रूप में आया और आपने स्वतः इस सरकार को कई बार निदेश दिया कि इस प्रकार की कार्यवाही हो, जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज उनके यहां आने के बाद उनकी स्थिति जहां की तहां है, जैसी वेदना उन्होंने व्यक्त की है उससे लगता है कि सरकार ने कोई इस प्रकार कार्य नहीं किया है जिससे माननीय गंगवार समझें कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी। इसके लिए मिश्र जी न जो प्रस्ताव रखा है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है, जनता के साथ भी कोई अन्याय हो तो वह भी आपके समक्ष रखते हैं। आप कृपा करके सरकार से कृपा करके वक्तव्य दिलवाते हैं। माननीय सदस्य जो विधान सभा के हैं, उनके साथ इस तरह का कार्य हो तो किस तरह से मदद कर सकते हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, आज भरोसा इस पूरे माननीय सदन का आप पर है, इस सरकार पर नहीं है। सरकार ने कितनी बार आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही करेगी वह कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें, इस प्रकार का कार्य करें, जिससे माननीय गंगवार संतुष्ट हो जायं। संतुष्ट होने का एक मात्र प्रमाण यह होगा कि हमारा इस्तीफा वापस कर दिया जाय। इससे अधिक वेदना क्या हो सकती है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपनी सदस्यता से यह एक अभूतपूर्व घटना है, इस सदन के इतिहास में, आज तक किसी माननीय सदस्य ने पीड़ित होकर वेदना से और अत्याचार की वजह से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र कभी नहीं दिया है। इसलिए पूरी घटना की जांच की जाय और आप स्वयं माननीय सदस्य की रक्षा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, स्थिति की गम्भीरता छिपी नहीं है। जो घटना बरेली में घटी थी माननीय गंगवार साहब के साथ, उसके बारे में इस सदन में पहले चर्चा हुई। लेकिन शासन की ओर से अधिकारियों के ऊपर निर्भर करके जो रिपोर्ट यहां पढ़ दी जाती रही है, उनकी वजह से माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं को दबाया गया। अपनी जगह यह बात सही है कि गंगवार साहब के साथ वहां के अधिकारियों ने ज्यादती की चरम सीमा पार कर दी। यह बात पहले भी कही गयी। और आज भी गंगवार साहब ने सदन के सामने जो वेदना व्यक्त की उसमें उजागर हो गया कि इससे ज्यादा गम्भीर घटना कोई नहीं हो सकती है। सदन की कार्यवाही चलती हो और एक माननीय सदस्य उस समय अपना त्यागपत्र दे दें, तो बहुत गम्भीर बात है। ऐसा कभी हुआ नहीं। माननीय देवबहादुर और मिश्रा जी ने जो सुझाव रखा है वह उचित है। अगर सदन चलता है और माननीय सदस्य को इस्तीफा देने की नौबत आती है तो मैं समझूंगा कि यह शासन उस कलंक को कभी धो नहीं पायेगा। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, क्योंकि शासन ने इतने दिन तक अपने निकम्मेपन को उजागर करके साफ कर दिया कि सदन के माननीय सदस्य की एक सर्वदलीय समिति मनोनीत करें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कह चुके हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो केवल इस घटना की जांच करे। और हमारे हितों को संरक्षण मिले।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, सदन के सामने परिस्थिति है कि एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि उनके साथ बरेली के डाक्टर ने ज्यादती किया। शासन की ओर से यह उत्तर आया कि ज्यादती कोई नहीं हुई। सदस्य ने इसके विरोध में और शासन के जवाब से संतुष्ट न रहते हुए अपना त्याग पत्र दिया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और शासन उनकी सुरक्षा करने में असफल रहा है, मान्यवर, 2 प्रश्न हैं। एक तो सदन के सम्मुख एक माननीय सदस्य ने अपना त्याग पत्र दिया है आप उसको स्वीकार करें या न करें। रूल्स में प्राविधान है कि आप यह देखेंगे कि वह सदस्य बिना किसी दबाव के त्याग पत्र दे रहा है। अगर वह अपनी इच्छा से सदन को छोड़ रहा है तो आपके सामने कोई चारा नहीं है सिवाय उसको स्वीकार करने को हम यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि सदस्य सही है या शासन सही है। सदस्य ने आक्षेप लगाया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ और शासन ने उनकी सुरक्षा नहीं की। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि उस सदस्य ने यह त्याग पत्र बिना किसी दबाव के और उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में दिया है आप उसे इन वेशइंस रखेंगे और पेंडिंग रखेंगे।

आपके पास कोई प्रणाली नहीं है कि यह आप जान सकें कि त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं या शासन का जवाब गलत है। मान्यवर, श्यामधर मिश्र ने जो सुझाव दिया है उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप इस सदन की एक समिति बनायें जो इस मामले की जांच करे। यदि माननीय सदस्य ने किसी दबाव के बिना अपना त्याग पत्र दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा और यदि शासन की ओर से जिस मंत्री ने जवाब दिया है

गलत उसको भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मैं शासक दल का एक सदस्य हूं, और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने सही उत्तर दिया होगा। आप इस सदन की एक समिति गठित करें जो उसकी जांच करे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह (देवरिया) के खड़े होने पर जो बातें कही जा चुकी हैं आप उनको दुहरावें नहीं।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आज जो राजनैतिक स्थिति है उसमें कौन मंत्री कल एम० एल० ए० रह जायगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इसलिए उनसे स्वाभिमान और उनका सम्मान की सुरक्षा की गारन्टी शासन को देनी चाहिए। गंगवार जी को लिखकर देना चाहिए था लेकिन वह इतने भमहित हैं कि इस सदन में अपना त्याग पत्र दे दिया। मान्यवर, इसके लिए सदन की एक समिति बननी चाहिए। माननीय मंत्र जी के पास जो स्रोत हैं वह प्रशासन है और वही जो सूचना देता है उसी के आधार पर माननीय मंत्री जी यहां पर उत्तर देते हैं इसलिए उनका त्याग पत्र मांगने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आये दिन जो घटनायें होती हैं उनको रोकने का प्रयास होना चाहिए। जो सदन के सदस्य हैं उनका सम्मान और आदर हो, इसके लिए एक समिति बनायी जाये। अगर नहीं बना पाते हैं तो कम से कम बरेली की घटना की जांच के लिए तो एक समिति अवश्य बननी चाहिए।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जब हमने इस देश को एक लोकतांत्रिक पद्धति में बांधा है तो यह स्वाभाविक है कि उसमें विरोध पक्ष निश्चित रूप से रहेगा। आज की परिस्थिति यह है आज सदन में अजेय बहुमत जनता पार्टी का है, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं और विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने विक्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया, क्या असलियत है मैं उस विवाद में नहीं जाता हूं। हम अजेय बहुमत में हैं, तो हमारी ओर से इनिशिएशन होना चाहिए, अगला कदम होना चाहिए। विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ तो बजाय इसके कि उनकी ओर से कोई बात हो जाय मुनासिब नहीं है कि इस सदन की एक कमेटी बने। फिर इसमें विवाद खड़ा होगा कि चूंकि उस कमेटी में सदन के सदस्य रहे इसलिए उन्होंने उस भावना से प्रेरित होकर यह कहा। इसलिए बजाय हाउस की कमेटी के बरेली के किसी बाहर के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट जज से इन्क्वायरी करा लें जिससे प्रदेश की जनता के सामने एक तस्वीर आ जाय कि किसकी गलती है या नहीं।

मैं विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनके ऊपर बड़ा उत्तर-दायित्व है और कोई भी शासन हो उसमें ब्युरोक्रेसी रहेगी। हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी के दिल में अविश्वास हो और दोनों में परस्पर अविश्वास को मिटाने के लिए एक ही रास्ता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज से, बरेली को छोड़कर जुडिशियल इन्क्वायरी करा लें, बजाय सदन की कमेटी के। अगर सदन की कमेटी ने यह निर्णय दे दिया कि माननीय सदस्य के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है तो उसका असर बाहर के लोगों पर अच्छा नहीं पड़ेगा चूंकि एक माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और चूंकि उस कमेटी में सभी माननीय सदस्य थे तो ऐसा हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पांडेय]

इसलिए मैं केवल इतनी ही तब्दीली चाहता हूं कि बजाय इस हाउस की सब कमेटी के माननीय दिघे जी या जो भी सम्बन्धित मंत्री हों वे एक डिस्ट्रिक्ट जज से, जो बरेली का न होकर, किसी दूसरे जिले का हो, उसके द्वारा जांच करायें और जिसकी भी गलती हो उस रिपोर्ट को सदन में रखी जाय और शासन तन्त्र यह न समझे कि अगर सरकार हमारी है तो हमें संरक्षण मिलेगा। यह भावना सरकारी अधिकारियों में नहीं पनपनी चाहिए। अगर यह पनपेगी तो न सदन कुछ होगा और न आप कुछ होंगे। तो फिर आप संरक्षण किस को दे सकेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि बिना बहस कराये हुए आप सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज, जो बरेली का न हो, द्वारा इसकी जांच करायें और वह सारी बातों को सदन के सामने लाकर बतावें ?

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अभी आपके सामने हमारे माननीय सदस्य गंगवार जी ने अपना सारा केस पेश किया। मुझे बड़ा खेद है कि ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ। जहां तक स्वास्थ्य मंत्री का सवाल है अगर तथ्यों पर जानकारी मिली है तो उन अधिकारियों को अविलम्ब सस्पेन्ड करें, निलम्बित करे और फिर जांच करायें। मान्यवर, आप हमारे अधिकारों और इस मंत्रि-मंडल के आप जिम्मेदार हैं। स्पीकर का किसी भी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। उसका काम होता है कि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

मान्यवर, 1974 में माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा ने एक आर्डर जारी किया था कि कोई भी सदस्य अगर किसी आई० ए० एस० अधिकारी से मिलने जावें तो वह खड़ा होकर हाथ मिलायेगा और जब वह लौटेगा तब फिर हाथ मिलायेगा। आज आप किसी आई० ए० एस० अधिकारी को तो छोड़ दीजिये, हम जब किसी सेक्शन आफिसर के पास जाते हैं तो वे हमारे सामने बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, कोई आदर सम्मान नहीं दिखाते। माननीय सदस्यों का ही नहीं, मंत्रि-मंडल के सदस्यों का भी आज मान कम होता जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि मंत्री लोग तमाम अधिकारियों की कोई मीटिंग बुला कर उनको एडवाइस करें। आज यह क्या तमाशा होता है कि जब भी डी० एम० कहीं जाता है तो उसके लिये जगह-जगह छिड़काव होता है और उसके स्वागत की तैयारी में तमाम पैसा गरीब जनता का खर्च किया जाता है। आज किसी दफ्तर में ऐसा नहीं देखने में आता है कि जब कोई विधायक जाता हो तो आफिसर अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता हो। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर यही रवैइया रहा तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा और फिर यहां पर मंत्री ही बैठे हुये मिलेंगे, कोई भी सदस्य नजर नहीं आयेगा। एम० एल० ए० चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। इस तरह से आप अगर इन अधिकारियों को हमारे ऊपर हावी कराते रहे तो हमारे यहां बैठने का और हमारे ऊपर गरीब जनता का इतना पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारा कसूर हो तो हमें भी उसके लिये सजा मिलना चाहिये, अगर हम किसी अधिकारी के खिलाफ गलत व्यवहार करें तो उसकी सजा हमें अवश्य मिले, लेकिन माननीय सदस्य के कथन को सही मानकर मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा और यह मांग करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाये, और अगर आप निलम्बित नहीं करते हैं तो हम भी सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ बैठे या नहीं ।

(व्यवधान शोर)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब किसी को नहीं बुला रहा हूं । आप लोग कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं ।

(व्यवधान के बीच श्री मानसिंह आजाद कुछ कहते रहे जो सुनायी नहीं दिया ।)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, सन् 1969 से बराबर मैं इस सदन का सदस्य हूं । और इस सदन में 5 वर्ष से 8 वर्ष तक मैं मुतवातिर हर प्रश्न को उठाया करता रहा । आज जब से जनता पार्टी की सरकार आ गयी है, इस हाउस में अगर कोई बात बोली जाय और अधिकारियों की आलोचना की जाय, जब उनके आफिसों में जायं तो वे प्रताड़ित करते हैं । अब तो हमने यह सोच लिया है कि अब तो यहां पर बोलना ही ठीक नहीं है । अगर किसी अधिकारी के खिलाफ बोला जाय, तो उसके क्षे की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो जायगा और कोई न कोई शिकायत करवाने लगते हैं, हाउस में आलोचना की जाती है, वे बदले की भावना से काम करते हैं औ माननीय सदस्यों की बातों को नहीं सुनते । लेकिन मंत्रि परिषद के सदस्यगण का में तेल डालकर बठे रहते हैं, मालूम होता है कि सारी बेईमानी जनता के चु हुए प्रतिनिधि ही करते हैं । मैं आप से और माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी सदन की बना दी जाय, जो ऐसे मामलों की जांच किया करे ।

जब माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि सदन की एक कमेटी माननीय सदस्यों की शिकायतों की जांच के लिए बनाई जानी चाहिए, जो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की

नोट—(***) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

जांच करे, जो विधायकों के खिलाफ शिकायतें लिखते हैं और लिखवाते हैं और जो अधिकारी व कर्मचारी जन प्रतिनिधियों को प्रताड़ित या अपमानित करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करे। तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस बात को मानने की कृपा करें कि सदन की कमेटी एक बना दी जाय, जो सही बात की जांच वह कमेटी किया करे, तब तो अधिकारियों का व्यवहार ठीक होगा, वरना नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के पास में गया, उन्होंने मुझ न बैठने को कहा और न मेरी बात सुनी और कह दिया कि मुझे टाइम नहीं है और मैं वापस वहां से चला आया, जब कि चीफ सेक्रेटरी का यह आदेश है कि विधायकों की बात सुनने के लिए प्राथमिकता सब काम छोड़कर दी जाय।

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मुझे स्वयं बहुत दःख होता है जब किसी माननीय सदस्य के किसी कष्ट की सीमा यहां तक पहुंच जाय कि वह इस्तीफा देने के लिये तैयार हो जाय। मैं इसको गम्भीर प्रश्न मानता हूं, यह नहीं कि माननीय चेतराम गंगवार को जितना दःख हुआ, दःख की आंच मुझे भी लगी है, मंत्री तो विधायक होने के बाद ही होता है। मैं केवल माननीय सदस्यों से इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर जब वह चर्चा करें, तो सम्यक् दृष्टि से विचार करें, मेरा यह निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी समय अलग से कोई बैठक, कोई सेमीनार किसी समय हो, तो हम अच्छे ढंग से इसके बारे में विचार कर सकेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, सेमीनार बनाने के लिए इनको खड़ा किया है आपने ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें कहने दीजिए।

श्री मधुकर दिघे—

ऐसे भी प्रश्न इस सदन में और दूसरे सदन में उपस्थित हुए हैं कि जब एक कर्मचारी के मामले का प्रश्न आया है, तो माननीय सदस्य ने गम्भीर आरोप लगाये हैं शासक दल के विधायकों पर कि वह इन्टरफियर करते हैं। एक घटना मालूम है। एक आदमी ने सारी फोटो कापी बनाकर उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि साहब वह दखलन्दाजी करते हैं। मान्यवर, अभी पंजाब में एक घटना हो चुकी है। आरोप है पुलिस के कर्मचारी का कि सदन के सदस्य उसमें इंटरफियर वगैरह करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न की तरफ जो हमारी गरिमा, जो हमारे सदस्य होने के नाते, हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारा कर्त्तव्य निहित हैं, समाज की जो इससे अपेक्षा हैं, उन सबकी हम पूर्ति कर सकें और किसी माननीय सदस्य का अपमान करने की हिम्मत किसी भी कर्मचारी की न हो सके, चाहे वह छोटा हो या बड़ा यह तो काम होना ही चाहिए। इसमें मुझे एतराज नहीं है।

माननीय चेत राम गंगवार जी के मामले में जैसा कि मुझे बताया गया है सी० आई० डी० इन्क्वायरी हो रही है। यदि वे चाहते ह कि स्थानीय लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या सी0 आई0 डी0 द्वारा उनकी गरिमा को ध्यान में रख कर, इन्क्वायरी नहीं हो सकती तो मैं बात करने के बाद...

(शोर)

मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो गरिमा, व्यक्तित्व है, तो जो तथ्य सामने आयें, हमारे उपर यह आरोप न लगे कि इनके हाथ में ताकत है इसलिए सम्यक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है ।...

(शोर)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि डाक्टरों के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही की गयी तो डाक्टरों की हड़ताल न हो जाय । यह ही इस बात का सबूत है कि सरकारी अधिकारी दोषी हैं । मान्यवर, मैं कहता हूं कि आप सारे सदन की भावना को देखते हुए इस बात की घोषणा की जाय कि एक डिस्ट्रिक्ट जज की व्यवस्था की जाये जो इसकी इन्क्वायरी करे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह सरकार कायर, नपुंसको की सरकार हमारी सुरक्षा करने में असमर्थ है । आप एक कमेटी बना दें लेकिन इनके द्वारा जो कुछ होगा, मुझे वह स्वीकार नहीं है ।

(शोर)

(श्री चेतराम गंगवार कुछ बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

जो अपमानजनक घटना घटी अस्पताल में, तो जिस समय घटी थी, मेरे पास विवरण तभी भेजा था जो 4 पन्नो का था । साथ में यहां पर राम आसरे वर्मा ने उठाया । इस्तीफा पहले दिया था, इसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूं । कई आदमी साथ थे तो मुझे लगा कि वे स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं लेकिन नियम मे यह है कि हमें, अध्यक्ष को, यह साफ कर लेना चाहिए कि इस्तीफा स्वेच्छा से है या नहीं । तो मैंने एक पत्र भेजा और सम्भवतः मैंने तारीख लगाई 21 मई, कि आप स्पीकर भवन आ जायें और इस सम्बन्ध में मुझसे बात करें ताकि मैं कोई निर्णय लेने से पहले अपना समाधान कर सकूं । इसी बीच में, मुझे तारीख याद नही हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया । जब तक मैं उसको स्वीकार न कर लूं उनको वापस लेने का अधिकार है । तो उनका इस्तीफा वापस हो गया था । आज जब यह सदन में आये तो उन्होंने इसको उठाया । मैं समझता था कि वह लिखकर देंगे तो मैं कल इसको उठाने की इजाजत दूंगा । लेकिन जब मैंने उनको दुखित देखा आवेश में देखा तो मैंने सदन की भावना को देखते हुए इजाजत दे दी । जो घटना घटी थी उन्होंने सदन में पूरी कह दी । इसमें कोई शक नहीं कि सभी माननीय सदस्यों ने इस घटना की भर्त्सना की है और इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत दुखद घटना

[श्री उपाध्यक्ष—]

है। माननीय सदस्यों की सुरक्षा और उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी जो है उनका कर्तव्य होता है कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा हर तरह से जहां कहीं ऐसे मौके आयें, तहां करें। तो हमारे माननीय सदस्यों ने 2-3 सुझाव रखे हैं। एक तो यह कि सर्व दलीय समिति बना दी जाय जो मौके पर इसकी जांच करे। दूसरे, सभी माननीय दलों के नेता जी हैं उनकी एक बैठक हो जाय और बैठक में जो निर्णय हो उसके ऊपर अमल किया जाय। अगर बठक तय कर लेती है कि इस तरह की समिति बन जाय, मेरे ख्याल में जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, इसमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन यह निर्णय जो है सब नेताओं की बैठक होने के बाद ही किया जायगा। मैं इसमें बहुत जल्दी, माननीय मुख्य मंत्री जी लौट आयें या संसदीय कार्य मंत्री जी और नेताओं से सबसे परामर्श करने के बाद में बैठक बुलायेंगे और इसके बारे में गंभीरता पूर्व निर्णय लिया जायगा। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि जहां कहीं ऐसे वाकयात हों माननीय सदस्यगण के साथ, वहां सदन की एक समिति उसकी जांच करे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको उचित समझता हूं, कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। लेकिन उसके बारे में जब माननीय नेता सदन

(मेजों की थपथपाहट)

हों और नेता विरोधी दल हों और दूसरे दलों के नेता हों, उन सबके सामने कोई निर्णय इसके बारे में किया जाय।

(ठीक है, ठीक है की आवाजें)

शीघ्र ही हम कोई तारीख निश्चित कर देंगे। जहां तक माननीय चेतराम गंगवार जी ने जो अपना इस्तीफा भेजा है तो उसके उपर बाद में निर्णय दूंगा। उनसे अलग बातें करने के बाद जब मैं समझ लूंगा कि वह स्वेच्छा से है या नहीं, जब मुझे समाधान पूरा पूरा हो जायगा, तो मैं निर्णय लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

माध्यवर, प्रयास कीजिये कि वापस हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रयास आप कीजिये।

सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने 1, जून, 1979 को माननीय सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि वे नियम 301 के अन्तर्गत 3 मई, 1979 को माननीय श्रम मंत्री के विरुद्ध गबन के आरोप तथा उन पर कायम हुए मुकदमें का विषय सदन के संज्ञान में लाये थे, किन्तु 1 जून, 1979 तक उन्हें इस संबंध मे कोई उत्तर नही मिला।

मैंने इस संबन्ध में माननीय सहकारिता मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी। माननीय सहकारिता मंत्री ने वस्तुस्थिति बताते हुए कहा कि उन्होंने पत्र संख्या 109 12-सी-79, दिनांक 16 मई, 1979 द्वारा अन्तरिम उत्तर माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर को भेज दिया है। माननीय सहकारिता मंत्री ने उक्त पत्रों की प्रतियां भी संलग्न करके मेरे पास भेजी हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति में मैं श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

(विधायक निवास नं0 1 में पानी न आने की शिकायत)

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज प्रातः से विधायक निवास ब्लाक-1 में पानी नहीं आ रहा है जिससे लोगों को शौचालय तक जाने में कठिनाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको वैसे ही बता देते। इसके लिए मैं व्यवस्था करा दूंगा कि भविष्य में ऐसी बात न हो।

बस्ती जिले के हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी में अचानक 6 फिट पानी आ जाने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ राम मिलन सिंह ने सूचना दी है कि दिनांक 19-5-79 को बस्ती को हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी में अचानक 6 फीट पानी आ जाने से दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु हुई कई व्यक्ति लापता हैं तथा लाखों रुपये की फसल की क्षति हुई जिससे पूरी तहसील में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

इस सूचना पर जिलाधिकारी बस्ती से जानकारी की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार घाघरा नदी का जलस्तर दिनांक 18-5-79 से अचानक बढ़ने लगा और 19-5-79 तक उसके जलस्तर में निम्न प्रकार 1.35 मी0 की वृद्धि हुई।

17-5-79	89.850 मीटर जलस्तर
18-5-79	90.60 मीटर
19-5-79	91.20 मीटर

घाघरा नदी के जलस्तर में इस अचानक वृद्धि से नदी के किनारे बोई गई जायद फसलों की क्षति पहुंची है। सामान्यतः जो लोग नदी के किनारे बालू में जायद की फसलें बोते हैं वह मई के तीसरे सप्ताह तक अपनी फसल काटने का लक्ष्य रखते हैं क्योंकि इसके बाद कभी भी पानी बढ़ने का खतरा रहता है।

[श्री नारायण सिंह—]

अधिकांश व्यक्तियों की फसलें खेतों से पहले उठ चुकी थी किन्तु फिर भी तहसील हरैया में अनुमानतः 100 बीघे में बोई हुई जायद की फसल नष्ट हो गई । यह क्षति अनुमानतः 50,000 रुपए की है । किसी आबादी स्थल में नदी का पानी नहीं घुसा और न कोई मकान ही क्षतिग्रस्त हुआ है किन्तु दुर्भाग्यवश घाघरा नदी के जलस्तर के इस प्रकार अचानक बढ़ने के कारण निम्नलिखित तीन व्यक्तियों के बह जाने की सूचना प्राप्त हुई :—

1—श्री रामअजोर पुत्र सहदिल, निवासी दुधौरा पूरे कुमार ।

2—श्री छोटकन पुत्र बिपई, निवासी दुधौरा पुरे कुमार ।

3—श्री गुर प्रसाद सिंह पुत्र पलकधारी सिंह, ग्राम बंजरिया ।

श्री राम अजोर तथा छोटकन तरबूज तोड़कर नाव पर लादे उसे रस्सी से खींचते आ रहे थे कि पानी अधिक होने के स्थल पर दुर्भाग्य से रस्सी टूट गई और वह दोनों व्यक्ति पानी में बह गए । श्री गुरु प्रसाद सिंह भी नदी में तैर कर इस पार से उस पार जा रहे थे कि बीच में अचानक डूब कर मर गए ।

जिलाधिकारी ने दैवी आपदा मद से श्री राम अजोर के आश्रितों को 1000 रूपये की सहायता स्वीकृत की है जिसके वितरण की कार्यवाही की जा रही है । श्री छोटकन के मामले में भी आवश्यक छानबीन की जा रही है ताकि उसके आश्रितों को नियमानुसार सहायता दी जा सके । श्री गुर प्रसाद सिंह के दो पुत्र हैं जिनमें से एक इंटर कालेज में अध्यापक है अतः इन्हें किसी प्रकार की आपदा सहायता देने की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य या पशु के मरने या लापता होने की कोई सूचना नहीं है ।

घाघरा नदी का पानी दिनांक 19-5-79 के बाद पुनः पेटे में चला गया है और तहसील हरया में जनजीवन पूर्णतया सामान्य है ।

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*दिनांक 7 जून, 1979 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं ।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 28--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 67--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 59 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) अनुदान संख्या 70--उद्योग विभाग (खान तथा खनिज), अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 117--उद्योग विभाग ऋण और अग्रिम

*उप मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 4,96,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,00,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,74,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,73,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव—]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 के समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,67,83,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उपमुख्य मंत्री जी, आज आपका अनुदान जो है, 5 बजे के अन्दर इसको पास होना है क्योंकि दो-तीन और वक्तव्य हैं जिसमें समय लगेगा । तो अच्छा होगा कि आप समय जरा हिसाब से लें और पहले जरा कम समय लें । माननीय सदस्यगण भी 5 मिनट का समय लेंगे ।

*श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जिस नई औद्योगिक नीति का शुभारम्भ विगत दो वर्षों में किया गया था, उसमें हमने इस बात का संकल्प किया था कि अब गांव की ओर चलना होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक से अधिक लोगों को जो हमारे प्रदेश के सामने बेरोजगारी की समस्या है, उन्हें काम मिल सके । इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय असंतुलन भी प्रदेश में दिखाई पड़ता है, उस दिशा में भी कुछ काम किया जा सके, इन बातों को ध्यान रखते हुए उद्योग विभाग की तरफ से उद्योग विभाग का बजट आज सदन के सामन रखा गया है । मैं समझता हूं कि उसको देखने के पश्चात् एक ऐसी झांकी मिलती है जिसको देखने के बाद सचमुच में माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जैसा हम चाहते हैं सभी लोग मिलजुल कर गांवों के उत्थान की दिशा में चलते हुये, सर्वांगीण विकास को ध्यान मे रखते हुये विशेष रूप से अधिक से अधिक लोगों को काम मिले और औद्योगिक वातावरण बन सके सारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर उस दिशा में इस बजट में काफी प्राविधान रखा गया है । इसी से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जो प्रोत्साहन वाले कदम उठाये गये हैं औद्योगिक क्षेत्र में उनसे इतनी गति मिली है कि औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रान्ति का श्रीगणेश हो रहा है। विशेष रूप से आज प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि लघु और कुटीर उद्योग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । क्योंकि जब तक इन उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा, उन पर परिव्यय अधिक नहीं किया जायगा, तब तक किसी भी प्रकार से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

मान्यवर, 1979—80 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए जो परिव्यय रखा गया है वह लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है । यही इस बात का द्योतक है कि सचमुच में हम किस ओर जा रहे हैं । ग्रमीण और लघु उद्योग और हथ करघा के लिए 1976—77 में 320 लाख और 252 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी थी। 1977—78 में 320 लाख के स्थान पर 428 लाख और 379 लाख की धनराशि रखी गयी । 1977—78 में बढ़ाकर यह धनराशि 752 लाख और 498 लाख की गयी । इस वर्ष 1980 के बजट में 320 लाख के स्थान पर 1035 लाख रुपये उद्योग निदेशालय के लिए और हथ करघा के क्षेत्र में 252 लाख के स्थान पर 700 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है। इस प्रकार से जहां 76—77

* का रिफरेन्स।

में 572 लाख रुपये की धनराशि दोनों को मिला कर रखी गयी थी वहां 77–78 में इसे बढ़ा कर 307 लाख रुपये कर दिया गया, 78–79 में 1250 लाख रुपये कर दिया गया और 79–80 में इसे बढ़ा कर 1735 लाख रुपये कर दिया गया। 572 की जगह 1735 लाख रुपय की धनराशि निर्धारित की गयी है।

खनिज विकास के सम्बन्ध में जहां 76–77 में 97 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी थी वहां 78–79 में 340 लाख रुपये की धनराशि इसके लिए रखी गयी है।

मुद्रण और लेखन सामग्री के लिये 76–77 में 67 लाख रुपये धनराशि रखी गयी थी, 77–78 में 42 लाख, 78–79 म 65 लाख रखी गयी थी। 79–80 में यह धनराशि 105 लाख रुपये की गयी है।

मान्यवर, यहां पर में एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं शायद हो सकता है कि माननीय सदस्य इसकी ओर इंगित करें। 75–76, 76–77 में पूरे उद्योग विभाग का बजट भारी उद्योग के लिए ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग के लिये 4664 लाख रुपये का था और अब 1979–80 में 3430 लाख रुपये का है। शायद इस पर सदन के सामने बात लाई जाय कि 76–77 में इतनी धनराशि थी और अब बहुत कम कर दी गयी है। इसलिये में इस समय इस ओर संकेत करना चाहता हूं कि इसके पीछे बात यह थी कि 76–77 में बजट का काफी हिस्सा भारी उद्योग के लिए रखा गया था। इस समय जो बजट रखा गया है वह इस बात का संकेत है कि सचमुच में हम लोग ग्रामीण लघु उद्योग की दिशा में कितनी त्वरित गति से आगे बढ़ना चाहते हैं।

जहां तक फैक्टरीज ऐक्ट के अधिनियम के अन्तर्गत जो हमारी पंजीकृत इकाईयां हैं उनको देखेंगे तो काफी प्रगति हो रही है। 76–77 में 4704, 77–78 में 4943। इस क्षेत्र में जो उत्पादन होता था वह 1489 करोड़ से बढ़ा कर 1873 करोड़ किया गया। यह आ गया 77 में। लेकिन 78 में यह उत्पादन बढ़ कर 2154 करोड़ रु0 का हो गया। इस आधार पर हम आगे ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे इसमें काफी विकास हो, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके और उस दिशा में ये सारे कदम उठाये जा रहे हैं। विशेष रूप से खादी ग्रामोद्योग तथा हस्तकला को ध्यान में रखकर 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया है और उनको रोजगार के अवसर सुलभ होने की आशा है। सबसे बड़ी बात जो बजट संकेत करता है वह यह है कि 77–78 में विकास केन्द्रों को खोलने का शुभारम्भ किया गया था। उसमें व्यवस्था यह की गयी है कि ये विकास केन्द्र गांव स्तर पर खुलेंगे। छोटे पैमाने पर यह होंगे तथा कच्चा माल की सुविधा उनको दी जायगी। जिन गांव की आबादी 50 हजार से कम होगी वहां ये खोले जायेंगे। 78–79 में केवल 82 विकास केन्द्र का चयन किया गया था लेकिन अब हमने इस बात की व्यवस्था की है कि 79–80 में पूरे प्रदेश में लगभग 160 एसे विकास केन्द्र खुल जायं ताकि इनके आधार पर प्रदेश में उत्पादन के साथ–साथ लोगों को काम भी मिल सके। इसके लिए उनको सवा

[श्री राम नरेश यादव—]

लाख रुपये का ऋण हर केन्द्र को देने का प्राविधान भी किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जो उद्योग शहरों में हुआ करते हैं उनका रुख गांव की तरफ हो जायगा और यह प्रयास हो रहा है कि कम से कम 15 या 20 गांवों में ये विकास केन्द्र आगे आने वाले दिनों में खोले जायं ताकि आपकी आकांक्षा पूरी हो सके।

केन्द्र की नीति के अनुसार एक चीज का और शुभारम्भ किया गया कि जो नये उद्योग खोलना चाहता था उसे कानपुर या लखनऊ के कार्यालयों को दौड़ना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रख कर विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई जा रही है और इसके मातहत जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है उसको बहुत दौड़-धूप न करनी पड़े, परेशानी न उठानी पड़े और एक ही स्थान पर उसी जिले में कच्चा माल मिल जाय और सारी सुविधायें प्राप्त हो सकें इसके लिये 56 जिलों में 56 विकास केन्द्र खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। तीन चरणों में यह योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। पहले चरण में 13 जनपदों में, दूसरे चरण में 16 जनपदों में और शेष जनपदों में तीसरे चरण में ये केन्द्र खोले जायंगे और एक स्थान पर जो जनरल मैनेजर होगा उसको दो लाख रुपये तक ऋण देने का अधिकार होगा और उस उद्यमी को इसके लिए कानपुर अथवा लखनऊ नहीं जाना होगा।

गांव की ओर चलो जो स्कीम है इसमें एकीकृत ग्राम्य विकास केन्द्र खोलने की योजना है पूरे प्रदेश में और इसके अन्तर्गत 384 विकास केन्द्र खोले गये हैं और हर एक में यह योजना लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर केन्द्र पर 100 लोगों को काम मिल सके। इसके अन्तर्गत जिन परिवारों का चयन होगा उनको साढ़े 33 प्रतिशत सरकार अनुदान देगी, शेष बैंकों से तथा अन्य संस्थाओं से ऋण सुलभ कराने का प्रयास किया जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि लोग वहीं रह कर जो हमारे परम्परागत कुटीर उद्योग हैं उनको विकसित कर सकें। जो मृतप्राय हैं वे पुनर्जीवित हो सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुये हर विकास खंड में 1 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि का प्राविधान रखा गया है जिसमें से 25 हजार रुपये को 100 परिवारों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यवस्था की जायेगी ताकि उन्हें इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कि वे जो ऋण लेंगे उसका सही ढंग से उपयोग कर सकें और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वहां पर उद्योग बढ़ सके। इस तरह से 38,400 परिवार 384 विकास खन्डों से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी बहुत दिनों से इकाईयां थीं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया था वे चाहे कच्चे माल की प्राप्ति के बिना रही हो अथवा उद्यमी की लापरवाही के कारण हों जिन्हें हम सिक यूनिटें कहते हैं, जो समाप्त-प्राय: हो गई थी उनको सरकारी स्तर पर बैंकों से ऋण देकर पुनर्जीवित करने का प्रयास विकास खंड स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे 39 पिछड़े जिले हैं उनमें पहले केवल (सात जनपदों में कैपिटल सब्सिडी की योजना लागू की गई थी हमने उसमें 17 जिले कर दिये हैं कि 17 जिलों में कैपिटल सब्सिडी की योजना लागु कर दी है कि उनमें भी वह सारी सुविधायें मिलेंगी जिनको कि केन्द्रीय सरकार से पहले केवल 7 जिलों को मिलती थीं। इस तरह से असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, विशेष रूप से यह भी देखा जाता है कि जो उद्यमी आते हैं उनको जानकारी नहीं रहती है कि किस तरह से औद्योगीकरण का विकास हो। इसके लिए हमने 78-79 में प्रशिक्षण केन्द्र खोले और 8 स्थानों पर 400 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया। 1979-80 में यह प्रयास

किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाय ताकी जो उद्यमी अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार का संकट न आने पावे ।

इसके अलावा विपणन (मारकेटिंग) की समस्या है । अगर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो हम समझते है कि आज जिस वातावरण में हम बैठे हुये हैं और अपेक्षा करते हैं, वह सम्भव नहीं हो सकेगा । इसको ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा ट्रेड सेन्टर्स की स्थापना की गई है जहां पर हस्तशिल्प और शिल्पियों द्वारा उत्पादित माल के निर्यात की व्यवस्था की गई । हथ करघा उद्योग की तरफ से भी बहुत से विक्रय केन्द्र खोले गये हैं जहां पर हथ करघा से बने हुए माल का विक्रय होता है । इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर भी इसके विस्तार की व्यवस्था की जा रही है जिससे उद्यमियों को विपणन सम्बन्धी सारी सुविधायें प्राप्त हो सकें ।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिन्हें पूरक उद्योग कहते हैं । जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी तथा हरिद्वार, एच० ए० एल०, लखनऊ, आई० टी० आई०, नैनी (इलाहाबाद) एवं रायबरेली तथा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ में पहले ही खुल गया है । इस तरह से 244 पूरक इकाईयां पिछले साल खोली गई थीं और इस साल 50 और इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है ।

इसके साथ ही साथ समाज के कुछ निर्बल वर्ग, भूमिहीनों को, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको अन्त्योदय सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है जिनके लिये इन समितियों द्वारा हर सम्भव सुविधा मिलेगी जिससे वे सुधर सकें । इस प्रकार की योजना प्रदेश के 6 जिलों झांसी, अल्मोड़ा, फतेहपुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में शुरू की गई । परियोजना के लाभकारी हो जाने पर उसका पूर्ण स्वामित्व समितियों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा । सारी चीजें उनके हाथ में रहेंगी और वह अपने ढंग से उनकी व्यवस्था कर सकेंगे ।

हमारे यहां कुल 61 औद्योगिक आस्थान हैं जिनमें आप देखेंगे कि 900 हैं भवन हैं और 2133 भूखंड हैं । कुल आबंटित भवन 867 और भू–खंड 1,681 हैं उसमें कुल कार्यरत भवन 691 हैं और भू–खंड 761 दिये गये हैं । औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत कुल 12914 व्यक्तियों को काम मिल पाया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए 26 और औद्योगिक आस्थानों को विकसित करने का प्राविधान किया गया है ताकि छोटे–छोटे उद्योग लगाये जा सकें । इन इकाइयों में लगभग 14 करोड़ रु० मूल्य का वार्षिक उत्पादन होता है । प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने के लिए छोटे–छोटे औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का भी विचार है ।

एक चीज और है, अभी तक हमारे यहां कोई टूलरूम नहीं था और छोटे–छोटे पुर्जों के लिए लघु इकाइयों को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था । इस बार पहली बार लखनऊ में एक टूल संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया गया है जिस पर लगभग 3.60 करोड़ रु० की लागत आयेगी । इससे लघु इकाइयों की टूल्स की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी ।

[श्री राम नरेश यादव--]

हमारे यहां हस्तशिल्प क्षेत्र में भी कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होता है। उनकी मांग संसार के बाजारों में काफी है। हमारे प्रदेश के लगभग 4 लाख कारीगर इन इकाइयों में, जिसमें कालीन, चिकन, पीतल, लकड़ी पर नक्काशी का काम, हाथ से छपाई, जरी तथा संगमरमर आदि का काम होता है, लगे हुये है। कालीन हमारे यहां से बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। इन वस्तुओं से हमको फारेन एक्सचेंज काफी मात्रा में मिलता है। कालीन बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बने हैं।

एक सदस्य--

जूते और चूड़ियों के लिए भी कुछ कर रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जूतों के लिए भी कारपोरेशन बना है वह बहुत कुछ करने जा रहा है। जिससे काफी धनराशि मिलती है। कालीन प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए काफी ट्रेनिंग सेंटर में वृद्धि की गई है। वर्ष 77-78 में 105 केन्द्र खोले गये तथा 78-79 में आल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड द्वारा 20 व सरकार द्वारा 50 केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक केन्द्र पर 50 व्यक्तियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 50 क्राफ्टसमैन द्वारा 250 कारीगरों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देने की योजना है।

एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह यह कि जो माल बन जाता है उसको बाहर भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाती है इसलिए इस बार एक एयरकारगो काम्पलैक्स की स्थापना बनारस में की जा रही है जिसमें शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा इसके अलावा कानपुर में भी इसे बनाने का प्रस्ताव है ताकि निर्यात बढ़ सके।

अधिक से अधिक रोजगार मिल सके इसके लिए हथकरघा उद्योग का बड़ा महत्व है। हथकरघा भाइयों को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उनको स्पिनिंग मिल्स से सूत मिल सके इसके लिए 6 मिलों के गेट पर सेल डिपो खोलने की व्यवस्था की है ताकि उनको सूत आसानी से मिल सके।

जनता वस्त्र उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है। 77-78 में 241.16 लाख वर्ग मीटर उत्पादन हुआ था जोकि 78-79 में 385.8099 लाख मीटर हो गया है। और 79-80 में इसके उत्पादन का लक्ष्य 450 लाख वर्ग मीटर रखा गया है।

एक बात और है टेरीकाट आधारित वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग एवं इससे बुनकरों की बढ़ती हुई आय को देख कर रानीपुर तथा मऊ रानीपुर (झांसी) में प्रथमवार पालिस्टर उद्योग का प्रयोग कराकर एक लाख वर्गमीटर टेरीकाट कपड़े का उत्पादन किया गया है।

(इस समय 2 बज कर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

हथकरघा सघन विकास परियोजना के अन्तर्गत इस समय चार योजनाएं--गोरखपुर, बस्ती, बिजनौर व मऊ (आजमगढ़) में हैं और मेरठ में भी चल रही है। इसी

प्रकार इस वर्ष से दो नई योजनायें फैजाबाद–बाराबंकी तथा मुरादाबाद–रामपुर में लागू की जा रही हैं। जो हथकरघा विकास परियोजना है, उसमें नई–नई सुविधा देन की बात है। इसके अन्तर्गत 27069 हथकरघों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा बुनकरों को आर्थिक सहायता के तौर पर 86.91 लाख तथा 178.96 लाख रुपये के मूल्य का कच्चा माल उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। ताकि कम से कम ऐसे बुनकरों का काम चलता रहे, जिनकी बिक्री नहीं होने पाती। बुनकरों के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कि उनको रंगाई और डिजाइन की जरूरत पड़ती है। 30 रंगाई घरों की स्थापना की गयी है, ताकि वहां से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें और उनकी हेतु डिजाइन सेन्टर्स की भी स्थापना की गयी है, जहां से उन्हें अच्छी–अच्छी डिजाइनें मिल सकें। इस तरह वर्ष 78–79 हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा 67 बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गयी है और इनके माध्यम से 78–79 में 15.42 करोड़ रुपये मूल्य के माल की बिक्री की गयी। वर्ष 1979–80 में इस कार्यक्रम के और अधिक विस्तार की सम्भावना है। हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा क्रमशः 187.04 लाख रुपये तथा 219.16 लाख रुपये मूल्य का कच्चा माल भी बुनकरों को उपलब्ध कराये जाने की योजना है। बस्ती (खलीलाबाद) में एक प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है और दूसरी मऊ में स्थापित करने का मामला विचाराधीन है, जिसका इस बजट में प्राविधान रखा गया है।

हथकरघा सहकारी समितियों को भी और सफल और सबल बनाने की हमारी योजना है, जिसके अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में लाए गए हथकरघों को पंजीकृत किया जा रहा है और इनकी हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने की बात है। सहायता देने के लिए 79–80 में सहकारी क्षेत्र में लाये गये हथकरघों की संख्या 12500 करने का हमारा लक्ष्य है और इनके पंजीकृत करने का लक्ष्य 250 है।

इन समितियों को रिजर्व बैंक योजना के अधीन कार्यशील पूंजी, हिस्सा पूंजी ऋण तथा प्रबन्धकीय सहायता के अतिरिक्त आधुनीकीरण, रंगाई घरों की स्थापना व डिजाइन केन्द्रों की स्थापना आदि के लिए भी आर्थिक सहायता जुटाई जाती है। इस सम्बन्ध में काफी धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी काफी लोग इसमें लगे दिखाई देते हैं। उनकी स्थिति सुधारने के लिए उनकी भी समितियां बनाकर उन्हें विशेष रूप से सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और उसके लिए नौतनवा, गोरखपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है और अगले वर्ष से कुछ और ऐसे ही प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की हमारी योजना है। इसमें 150 उन जातियों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

79–80 में स्वचालित हथकरघा काफी संख्या में रुग्ण बन गये थे उनको ठीक बनाये रखने के लिए 1 हजार रुपया प्रति हथकरघा की दर से वित्तीय सहायता देने का भी प्राविधान है।

[श्री राम नरेश यादव--]

हमारे प्रदेश का रेशम उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग है। अतः इस उद्योग में लगे लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना भी शुरू की गयी है। नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर-खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया तथा गोरखपुर के 8 तराई जिलों में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड की सहायता से "तराई रेशम परियोजना" प्रारम्भ की गयी है। अनुमान है कि उसकी लागत 344.40 लाख रुपये होगी। प्रथम दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए 87.42 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। अब 78-79 में इस बात का प्रयास किया गया है कि उन जिलों में 20 एकड़ के शहतूत के वृक्ष अवश्य लगाए जाएं और 1500 व्यक्तियों को इसमें प्रशिक्षित किया जाय। ऐसे लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे पांच हजार परिवारों को आसानी से काम मिल सके। इस प्रकार लघु और कुटीर उद्योग पर बल दिया गया है।

माननीय सदस्य जानना चाहते होंगे कि प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर का कारखाना लगने वाला था और इस समय क्या हो रहा है। मैं इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि जहां तक उस ट्रैक्टर कारखाने का सवाल है, आटो ट्रैक्टर्स का, उस सम्बन्ध में सरकार ने पिछले दिनों में बहुत कोशिश की है कि उसमें विलम्ब न किया जाये। जैसा कि पिछले दिनों में सदन को अवगत कराया था, पिकअप मैनजमेंट के जो डाइरेक्टर हैं उनको वहां भेजा था कि वहां देखें कि क्या काम हो गया है। बहुत सारा काम कर दिया गया है। उस आधार पर जो व्यवस्था होने जा रही है, 1981-82 में उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य रख दिया गया है। एक हजार व्यक्तियों को सीधा रोजगार उसमें मिलेगा। (व्यवधान) 1981-82 में उत्पादन आरम्भ हो जायगा। मैं इतनी ही बात बता रहा हूं, इसलिए जो सारी कठिनाइयां पिछले दिनों में थीं, ऐग्रीमेन्ट की यह सारी चीजें हो गई हैं। ऐग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद सारा काम आरम्भ कर दिया जायगा।

अभी हमारे यहां बम्बई से गैस मिली है जिसके आधार पर यह व्यवस्था सोची जा रही है, उसका इस्तेमाल अपने प्रदेश में क्या हो। उसके आधार पर जो हमारी केन्द्रीय सरकार ने एक टीम बनाई है, हमने भी यहां पर एक प्रस्ताव बना कर भेजा था, उसमें प्रस्ताव है कि कम से कम 6 कारखाने गैस से चलने वाले स्थापित किये जायें। हमारे प्रदेश में फर्टिलाइजर का सारा उद्योग चलाने के लिए कारखाने खोले जायें ताकि उससे काफी लाभ हमारे प्रदेश को मिल सके। मथुरा में जो रिफाइनरी है उसमें नेफ्था का इस्तेमाल करने के लिए एरोमटिक काम्प्लेक्स लगाया जायें। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इकाई इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा नेफ्था का उत्तर प्रदेश में एरोमटिक काम्प्लेक्स स्थापित करने की सम्भावना के सम्बन्ध में अध्ययन करवाया है। उस पर काफी प्रयास हो रहा है और केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक सीमेंट का सवाल है उसका भी बहुत अभाव रहता है। (व्यवधान) धीरे-धीरे जो कमी रही है पिछले दिनों की, उसकी पूर्ति की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश को इससे अधिक लाभ होगा कि बाहर से सीमेंट की व्यवस्था न करनी पड़े। प्रदेश को कभी-कभी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह स्थित न आने पाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, खजुराहट चुनार में कारखाना बनाया जा रहा है। 16.80 लाख टन पोर्टलैंड सीमेंट बनेगा। अगले आने वाले दिनों में उत्पादन शुरू होने वाला है। पिथौरागढ़ में मिनी प्लांट लगाने की बात है। कुछ और जगहों की चर्चा हो रही है। भारत सरकार के विचाराधीन है ताकि जो सीमेंट का अभाव है वह न रहे।

कुछ खादी ग्रामोद्योग की तरफ से काम किए गए हैं ताकि ग्रामीण उद्योगों का विकास हो जाये। बलिया, गाजीपुर में कम्बल का कारखाना लगाने की बात है। उसका काम आरम्भ हो रहा है। बलिया में भी 9 लाख रुपये की व्यवस्था हो गई। बलिया में लगाने की बात है। (व्यवधान) स्थान बाद में तय होता रहेगा। चार सौ लोगों को काम मिलेगा। जो योजना है उसको मैं बतला रहा हूं। माचिस डिबिया का कारखाना काशीपुर में लगने वाला था। उसकी स्थापना के बारे में जो देरी हुई वह इसलिए हुई कि समय-समय पर स्थान परिवर्तन की बात होती रही। 1976-77 में जो मन्त्रि मन्डल था उसने स्थान परिवर्तन की बात की थी लेकिन फिर यह तय हुआ है कि पहले स्थान पर ही लगाया जाये। इस पर 15 लाख रुपया व्यय होगा तथा 150 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा। जसपुर नैनीताल में लोक वस्त्र इकाई की स्थापना हो चुकी है। उस पर लगभग 12 लाख रुपया व्यय होगा तथा 75 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धाथ कागज केन्द्र-आजमगढ़ में खोला जा रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस इकाई पर 6 लाख रुपये का व्यय होगा तथा 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। कम्बल उत्पादन केन्द्र, आदिलाबाद (गाजीपुर) में खोला जा रहा है। इस पर 12 लाख रुपये का व्यय होगा। लालकुंवा की फैक्ट्री का मामला 11 साल पुराना हो गया है। इसका सर्वे होगा और यह हमारे विचाराधीन है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

लालकुंवा में ही लगावें।

श्री अधिष्ठाता--

यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री राम नरेश यादव--

इसी तरह से जो लघु उद्योग हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात है, उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्त निगम है वह उनको ऋण देने में काफी कामयाब रहा है। दिक्कत कभी-कभी यह पड़ जाती है कि कई विभागों में समन्वय नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया गया है कि एक समन्वय समिति बनाई जाए और जो वित्त निगम है वह स्वयं इस बात को देख रहा है जिससे जो उद्यमी है उसको कठिनाई न हो।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम के अन्तर्गत गत वर्ष आगरा में एक डिजाइन डेवलपमेंट सेन्टर की योजना स्वीकृत हुई थी। इसका कार्यान्वयन हो रहा है। गत वर्ष एक दूसरी योजना जूता उत्पादन केन्द्र की स्वीकृत हुई थी जिसके लिए भूमि एवं भवन की धनराशि दे दी गई थी। निगम की तीसरी महत्वपूर्ण योजना उन्नाव लेदर काम्पलेक्स में सामूहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना है। इसमें सारी चीजों की प्राप्ति की जा चुकी है। कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना जारी रहेगी। गत वर्ष 50 केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई थी जो इस वर्ष स्थापित किए जायेंगे। इसमें 3500

[श्री रामनरेश यादव—]

प्रशिक्षार्थियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण मिलेगा । इस वर्ष इस योजना के लिए 39 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। सहारनपुर में 3 चेम्बर्स की स्थापना की जा रही है जिसमें 14.85 लाख की धनराशि का प्राविधान है । सीजन्ड और अनसीजन्ड लकड़ी के अन्तर को सब्साइड करने के लिए प्रयास किया गया ताकि लोगों को अधिक पैसा न देना पड़े । इसके लिए 2 1/4 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है ।

जहां तक मिनरल्स और माइन्स का सवाल है इस बात को ध्यान में रखते हुए यह उद्योग चलाया गया और विशेष रूप से मिर्जापुर, देहरादून और पर्वतीय अन्चल को ध्यान में रखकर काफी काम किया जा रहा है । वर्ष 1979-80 में इन सभी खनिज भंडारों के अन्वेक्षण को तीव्र करने के अतिरिक्त ललितपुर में भारत सरकार के परमाणु खनिज डिवीजन (एटोमिक मिनरल्स डिवीजन) के सहयोग से तांबा यूरेनियम इलाहाबाद तथा बांदा जनपदों में सिलिका सेंड, मिर्जापुर जनपद में लाइम स्टोन-डोलोमाइट तथा क्ले एवं अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य परियोजना के सहयोग से आधारभूत खनिजों की खोज का कार्य भी आगे वर्ष के लिए प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के कार्यक्रमों में तीन प्रमुख परियोजनायें है, लम्बीधार खान, मसूरी, जनपद देहरादून । इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ रुपये हैं । वर्ष 1981-82 के अन्त में यह-परियोजना पूरी हो जायेगी और जिसमें 4.5 लाख टन प्रति वर्ष उच्च श्रेणी का मार्बल / लाइम स्टोन उपलब्ध हो जायेगा जो कागज-चीनी और रासायनिक उद्योग में प्रयोग होगा ।

इसके साथ-साथ इस खान के लिए एक रज्जू मार्ग (एरियल रोपवे) भी लगेगा जिसका अनुबन्ध हो चुका है । योजना में लगभग 2305 आदमियों को रोजगार मिलेगा । कैल्शियम कार्बाइड संयंत्र, जनपद देहरादून—इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ है और वर्ष 1981-82 के प्रारम्भ में योजना पूरी हो जायेगी । उत्पादन के तृतीय वर्ष से 16,500 टन प्रति वर्ष कैल्शियम कार्बाइड बनने लगेगा । इस संयन्त्र की स्थापना के लिए लगभग 6 करोड़ का टर्नकी-अनुबन्ध किया जा चुका है । संयंत्र में 256 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । इस तरह से कैल्शियम कार्बाइड, लाइम तथा लाइम-स्टोन आधारित डाउन-स्टीम तथा एन्सिलरी उद्योगों से एक कैमिकल्स काम्पलेक्स के सृजन की परिकल्पना है जिसमें लगभग 36 करोड़ पूंजी विनियोग तथा 4000 व्यक्तियों को काम मिलेगा ।

ओबरा के समीप लाइम-स्टोन के उत्खनन के लिए निगम स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के साथ संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी बना रहा है । इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपया होगी । वर्ष 1981-82 में योजना पूरी होगी और 5 लाख टन प्रति वर्ष लाइम स्टोन का उत्खनन व प्रेषण होगा इस योजना में प्रत्यक्ष 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

इसी आधार पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कजराहट-चुनार में 16 8 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक सीमेंट का कारखाना तैयार हो

जायेगा । उसी प्रकार से देहरादून तथा टेहरी गढ़वाल जनपदों में खदानों के सर्वेक्षण कार्य में काफी प्रगति हुई है ।

खनिजों के सिलसिले में भी बहुत कुछ कार्य उद्योग विकास निगम की ओर से और लघु उद्योग निगम की ओर से कच्चा माल पहुंचाने और ट्रेनिंग आदि के सिलसिले में भी बहुत काम हो रहा है ।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि जो बजट मेंने सदन म पेश किया है उसे आप पास करेंगे । आप लोगों के इस सम्बन्ध में जो बहुमूल्य सुझाव आवेंगे, जो बातें आयेंगी, उन सब पर आप और हम मिल कर प्रदेश को नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे । मुझे आशा है आप अपने मौलिक सुझाव देंगे ताकि उन सुझावों के आधार पर हम कुछ कर सकें । इन शब्दों के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि अभी बहुत कुछ काम आने वाले दिनों में किया जायेगा और प्रदेश का विकास किया जा सकेगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करन का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करन का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मुझे श्रीमन्, कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

20 मिनट। वैसे आप बोलें, मैं देख लूंगा। आप शुरू करें।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जितनी चीजें बतायीं, वे सभी जो हमको एक लाल और एक हरी पुस्तिका मिली है उसमें सब दी हुई है। मैं जनता पार्टी की सरकार की जो औद्योगिक नीति रही है उसकी विवेचना तो करूंगा ही, साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि उद्योग विभाग जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिये था, उनको नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनका उद्योग से कोई वास्ता कभी नहीं रहा, कुटीर उद्योग के बारे में जिनकी कोई जानकारी नहीं है, उनको यह विभाग दिया गया है। यही कारण है कि हमारे यहां पर कैपिटा इन्कम और औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर जितनी तेजी से घटी है उतनी तेजी से बढ़ी नहीं है। जिन हमारे मित्र को उद्योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको यह विभाग दे दिया गया है....

(शोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह व्यवधान न पैदा करें।

श्री गुलाब सेहरा--

अब माननीय राम नरेश जी किसी तरह काम चला रहे हैं-...."जीने को जी रहा हूं गर्दिशे दौरां के साथ-साथ, यह नागवार फर्ज अदा कर रहा हूं मैं।" यह हमारे यहां ही प्रथम बार यह परम्परा पड़ी है कि जो एक बार मुख्य मंत्री रह चुका हो वह उसके बाद उप मुख्य मंत्री रहे....

(शोर - व्यवधान)

(श्री हरी सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरी सिंह जी, यह तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं कहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसको जिस विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, उसे वह विभाग सौंप दिया जाय। मान्यवर, फर्नांडीज जापान तो वह घूम आये। जापान से एक चीज ले आये। मैं केवल इस बात को कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की औद्योगिक नीति क्या थी और उसके अनुसार चल कैसे आप रहे हैं। जनता पार्टी के मैनिफैस्टो के पेज 131 में आप देखें कि यू इकोनामिक चार्टर जो दिया है, उसमें है व्यक्तिगत सम्पति क मौलिक अधिकार का बहिष्कार और भरपूर रोजगार की गारंटी, गांधीवादी आस्था के अनुकूल उपभोग में संयम, अर्द्ध व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण। दस वर्ष के भीतर भुखमरी का अंत। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन अधिक। लघु उद्योग के उत्पादन। लघु उद्योग क उत्पादन का क्षेत्र। बोनस का आश्वासन।

श्रीमन, इस चार्टर को बनाने के बाद 77 में एक 15 व्यक्तियों की कमेटी बनाई और 15 व्यक्तियों में यह कहा गया कि आप आर्थिक नीति का मसौदा तैयार कीजिए। हुआ यह कि उस नीति पर कितना विवाद रहे। जब मैंने चौधरी चरण सिंह जी की किताब देखी "भारत की अर्थ नीति" उसमें पेज 73 में आप देखें," "मिश्रित अर्थ व्यवस्था की आलोचना।" समाजवाद और पूंजीवाद में समझौता"। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब मजदूर का रुतबा बढ़वाना। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की बिलकुल आलोचना की गई है। उसी कमेटी में जितने मेम्बर थे, उन्होंने इस बात की आलोचना की कि बिलिट्स में एक इन्टरव्यू चौधरी चरण सिंह का निकला था 5 नवम्बर, 1977 में, उन्होंने नेहरू की मिश्रित अर्थ व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम इस देश की घटी है और ग्रामीण उद्योग की बात की, कुटीर उद्योग की बात को। उस इण्टरव्यू में वोनस को तो रोग बताया। सार्वजनिक क्षेत्र की भरपूर आलोचना की।

श्रीमन् जी 15 आदमी की कमेटी, जिनको औद्योगिक नीति तय करना था, उसके तुरन्त बाद बाबू जगजीवन राम जी का बिलिट्स में इन्टरव्यू निकला। उन्होंने कहा कि नेहरू की निन्दा करने वाले को मैं फटकारता हूं। गांधी और नेहरू समान विचार के थे। बिलिट्स के 18 अक्तूबर, 1978 के अंक में बाबू जगजीवन राम ने इन्टरव्यू देते हुए कहा कि केवल 20 सूत्रीय कार्यक्रम सही था। कृषि विकास के नाम से बड़े जमींदार लाभान्वित हुए। आश्चर्य देखिये कितने बयान निकले कभी ये, कभी वह। बयान यह दिया हिन्दुस्तान में 29 जून, 1977 को श्री एच० एम० पटेल उस समय वित्त मन्त्री थे। सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों को तरजीह खत्म करने का निर्णय। जार्ज फर्नांडीज ने भी कहा कि सब बयान दे रहे हैं हम भी दे दें, बड़े उद्योगों पर अंकुश। 10 जुलाई, 1977 को निकला।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

वह केन्द्र पर बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पर बोल रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जार्ज फर्नान्डीज ने जिस बात का विरोध किया दूसरे बयान में जो 5 सितम्बर, 1977 में निकला, सार्वजनिक उद्योगों के बारे में, बढ़ाने की नीति जनता सरकार की है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति के पक्ष में जनता सरकार है 29-6-77 को स्टेटमेन्ट दिया। उन्होंने कहा अंकुश लगायेंगे, 10-11-78 को हिन्दुस्तान टाइम्स में बयान दिया। बड़े उद्योगो की उपेक्षा नहीं होगी। हमारी औद्योगिक नीतियां जो तय होती है वह आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित होती हैं। ऊपर के लोग भटकाव की स्थिति में हैं और चार्टर धरा रह गया। मिश्रित अर्थ व्यवस्था, जिसकी चौधरी साहब ने बुराई की नवम्बर, 1977 में नीति घोषित ही गई, खोदा पहाड़, निकली चुहिया....

(व्यवधान)

बहुत सुन्दर, कहते हैं- कुछ तो निकला, अगर आप चुहिया निकालते रहे तो ठीक है। श्रीमन् अब उसके बाद 1979 में उस आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप लोगों

[श्री गुलाब सेहरा—]

न क्या विचार दिये ? जरा सुनें । इण्डस्ट्रियलिस्ट जो हैं, नार्दन पत्रिका, 7 जून, 1979, इसमें उत्तर प्रदेश के मर्चेन्ट चैम्बर के अध्यक्ष, श्री गोविन्द हरी सिंहानिया ने क्या कहा, रिवर्स गेयर में औद्योगिक नीति चला दी । श्रीमन् मैं नहीं कहता : स्वतन्त्र भारत के एडीटोरियल, 2 फरवरी, 1979, इसमें बिल्कुल साफ कहा गया, सूचकांक दिया गया औद्योगिक नीतियों के परिणामस्वरूप विकास की दर एक प्वाइंट समापिंग बढ़ी । यानी जिस तेजी से होना चाहिए, नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष जी, "नव भारत टाइम्स" 21 अप्रैल, 1979 में भी दिया है । औद्योगिक नीति की आलोचना की गयी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दर कम हुई । श्रीमन, "दैनिक जागरण" 2 अप्रैल, 1978 का उसमें भी यही बात कही गयी है, फिर इससे भी ज्यादा "टाइम्स आफ इंडिया" 2 अप्रैल, 1979 में भी निकला है कि "वार्निंग अगेंस्ट नेगलेक्ट आफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ" तो मेरा कहना है कि औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप यह स्थिति आयी कि विकास की दर जिसको बढ़ना चाहिये था, वह नहीं बढ़ी है बल्कि घटी है । आप देखें, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं । यहां के उद्योग निदेशक का बयान निकला, "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" अखबार में निकला, उसमें निदेशक ने माना है कि पिछले साल के 9 महीनों में औद्योगिक विकास की दर 4–5 प्रतिशत रही है । जबकि 1976–77 में इसी अवधि में वह 10–12 प्रतिशत थी । यह मैं नहीं कहता हूं, यह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज कहते हैं । 10–12 फीसदी जो पिछले साल थी वह 4–5 रह गयी ।

मैं अगर योजनाओं की बात कहने लग जाऊं तो रामगंगा, शारदा सहायक नहर की योजना में 18 प्रतिशत रुपया खर्च हुआ और 82 परसेंट लैप्स हो गया । मैं अब दूसरी बात कहता हूं आपकी औद्योगिक नीति के आधार पर परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति किसान की 20 परसट की आ गयी और श्रमिकों की इससे भी घट गयी है । घाटे का बजट लगातार चला आ रहा है । 1976–77 में 227 करोड़ रुपये का घाटा था, 1977–78 में 387 करोड़ का घाटा था, इस साल भी घाटा है । 1976–77 में वार्षिक योजना उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 35 प्रतिशत बढ़ी । 1977–78 में 25 प्रतिशत बढ़ी और अब यह 16 प्रतिशत बढ़ रही है । सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, आपके कारपोरेशंश की मैं बात करता हूं आप बतायें कि आपका कौन सा कारपोरेशन ठीक काम कर रहा है । मुझे बता दीजिये । टेक्सटाइल्स कारपोरेशन में 75 करोड़ रुपये और परिषद में 125 करोड़ रुपये का घाटा है । मैं कहता हूं कि आपका निर्यात निगम घाटे पर चल रहा है। वहां क्या एक्सपोर्ट कर रहा है क्या इम्पोर्ट कर रहा है कुछ पता नहीं है ।

आपके कारपोरेशंश की हालत बहुत ही खराब है । उन्नाव में आपने एक टूल्स फैक्ट्री बनायी थी । आपके परिवहन निगम को टूल्स देना था लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि हम नहीं लेंगे । तो यह तो आपकी क्वालिटी है, आपके निगम की क्वालिटी है । मैं दूसरी बात कहता हूं, आपने तो कम बयान दिये हैं । लेकिन पिछले उद्योग मन्त्री राम प्रकाश जी ने ऐसे–ऐसे बयान दिये हैं कि आप ताज्जुब करेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राम प्रकाश जी ने जिन लोगों को राजनीतिक–आधार पर जितने कोटे और परमिट और लाइसेन्स दिये हैं, मैं ब्योरे वार बताऊंगा, अगर ईमानदारी से आप, समझते हों, तो जांच करायें और निरस्त करायें । मैं जानता हूं कि उद्योग विभाग में क्या हुआ, आप पूछिये कि क्या–क्या बयान दिया । मान्यवर, जनता को सब्ज बाग दिखाये । उदाहरण स्वरूप मैं दूं । "दैनिक जागरण" 12 जुलाई, 1978 को राम प्रकाश जी न कहा है, बुनियादी परिवर्तन करग, नया औद्योगिक ढांचा खड़ा करेंगे । बिजली का निश्चित

कोटा उद्योग के लिए करेंगे। और आई० ए० एस० के बावजूद टेक्निकल व्यापारिक दृष्टिकोण के व्यक्तियों को लेंगे जिनसे ग्रामीण विकास करेंगे और कोटा परिमट की सांठगांठ को समाप्त करेंगे। इसी में मान्यवर, देखें श्री रेवती रमण सिंह, श्री राम प्रकाश जी से भी आगे बढ़ गये और 5 दिन बाद दैनिक जागरण में 17 जुलाई को उनका बयान निकला कि 6 महीने के अन्दर फल दिखाई देगा। ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष लगेगा और कार्यक्षमता तीगुनी हो जायेगी। तो इस तरह के बयान होते हैं।

मान्यवर, जहां तक उद्योगों के विकास की प्रगति का सवाल है तो उसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो यह उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास-प्रगति समीक्षा 1978-79" पुस्तिका है, उसके पेज नं० 10 में लिखा है कि "निम्नलिखित स्थानों पर 10 और चीनी मिलों की स्थापना हेतु प्रयत्न किये जा रहें हैं।" इसमें मैं बताना चाहता हूं कि पांच चीनी मिलें तो चल रही हैं जैसे बीसलपुर, पीलीभीत, बिलासपुर, रामपुर, तिलहर, शाहजहांपुर, ननौता (सहारनपुर) और बुद्धपुर (मेरठ)। श्रीमन, ताज्जुब करेंगे कि यह चीनी मिलें चल रहीं हैं लेकिन वह लिख रहें हैं कि स्थापना की जा रही है।

मान्यवर, अभी घोषणायें हुईं कि 50 हजार आबादी पर 82 सेन्टर खुलेंगे, 60 केन्द्रों पर इतने आदमियों को लिया जायेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज अभी जापान गये थे वहां से एक आइडिया लाये हैं। उसी आइडिया के तहत यह जो घोषणायें हुई हैं उनको जिला स्तर पर एक छत के नीचे प्रोग्राम के अन्तर्गत जो औद्योगिक केन्द्र खोल रहें हैं जिनमें 72 कर्मचारियों की एक टीम छत के नीचे बैठायेंगे, जहां आप उद्योगों को बिजली, कोयला और स्टील नहीं दे सकते हैं वहां औद्योगिक विकास क्या एक कमरे में करेंगे? इन केन्द्रों म एक जनरल मैनेजर क्लास-1, 6 मैनेजर क्लास-2, सबारडिनेट सर्विसेज में 17 आदमी इंस्पेक्टर रेंज के होंगे, असिस्टेन्ट मैनेजर रखा है, इस प्रकार आकर्षण के नाम रखे हैं। 72 आदमियों का स्टाफ आप जिला स्तर पर रख देंगे और सबार्डिनेट सर्विसेज में इनमें कुल 80 पोस्ट हैं। इस फौज का एक छत के नीचे बैठा कर आप उद्योग का विकास कर पायेंगे? हमने 1974-75 में ए० डी० ओ०, जिला स्तर पर कुटीर उद्योग के लिए रखा था और बाद म चौधरी साहब जब आये तो वह पोस्ट खत्म कर दी गई। आपने लाइसेन्स बन्द कर रखें हैं, ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज, कापर इंडस्ट्रीज वगैरह के। बुनियादी प्रश्न यह है कि हमारी सिक यूनिट्स जितनी भी हैं उनके बारे में आपने कभी सोचा? पिछली बार कहा गया कि पिकअप मैनेजर विभागों से कोआर्डिनेशन रखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? लैंड सीलिंग की बात है। मैं आपको बताता हूं, यह गुजरात का जी० ओ० है। इस जी० ओ० में जो इंडस्ट्रियलिस्ट एम्जिस्ट कर रहा है उसको इम्जमप्ट किया गया है और आपके यहां इतना लम्बा प्रोसीजर है कि अगर वह एन्जम्पशन के लिए एप्लाई करें तो सात जगह से वह एप्लीकेशन पास होगी। आपको गुजरात की तरह चलना चाहिए। अभी मुझसे चर्म विकास निगम की बात की गई। उसकी सेल हम देख रहें हैं 25 लाख। एक जूते का जो छोटे से छोटा होलसेलर है, उसकी बिक्री 50-60 लाख है। जिस आगरा में 10 हजार यूनिट्स इसकी हैं उसमें से 50 आदमियों को आप रोजगार दे पाये हैं। मेरा निवेदन इतना है कि जो बुनियादी प्रश्न है वह तो मैं बाद म बताऊंगा लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि औद्योगिक तरक्की के लिए, उद्योग

[श्री गुलाब सेहरा—]

मन्त्रालय को चलाने के लिए आपको अनुभवी लोगों का सलाह–मशविरा एडवाइजरी कमेटी के रूप में लेना होगा ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं उद्योग मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए और माननीय गुलाब सेहरा जी के कटोती प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । गुलाब सेहरा जी न जो कहा है कि उद्योग मन्त्री इस तरह के बनाये नये हैं । जिनको अनुभव नहीं है । लेकिन 30 साल का अनुभव बताता है कि गुलाब सेहरा जी तो हमेशा बड़े–बड़े लोगों को, टाटा, बिरला को ही देखते रहे लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र के अनुसार प्रदेश की 80–90 प्रतिशत जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की है ।

मान्यवर, आज उद्योग मन्त्री महोदय ने जो उद्योग की योजना उत्तर प्रदेश की रखी है, मैं अनुभव करता हूं कि पिछले 30 साल के अन्दर जो योजनायें चलीं हैं, उसका परिणाम यह हुआ है कि गरीबी अधिक बढ़ी ह, कच्चा माल यदि देहरादून में पदा होता है तो वह माल जा कर बम्बई में बनता है और कुछ सीमा तक अभी तक जनता शासन भी इसी तरह का रोल कर रहा है । मैं उद्योग मन्त्री जी से चाहूंगा कि आज औद्योगिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वह यह है कि जो कच्चा माल जिस क्षेत्र में पदा होता है वहीं पर उससे सम्बन्धित उद्योग लगाया जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र जहां से मैं आता हूं के दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं । इस उद्योग विभाग से पूरे बजट में उत्तरकाशी, टिहरी जिलों का कहीं भी नाम नहीं है । देहरादून का थोड़ा बहुत नाम है । लेकिन देहरादून बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जौनसार, भाभर का इलाका है । उस क्षेत्र में कहीं भी कोई उद्योग नहीं है । नाम मात्र के लिए इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है । चमोली का कहीं जिक्र नहीं है । पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए कच्चे माल का भण्डार पर्वतीय क्षेत्र है । कच्चे माल के आधार पर उद्योग वहां पर लगने बहुत आवश्यक हैं । हम जब जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलती हैं, उनसे बिजली पैदा होती है और औद्योगिक विकास होता है । हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है कि देहरादून में हम कलशियम की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं । इससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे यहां चून का पत्थर, सिमेन्ट का पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है लगभग पचास किलोमीटर की एक पूरी वैल्ट इसकी है देहरादून से लेकर टिहरी–नागणी तक लेकिन आज तक वहां पर सिमेन्ट की फैक्ट्री नहीं लग सकी इसे लगाने की बड़ी आवश्यकता है । बीसियों बार इसे लगान का प्रस्ताव किया गया लेकिन न जाने किन कारणों से यह स्थगित रखनी पड़ी जब कि हमारे यमुना के वार्डर पर हिमांचल ने फैक्टरी लगा कर खड़ी कर दी है । हमारा उत्तर प्रदेश कच्चे माल के लिए भण्डार है परन्तु न जाने किन कारणों से, पैसों वालों के प्रभाव से, जो उद्योग प्रस्तावित होते हैं और क्यों स्थगित कर दिये जाते हैं । वहां पर आज तक सिमेन्ट की फैक्टरी लगाने में सरकार समर्थ नहीं हो सकी ।

हमारे देहरादून में डाक पत्थर तक रेल की सर्वे हुई थी, डाक पत्थर में सिमेंट फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव था, नहीं हो सकी । हमारे देहरादून सर्वे की रिपोर्ट यह थी कि पचास साल के लिए वहां पर भण्डार प्राप्त है । सिमेन्ट फैक्टरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का प्रस्ताव न जाने किन कारणों से स्थगित हो गया है। चूने का पत्थर लाइम स्टोन हमारे क्षेत्र में निकलता है उसकी जो रोड़ी होती है उसमे एक मिनी सिमेन्ट फैक्टरी लगाने का उस क्षेत्र में प्रस्ताव था। लाखों करोड़ों टन पत्थर जाया हो जाता है। लाल बत्ती जलने पर मुझे दो मिनट और दे दें। मैं सुझाव मात्र दे देता हूं।

मान्यवर मैं यह चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में सिमेन्ट की फैक्टरी लगाने में प्राथमिकता दी जाय जिससे सिमेन्ट की समस्या हल हो सके।

हमारे क्षेत्र में रेशम उद्योग भी होता है। हमारे यहां से कोकून मालदा जाता है, बिहार जाता है। गरीब हरिजन लोग उसे बनाते हैं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि रेशम के धागे पर जो टैक्स लगा दिया गया है उसे समाप्त किया जाय।

एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि देहरादून से लेकर टेहरी नगणी तक पचास किलोमीटर के बेल्ट में लाइम स्टोन निकलता है वह ट्रकों से बड़ी मुश्किल से लाया जाता है। वहां पर यदि छोटी लाइन रेल की बना दी जाये तो इस काम में आसानी हो सकती है।

हमारे क्षेत्र में रेशम है, लाइम स्टोन है, वहां पर उद्योग का क्षेत्र है, वहां पर उद्योग लगाये जायं ताकि वहां के पिछड़े पन को दूर किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आपके इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)--

मान्यवर मैं उद्योग मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारी जनता पार्टी की जो औद्योगिक नीति है ....

श्री देव बहादुर सिंह--

है ही नहीं कुछ ...

श्री राम प्यारे--

वह बहुत ही उत्तम है। कांग्रेस के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। वे अपनी पुरानी नीति पर तड़फड़ा रहें हैं। आज जरूरत इस बात की है कि औद्योगिक नीति हमारी ऐसी हो कि गांव में कुटीर उद्योग खोले जायं, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि गांव के गरीब तथा बेकार लोगों को रोजगार मिल सके। किसी देश की पूंजी तीन होती है। भूमि, धन और व्यक्ति।

हमारे देश में जमीन कम है, धन भी कम है लेकिन आदमियों की पूंजी जरूरत से ज्यादा है। इसलिए हमारी औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिये जिसमें हर इन्सान को रोजगार मिल सके। समाज मे सच्ची शान्ति एवं सुख की अगर स्थापना करनी है तो जरूरी है कि समाज में बेरोजगारों तथा बेकारों को रोजगार मिले, रोजी व रोटी मिले। हमारे यहां एक मसला है कि बेकार की बुद्धि शैतान की होती है देश में जन संख्या एवं जन शक्ति बेतहाशा बढ़ रही है इस वास्ते सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक का

[श्री राम प्यारे]

बढ़े । लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो समाज में लोग अधिक बेकार होंगे, रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो फिर वह डकैती डालेंगे, राहजनी करेंगे,, पाकेटमारी करेंगे । इसके लिए अच्छा है कि हम कम से कम मशीनों का इस्तेमाल करें, ऐसे उद्योग लगायें जिनमें अधिक से अधिक हाथों का इस्तेमाल हो जैसे साबुन बनाने का काम है, दियासलाई बनाने का काम है, कागज का उद्योग है । यह सारे उद्योग गांवों में, घरों में कम पूंजी से खोले जा सकते हैं और उनका विकास किया जा सकता है । ऐसा करने पर बहुत से परिवारों को रोजगार दिया जा सकेगा । जापान में घड़ी बनाने का काम घरों में किया जाता है । घरों में पुर्जे बनते हैं और फिर एक जगह इकट्ठा करके जोड़ दिये जाते हैं जिससे घड़ी तैयार हो जाती है इसलिए ऐसे ही रोजगारों को प्रोत्साहन दिया जाय जिनको हाथों से किया जा सकता है, जिनके लिये कल कारखाने लगाने की जरूरत न हो । गत वर्ष हम गुजरात में भावनगर गये थे, वहां अम्बर चर्खे का क्लास चलता था । पता चला कि मर्द, औरतें तथा बच्चे 8, 10 रुपये प्रति दिन कमा लेते हैं । खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके माध्यम से ऐसे रोजगारों का विस्तार किया जाय जिनसे गांवों में बेरोजगारों को रोजी व रोटी मिलने का ठिकाना मिल सके । इससे देश में कम पूंजी में और कम लागत में उत्पादन हो सकेगा, लोगों को रोजगार मिल सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुबीर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं । मैंने गुलाब सेहरा जी को बहुत अच्छी तरह से सुना । उद्योग के सम्बन्ध में जनता पार्टी की नीतियों का उन्होंने बड़े विस्तार से उल्लेख किया । मान्यवर, इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से उद्योग पहुंचेंगे । शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थिति क्या है । इसका उन्होंने कोई चित्रण प्रस्तुत नहीं किया है । हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि देहाती क्षेत्रों में जहाँ की इतनी बड़ी आबादी है और जहां परम्परागत उद्योगों में जो अपना सारा जीवन लगाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं । उन लोगों को किस प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से खड़ा किया जाय, इस तरफ माननीय गुलाब सेहरा का ध्यान नहीं गया । देहाती क्षेत्रों में जो लोग मिट्टी के बरतन बनाने का काम करते हैं जो वास्तुकला का काम करते हैं जिनका सबसे बड़ा काम है धुलाई का है । गुलाब सेहरा का ध्यान इस तरफ नहीं गया है ।

मान्यवर, शहरों में जो बड़े उद्यमी हैं उनकी तो धुलाई की आधुनिक मशीनें लगी हैं किन्तु इन गरीब देहाती उद्यमियों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिनसे कि उनका शोषण होता है रोक सके माननीय गुलाब सेहरा इस देश में ऐसी नीति चाहते हैं जिससे परम्परागत उद्योग करने वाले लोगों का शोषण होता रहे । मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी परम्परागत उद्योग करने वाले जो छोटे-छोटे व्यक्ति हैं उनको सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण व अनुदान देने की व्यवस्था खादी ग्रामोद्योग से करने की व्यवस्था करें । अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाये गये हैं । आज स्थिति यह है कि छोटे उद्यमी भी देहातों में रहने की मंशा नहीं रखते । जो आपके इन्सपेक्टर होते हैं, एसिस्टेंट मैनेजर होते हैं वे वहां नहीं जाते । शहर में एक ही स्थान पर रहते हैं, गांवों में नहीं जाते हैं । मैं इसका विरोध करता हूं । आपको इन आदमियों को देहात में जाने की ओर रहने की ट्रेनिंग देनी होगी । आपने जो ७३ आदमियों की एक टीम बनायी है और उनको गांवों में

जाने की योजना चलाई है, म कहता हूं कि आपका एक भी आदमी वहां नहीं जाता है। जब गांवों में उद्योग लगाने वाली बात आयेगी तो जो ब्लेक का काम करते हैं, जो आफिसरों और इनकी जेब गरम करते हैं, जो वित्त निगम आपका बना हुआ है, उनसे पैसा लेकर उन्हीं छोटे-छोटे लोगों के नाम से आपके बीच में आ जायेगा और मेरा दृढ़ मत है कि देहातों में जो उद्योग प्रसार के मामले हैं उनमें भी शहरी चालाक आदमी आपके आधिकारियों से मिले हुये हैं, उनको रोका जाय। जो देहातों में कच्चा माल है उसके माध्यम से वहीं पर उद्योग स्थापित करें। ७२ आदमियों की जो टीम आपने सर्वे के लिये रखे हैं उसके सामने ऐसी रूपरेखा रखें जिससे उद्योग पनप सके। जब तक इस तरह की योजना नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है कि हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के उद्योग के बारे में दो शब्द भी नहीं कहे। फिरोजाबाद में कांच का इतना बड़ा काम है कि 20 लाख रुपये तो उससे सेल्स टैक्स का आता है, 50 लाख का इनकम टैक्स आता है और 2.50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इतने बड़े कांच का उद्योग के लिये मंत्री जी के निदेशालय ने 2 शब्द भी नहीं कहे हैं। मान्यवर, जो इस विभाग की पुस्तिका प्रकाशित हुई है कांच के विशेषज्ञों के काम की, और 12 काम गिनाये गये हैं. उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के कांच की कैसे तरक्की हो, यह कांच विदेशों के कांच से कैसे मिले, इसकी जानकारी वहां पर लोगों को अब तक नहीं दी गई है। इस ओर निदेशालय ध्यान दे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद का कांच करोड़ों रुपये का फोरिन-इक्सचेंज अर्जित करता है। इसके लिये मैं चाहता हूं कि गैस का प्रबन्ध मथुरा रिफाइनरी में किया जाय। तो निश्चित् रूप से कांच की शक्ल और आकार ठीक आयेगा और हमारे फिरोजाबाद का कांच का माल विदेशी माल से मुकाबला कर सकेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

हमारे यहां मार्च से आज तक कोई कोयला नहीं आया है, 14 मार्च को आया था। उसके बाद फिरोजाबाद की मिलों में कोयला नहीं आया जिससे वह बन्द होने जा रही हैं। रोड से कोयला खुला हुआ है। लेकिन आप जो परमिट देते हैं वह 15 दिन का देते हैं तो पहुंचते-पहुंचते 15 दिन खत्म हो जाते हैं इसलिए इसे 4 महीने का परमिट कर दें इससे जो आफिस में रिश्वत देनी पड़ती है, वह भी खत्म हो जायेगी।

फिरोजाबाद की कांच की इंडस्ट्री को अधुनिकतम बनाने के लिए बहुत जरूरी है गैस और कैमिकल्स सीधे मिलते रहें। इससे उत्पादन में साहूलियत होगी और कांच का सामान भी ठीक से बनेगा। इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं पहले भी कुछ सुझाव अभी सुबह बैठक में दे चुका हूं उन पर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आज उद्योग विभाग की अनुदानों की मांगों पर हम लोग बोल रहे हैं। यह प्रश्न नहीं है कि यहां पर इस वर्ष या गत वर्ष के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की आलोचना की जाय या उसके लिए बधाई दी जाय। प्रश्न यह है कि उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में किस तरह से काम हुआ और आगे यह क्या करेंगे। इस दिशा म हमें चर्चा करनी है। इस विभाग में तरक्की के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिये उस पर भी अपनी-अपनी बुद्धि से विचार करना होगा। श्रीमन्, न हमारा लक्ष्य केवल लघु उद्योग है और न हमारा केवल यह लक्ष्य है कि बड़े-बड़े उद्योग यहां कायम करें। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारे प्रदेश के जितने नागरिक हैं, उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो। वह कैसे हो' उसके लिए जरूरी है कि उनको रोजगार मिले और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। वह आमदनी औद्योगिक विभाग कैसे बढ़ाये। आज उत्तर प्रदेश में अगर करेंट प्राईसेस पर 8-9 हजार करोड़ रु० की आमदनी होती है तो अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि दो हजार करोड़ रु० से ज्यादा उद्योग विभाग का उत्पादन नहीं है।

मेरे पास सांख्यिकी डायरी और छठी पंचवर्षीय योजना भी है। मैंने इन पुस्तिका को भी पढ़ो, इन सब को देखने से और उनकी विवेचना करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस विभाग के अन्दर जितने उद्योग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वह केवल 11 फीसदी है। अगर अप्रत्यक्ष भी जोड़ दिया जाय तो कुल मिला कर 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होता है। तो क्या यह स्थिति अच्छी है, नहीं है। उद्योग और कृषि हमारे दो हाथ हैं। हमारे प्रदेश में जहां 75 से 80 फीसदी उत्पादन कृषि पर निर्भर है और उससे 55 फीसदी आमदनी होती है। तो हम आशा करते हैं कि उद्योगों से कम से कम 40 फीसदी आमदनी होनी चाहिये। यदि 30 वर्षों में नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि यह अच्छी बात नहीं हुई लेकिन अगर जनता पार्टी की सरकार अपनी वर्तमान नीतियों के आधार पर जिसे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने गांवों की ओर चलो का नारा दिया है, वह कोरा नारा है। मुझे तो यह आकर्षित नहीं करता है, उनको आकर्षित करता है। मेरा तो मत है कि गावों की शहर बनाओं और शहरों को और अच्छा शहर बनाओ, मैं इसका पक्षपाती हूं। मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं कि केवल कोरा नारा गावों की ओर चलो का दे दिया। इससे काम होने वाला नहीं है। मैं तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था का पक्षपाती हूं। बड़े उद्योगों के माध्यम से छोटे उद्योगों का विकास हो जसा कि पुरानी सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने प्रतिपादित किया था। जिसके चलने के बावजूद भी यह प्रदेश प्रगतिशील नहीं हो सका। क्या यह समझते हैं कि केवल छोटे उद्योगों की इकाई प्रतिपादित करने से आप सफल होंगे ? एक सदस्य ने जापान की बात कही। मैं स्वयं जापान कई वर्ष पूर्व गया था और वहां के गांवों में गया था। वहां प्रत्येक गांवों में किसी चीज के पुर्जे-पार्ट्स बनते हैं और एक गांव में ही एक ही प्रकार के पार्ट्स बनते हैं और वे असेम्बेल कहीं और किये जाते हैं। एक स्थान पर सब सामान आ जाता है और वह चीज बन जाती है। वहां दो चीजों के लिए गांव के व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है--रापैटेरियल की उसे कोई चिन्ता नहीं रहती है, वह उसके पास उसके गांव में आवश्यक मात्रा में पहुंचाया जा रहा है और उसे अपने तैयार सामान की बिक्री की कोई परवाह नहीं है, उसका सामान बराबर शहरों में पहुंचाया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप गांवों की ओर चलने का नारा देते हैं, क्या आप इस तरह वहां तक पहुंच पाएंगे ? आप वही गलती कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने की। उसने रुपया बांट दिया और उसको अब कोई देने वाला नहीं है और वसूल करने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी 273 रुपया है, जबकि आल इंडिया का एबरेज 363 है और सन् 76 के आकड़े के अनुसार जब यहां इन्वेस्टमेन्ट विभिन्न योजनाओं में करीब 589 रुपये के हुआ, तो वह और प्रदेशों में 800, 900 और 1,000 हुआ। केन्द्र की सहायता जो और जगह 5 सौ, 6 सौ है। हमारे यहां 200-212 है। इसे न कांग्रेस पार्टी सुधार सकी और न 2 साल में जनता पार्टी की सरकार सुधार सकी। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह हमारा-आपका प्रश्न है और पूरे प्रदेश का सवाल है। हमें देखना है कि आप गांवों की तरफ चलने के बारे में कितना सफल होते हैं। हम चाहते हैं कि आपको पूरा मौका मिले, जिससे आप इसे कोशिश कर सकें। लेकिन आप चल पायेंगे या नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। अपने प्रदेश में प्रति व्यक्ति उत्पादन 2580 रुपया है, जबकि पंजाब व हरियाणा आदि प्रदेशों में 4-5 और 6 हजार के आस पास है। आप के विभाग का नमूना हम लोगों ने कल सदन में देखा। 11 बजे से 12 बजे तक गैलरी में बैठे रहे। हमारा एजेन्डा नहीं छप सका। जो हमारा विभाग नहीं आपका विभाग छापता है। आप 30-35 करोड़ की बात करते हैं, हम तो 50 करोड़ रुपया भी आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप वास्तव में कहें कि हम बेरोजगारी दूर करके लोगों को, बेकारों को रोजगार देंगे। आप गांधी जी और पुरानी सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन कारपोरेशन बनाते हैं और कहते हैं कि हम प्रगति करेंगे। चाहिए तो यह कि छपाई का कारखाना इस सचिवालय को दे दिया जाय। 55 कारखाने, निगम हैं। इन 55 में ज्यादातर उद्योग विभाग के हैं। उसमें 55 लाख से 40 लाख इनका घाटा है। घाटा हो जाय कोई बात नहीं है। यह कहते हैं कि समाजवाद की नीति की वजह से घाटा है। जितना रुपया लगा है, दो तीन हजार करोड़ रुपया है। अगर एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को ले लें तो 25 सौ करोड़ रुपया लगा है। अगर दस परसेन्ट मुनाफा लगाये तो ढाई सौ करोड़ फायदा होना चाहिए। आपने दो वर्ष में क्या किया ? आपकी तारीफ करें ? आपके भूतपूर्व मंत्री ने क्या किया ? निगम या निगम का मैनेजमेन्ट क्यों कमजोर है ? आपके आई० ए० एस० आफिसर्स हैं, मैं विरोधी नहीं हूं, इस बात का विरोध करता हूं कि फ्लाइंग सासर की तरह घुमाये जा रहे हैं। यह प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि आप डेपूटेशन पर दस वर्ष के लिए उद्योग विभाग में ले लीजिये। जो नहीं रहना चाहते हैं उनको दूसरे विभागों में भेज दीजिये। यह न हो कि आज उद्योग सेक्रेटरी है कल विकास सेक्रेटरी हो गये परसों तीसरे हो गये। यह हो रहा है। छः छःमहीने रख कर छः जगह भेज देते हैं।

एक बात और कह कर बन्द करता हूं। मैं ऐसे इलाके से आता हूं जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने स्वतः की। बड़ी कृपा की और यह कहा कि वहां कालीन उद्योग के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन वहां जितना काम कर रहे हैं बहुत कम है। पाकिस्तान का पता लगा लें। उसका

[श्री श्यामधर मिश्र]

आधा भी यहां कर दें तो दुगनी प्रगति हो जायगी । मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर अमल करेंगे ।

(श्री श्यामदेव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मेरा नम्बर है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप ही आ जायं, यहां ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

आपके पास कोई लिस्ट है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । एक साथ सब सदस्य नहीं बोल सकते । पांच मिनट का समय लें ।

*श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं बजट की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से इस सदन को और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को बधाई देना चाहता हूं । तीस वर्षों में सरकार की जो औद्योगिक नीति रही है उसको माननीय सेहरा और माननीय मिश्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं । परन्तु जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में और जो दो वर्षों में औद्योगिक प्रगति हुई है, उसके सम्बन्ध में बोलते हुए, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के मुद्दों पर ज्यादा बोलूंगा । कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता जनता पार्टी की आभारी है । माननीय सेहरा जी, उत्तर प्रदेश में दस वर्षों में उद्योग धंधे लगा कर चाहे लघु उद्योग हों या दूसरे उद्योग, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख-सुविधा बढ़ाएगें । जो पिछला वर्ष बीता है, ऐसा बीता है 19 महीने में इन्होंने उद्योगों की क्या दुर्गति कर दी, यह माननीय सेहरा जी और उनके साथी जानते होंगे । उद्योगपति और अधिकारियों को उनकी सरकार ने इमर्जेन्सी काल में इतना बेईमान बना दिया, सारे उद्योगों का एक प्रकार से नामोनिशान मिटा दिया । और दो वर्षों में हमारा विकास देखना चाहते हैं । मान्यवर, मैं इतना बत देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी दुर्गति सुन लें । मान्यवर, वहां पर कच्चा माल बहुत अधिक पैदा होता है । यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है । यहां पर कृषि सम्बन्धी उद्योगों को लगाकर हरिजनों तथा अन्य श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योग लगाया जाये उसकी छानबीन कर लें । मान्यवर, वहां पर धान की खेती बहुत होती है और उसका जो पयाल है उससे कागज बनाया जा सकता है, इसलिए अगर वहां पर कागज का कारखाना लगाया जाये तो वह चल सकता है और वहां के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है । इसी प्रकार से हमारे चकिय के जंगल में इस प्रकार का बांस लगाया गया है जिससे बहुत अच्छा कागज बनाया जा सकता है ।

(लाल बत्ती जलने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर) मान्यवर, अभी हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी दो मिनट आपके बाकी हैं ।

श्री श्यामदेव--

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस में कालीन उद्योग चलता है । इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है । बड़े-बड़े पूंजीपति जो हैं वह कालीन का कारोबार करके मजदूरों का शोषण करते हैं । आप कम से कम कालीन उद्योग का विकेन्द्रीयकरण कीजिए जिससे कि यह उद्योग मजदूरों के हाथ में जाये। बनारसी वस्त्रों में जो बड़े-बड़े पूंजीपति लग हुए हैं वह बुनकरों का शोषण करते हैं और सरकार को जो राजस्व देना होता है उसका वह विरोध करते हैं । मान्यवर, नौगढ़ में कई उद्योग खोले जा सकते हैं । बस्ती प्लास्टिक काम्पलेक्स बनाया गया है । वहां पर किसानों की खेती योग्य जमीन ले ली गयी है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। खेती लायक जमीन पर उद्योग न लगाया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

बाबू बदरे जी, आप 5 मिनट में समाप्त करें ।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मैं 4 ही मिनट में समाप्त कर दूंगा । माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

इसको कहने की क्या जरूरत है ? अपनी बात कहा करें ।

श्री बाबू बदरे--

आप हम लोगों को याद दिला दिया करें । माननीय सदस्य ने कहा कि इतिहास में यह पहला मौका है कि मुख्य मंत्री रह कर भी केबिनट का मंत्री रहे ऐसा कभी नहीं हुआ। पार्टी का जो अनुशासित सिपाही होता है उसको पार्टी जो भी काम देती है वह करता है । राम नरेश जी अनुशासित सिपाही हैं उनको पार्टी ने पहले मुख्य मंत्री का काम सौंपा तो उन्होंने उसको किया और जब उसने हुकम दिया तो इस जगह पर चले आये । उद्योगों के बारे में कांग्रेस सरकार की क्या नीति रही है उसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । सूती मिलों के विकेन्द्रीयकरण की योजना बनायी गयी । विदेशों की तरह से यहां पर एक-एक आदमी को 8-8 मशीनों पर काम करवाया जाने लगा जिससे बहुत से मजदूर बेकार हो गये और उनका कोई समाधान नहीं किया गया और लान्छन लगाते हैं

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू बयरे--]

कि जनता सरकार उनको कोई रोजगार नहीं दे पायी है। यह समझने की बात है कि उनकी वह कौन सी नीति है जो आदमी को बेकार करके कोई काम नहीं देती है। आपने उन आदमियों को बेकार करने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ऋण देना आरम्भ कर दिया। लेकिन उन छोटे-छोटे उद्योग वालों को जो ऋण लेकर अपने उद्योगों को तरक्की पर ले जाते, नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि उन बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपना सारा रुपया निकाल लिया और अलग रख दिया जब कि वे आपके रुपये से उद्योग धन्धे चला रहे हैं। आज हालत यह हो गयी है कि बड़े-बड़े उद्योगपति को रुपया दे तो दो, नहीं तो फैक्टरी बन्द।

आप अपनी योजनाओं की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी योजनायें रहीं, वे सब कागज पर ही रही हैं। जनता पार्टी जब से शासन में आयी है तब से अगर कोई योजना बनाते हैं तो कम से कम इतना तो करते हैं कि जैसे कोई फिल्म तैयार होती है, तो उसका ट्रेलर ही जनता के सामने दिखा देती है। जनता को मालूम हो जाता है कि यह योजना तैयार हो रही है। आपकी योजनायें तो सिर्फ कागज में ही रह गयीं। जनता इस समय यह जानती है कि हमारी सरकार यह काम करने जा रही है।

माननीय गुलाब सेहरा जी ने अभी कोटा और परमिट की बात कही। मैं जानना चाहता हूं कि यह कोटा परमिट की परम्परा किसने डाली, किसके राज्य में इसको पनपाया गया। कांग्रेस के शासन काल में कोटा परमिट ऐसे-ऐसे लोगों को दिये गये जिनके पास कोई उद्योग नहीं था, उनको फर्जी नामों से कोटे दे दिए गये और उनका नतीजा यह हुआ कि आज गांवों में और देहातों में कोई बड़ी इन्डस्ट्री नहीं लगायी जा सकी, चूंकि कांग्रेसियों पर बड़े-बड़े पूंजी-पतियों का कब्जा था। जनता राज्य में देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ में छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने की बात हो रही है। कांग्रेस के शासन काल में गाजियाबाद आदि शहरों में बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा फैक्टरियां लगायी गयी। उस समय दूसरी स्टेट्स के जो लोग यहां पर उद्योग लगाना चाहते थे, उनको लाइसेन्स नहीं दिए गये, नतीजा यह हुआ कि वे अपने उद्योगों को इस प्रदेश में नहीं लगा सके। अब मैं एक शेर माननीय गुलाब सेहरा जी की खिदमत में अर्ज करके अपनी बात समाप्त करता हूं—

तुम जफा करके भी चलते हो अदा व नाज से।
हम वफा करके ही रहते हैं परेशानी के साथ॥

(श्री हरी राम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बोलने के लिए समय दिया जायगा या मैं चला जाऊं ?

श्री अधिष्ठाता--

कई माननीय सदस्य जब सत्ता पक्ष के खड़े होते हैं तो क्या पीठासीन अधिकारी सक्षम है कि वह 15-20 को एक साथ बुलवा दे? आप धीरज रखिय। माननीय वर्मा जी ऐसे सदस्य हैं जो इस सत्र में नहीं बोले हैं। इसलिए मैंने उनको बुलाया है।

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश में उद्योग की प्रगति के लिए यह भी आवश्यक है कि वहां के खरीदारों की माली हालत अच्छी हो। जब तक खरीदारों की माली हालत अच्छी नहीं होगी आप किसी भी उद्योग का विकास नहीं कर सकते। उस प्रदेश में कृषकों की संख्या सबसे अधिक है और कृषकों की माली हालत सबसे खराब है। पहले की सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कभी कोई काम नहीं किया।

मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र अकबरपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां एक सहकारी चीनी मिल लगने वाली थी, उसके लिए योजना स्वीकृत हो गयी थी। हमारे यहां के अलावा फैजाबाद और जौनपुर में भी चीनी मिल हैं जिनके मालिकों ने अधिकारियों से मिल कर हमारे यहां खुलने वाली चीनी मिल को रुकवा दिया। हमारे यहां के किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे यहां चीनी मिल लगायी जायें। हमारे यहां गन्ना उत्पादन के पिछले 3 वर्ष के आंकड़े देखे जायें तो पता चलेगा कि वहां चीनी मिल खुलना बहुत आवश्यक है। अगर यह चीनी मिल खुल जाये तो हमारे यहां के किसानों की माली हालत काफी सुधर सकती है।

मैं एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां अकबरपुर से 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पूर्वांचल विकास निगम ने बुनकर उद्योग लगाने के लिए कुछ जमीन खरीदी और वहां पर चहार दिवारी भी बन गयी है। वहां कालीन उद्योग की योजना चलायी जा सकती है। फिर जो खराब रूई आदि निकले उससे भी कोई उद्योग चलाया जा सकता है। कताई मिल लगा कर कालीन और दरी उद्योग को हमारे यहां बढ़ावा दिया सकता है। यह दोनों उद्योग हमारे यहां काफी अच्छी तरह से चल सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी विकास निगम द्वारा खरीदी गयी जमीन पर कोई उद्योग शीघ्र लगाया जाय।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री द्वारा रखे हुए अनुदान के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही है कि हमारे देश और प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है और बहुत सा उसके जीवन का समय किसी ऐसे सदुपयोग में नहीं लगा पाता, जो उसके आर्थिक विकास के लिए एक अंग बन सके। हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन में कोई उद्योग है ही नहीं और ग्रामीण जीवन में जनता को उद्योग की तरफ ले जाने के लिए एक निश्चित रूप से बहुत विस्तृत योजना और बहुत सूझ-बूझ की जरूरत है।

आज के जीवन में जो हमारी नई सरकार यह सोच रही है कि गांव की जनता को उद्योग देकर उसका विकास किया जाय और इस तरह उसकी बेकारी दूर की जा सकती है, इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने की योजना बनाई है। लेकिन इस उद्योगीकरण जीवन में पूंजीवादी व्यवस्था सबसे बड़ा रोग है। यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जनता पार्टी की सरकार उस रोग को दूर कर ले। यह

[श्री मित्र सेन]

हमारे पास बहुत बड़ा संकट रहा है, चाहे वह कांग्रेस सरकार रही हो या जनता पार्टी की सरकार रही हो, पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा शासन के ऊपर हावी रही है और शासन पूंजीवादी व्यवस्था की दलाल बन कर रही है । कभी वह अपनी स्वयं की नीति से, स्वतंत्र दिमाग से इस समस्या को हल नहीं किया । तो जो बड़े उद्योग हैं, और जो छोटे उद्योग हैं, उनका सामंजस्य क्या है, इसको देखते हुए कौन सी ऐसी नीति अपनाई जा सके और ग्रामीण जीवन में बेकारी समस्या से निपटा जा सके, ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्म डिटरमिनेशन का सवाल है, जब तक यह नीति नहीं बनाते कि उनकी जो मोनोपली है, जब तक उनको तोड़ने के लिए माद्दा नहीं पैदा होती, छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए, तो इनकी जो नीति है, वह असफल हो जायगी । जो उद्योगों को चलाने के लिए संसाधन है, बिजली का संकट है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । पूंजीपतियों को उत्पादन रेट से सस्ती बिजली उद्योगों पर दी जाती है और किसानों को दुगुना, डेवढ़ा रेट पर दी जाती है ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

इन्हें बोल लेने दीजिए । अच्छा, क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लक्खी सिंह—

आज के बोलने में रहमान साहब का और मेरा नाम है कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

जो सदस्य थोड़ा-थोड़ा करके बोल लेते हैं, तो व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या उसे उनके बोलने के टाइम में एडजस्ट कर लिया जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री मित्रसेन—

निश्चित रूप से हमें संसाधन की आवश्यकता जो है उसकी हमें पूर्ति करनी होगी । एक बात की आवश्यकता यह है कि बिजली हमारे पास काफी मात्रा में होनी चाहिए तभी हम उस उद्योग को लाभान्वित करा सकते हैं, तभी हम ग्रामीण जनता के उद्योग को पनपा सकते हैं । लेकिन जब हम बिजली के संकट को देखते हैं, तो जिस रूप में हमारे सामने बेकारी को हल करने की समस्या हमारे सामने है, उतनी मात्रा में बिजली नहीं है कि हम ग्रामीण जीवन को विद्युतीकरण करके हम उस समस्या को हल कर सकें । कौन से कच्चे माल हैं, जिससे कि उस उद्योग को पनपाया जा सके । इसलिए जो शासन तंत्र की या जो हमारे पास साधन हैं टेस्ट करने की, कि कहां कौन सा उद्योग लगाया जा सकता है, वह ऐसा होना चाहिए, वह अगर सरकार की जो मशीनरी है, अगर उस पर निर्भर रही, तो कतई कोई उद्योग पनप नहीं सकता । इनको भी विशेष ध्यान रखना होगा कि किन क्षेत्रों में कौन से उद्योग पनपाये जा सकते हैं । जो इनके टेक्निकल्स हैं उनके सहयोग से ही यह अपनायी जा सकती है । इसलि

मान्यवर, उद्योग को पनपाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास संसाधन होना चाहिए। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र के उत्पादित मालों का भी उद्योगीकरण किया जाये और रा-मेटेरियल्स या दूसरे मेटेरियल्स के कलवर्जन करने के लिए जो कुछ है, वह होना चाहिए। इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उद्योगों के लगाने की जो नीति है वहां पर हमको, जो भी क्षेत्र हैं, उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए तभी समस्या सुलझायी जा सकती है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मौजूदा सरकार ने जो गांव चलो का नारा दिया था उस तरफ चल रही है। जो किया है वह सर्वविदित है इसी के साथ-साथ अर्थ नीति जो इसकी है कि खेत पर बोझ कम हो। गांवों में रहने वाले लोग गृह उद्योग-धन्धे करें जैसे साबुन, मोमबत्ती, अगर बत्ती, चमड़ा, लोहा का काम करें, उसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह काम पूर्ण रूप चल पड़ा है। मुझे खेद है कि मेरे सामने बैठने वाले सेहरा जी, मिश्रा जी, जो एक तरह से पार्टी लीडर हैं, उनको देखें अच्छे कामों को कम से कम अच्छा कहें। मगर मजबूरी है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको रोशनी में खुली हुई चीज दिखाई नहीं देती।

मिश्रा जी कालीन उद्योग के इलाके, भदोही से आते हैं, यदि वह गोरखपुर की तरफ चलें चाहे मोटर गाड़ी से या पैदल चलें तो उन्हें सैकड़ों ग्राम मिलेंगे जहां कालीन का काम बड़े अच्छे ढंग से चलन लगा है। मुझे विश्वास है अगर सरकार न इस तरफ ऐसे ही ध्यान दिया तो इस प्रदेश में एक ह। भदोही क्या हजारों भदोही तैयार हो जायेंगे और करोड़ों रुपये का माल विदेश जायेगा और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। पिछली सरकार ने वायदा तो तमाम किए लेकिन उसे मजबूरी थी वह इस तरह से खूंटे बंधी हुई थी कि उसे बड़े-बड़े पूंजीपति, मिल मालिकों के अलावा कोई दूसरा गरीब सुझाई नहीं देता था। शुरू में 30-32 करोड़ के जो पूंजी थी, सरकारी कागजों के अनुसार वह बढ़ते-बढ़ते 11 सौ, 12 सौ करोड़ तक पहुंच गयी थी। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जब कांग्रेस के लोग गांवों का नाम सुन कर, मरखही भैंस, गाय काला कपड़ा देख कर जैसे भड़कती है, उसी तरह हमारे साथी भड़काये जाते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो वायदा जनता सरकार ने किया है, वह पूरा करेगी। एक बात हुई है इसमें कुछ कमी है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। एक बात यह सामने खुलकर आ जाती है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी जिस गति से हम काम कराना चाहते हैं उस गति से वह न सोचते हैं और न काम को चलाते हैं। फाइनेंसियल कारपोरेशन हमारे यहां हैं, उनकी दशा ऐसी है कि यदि कोई सही उद्यमी जाकर उसमें फंस जाता है तो वह अपने घर की पूंजी भी तबाह कर लेता है। मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले जब पहले के उद्योग मंत्री जी थे तो उनकी मौजूदगी में एक मीटिंग हुयी थी, योजना आयोग के चेयरमैन भी शायद उसमें आये हुए थे।

हमारी तरफ से विभागीय अधिकारी, जाइंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और वहां बुद्धिजीवी लोगों ने शिकायत की कि यह कारपोरेशन लोगों को

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

दिवालिया बनाये दे रहा है । जो आदमी अपने घर की पूंजी लगाकर किसी काम को करना चाहता है तो वह तबाह हो जाता है और घर से निकाल दिया जाता है । मैंने उस वक्त कहा था और 5 नाम भी दिये थे, मैंने नाम देकर उनको बताया था उनमें खासतौर से सिद्ध नाथ तिवारी, बनारस के हैं, वह बरबाद हो गये हैं उनको घर वालों ने निकाल दिया है । वह लाखों रुपया कारखाने की चहारदीवारी, ट्यूबवेल आदि बनाने में लग गया लेकिन जो पैसा कारपोरेशन से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । लेकिन वह क्या करें, अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 सालों की सरकार ने जो रास्ता पकड़ाया है वह अधिकारी और कर्मचारी उसी रास्ते पर चल रहे हैं अपना रवैया नहीं बदलना चाहते हैं । अधिकारियों का रवैया बदल भी जाता है लेकिन कर्मचारी अपने उसी रास्ते पर चलते रहते हैं।

मैं अपने जिले का एक मामला आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई भी उद्यमी इस तरह से पनप सकता है ? इस्टर्न इंजीनियरिंग इंटर प्राइजेज, साहनी निवास, मोहमदापुर, गोरखपुर का मामला है । उसने काफी मुश्किल से जमीन हासिल की । उसकी रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प खरीद लिया । 36 सौ का स्टाम्प था, रजिस्ट्री की तारीख मुकर्रर हुई लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से रजिस्ट्री न हो पायी । अधिकारी आये ही नहीं, दोबारा जब रजिस्ट्री करने का सवाल आया तो दूनी रकम दी तो वह काम किसी तरह से चला । फाइनेंसियल कारपोरेशन से मकान वगैरह बनाने के लिए 14-10-76 को एप्लीकेशन दी । 19-9-77 को वह मन्जूर की गयी । उन्होंने फिर उसकी जांच पड़ताल करायी और दौड़धूप करने के बाद 21-11-77 को थोड़ी सी रकम की मन्जूरी हुयी । 26-4-78 की किस्त जो 1/4 होती है उसकी दी । 19-4-78 से ब्याज लगाना शुरू कर दिया और 24-8-78 को किस्त दी । दूसरी किस्त 13-10-78 को दी और इल्जाम लगाया कि तुमने पैसा नहीं उठाया इसलिए आधे परसेंट जुरमाना लगेगा। तो किसी तरह से बिल्डिंग बनी जब मशीन आनी शुरू हुयी और मशीन आयी और बैंक से उनको इन्टीमेशन गयी तो ठीक एक महीने के बाद उन्होंने चेक भेजा । लेकिन चेक जिस दिन पहुंचा उसी दिन से उन पर ब्याज लगना शुरू हो गया । इस तरह दौड़धूप में हजारों रुपया खर्च हुआ । वह फैजाबाद जाते हैं क्योंकि वहां दफ्तर है । जब बिल्टी बन गयी तो बिल्टी पर बैंक का ब्याज, बिल्टी का सरचार्ज, डैमरेज यह सब लगना शुरू हो गया और इस दरम्यान एक के बाद एक परेशानियां उन पर आती गई । कर्मचारी चाहते थे कि जो मशीन खरीदी जाय वह उनके मार्फत खरीदी जाय जिससे उनको कमीशन मिले । उद्यमी ने एतराज किया कि हम ऐसी मशीन नहीं खरीदेंगे तो कर्मचारी नाराज हो गये वह तुले हुये हैं कि यह पूरा कारोबार फेल हो जाय । मान्यवर, यह एक मिसाल है, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हाथ से काम करने वालों को जब तक संरक्षण, रिजर्वेशन नहीं दिया जायेगा तब तक काम चलने वाला नहीं है । इसलिए हाथ से काम करने वालों को आप संरक्षण दें, टैक्सों से छूट करा दें जिससे हाथ के काम पनप सकें । इन्हीं शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, अभी श्री गुलाब सेहरा ने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए एक बात कही थी कि इन्डस्ट्री की तरक्की नहीं हो रही है, तो मैं उनको बताना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि उनके समय में क्या इन्डस्ट्री की तरक्की हुई है, उसके सम्बन्ध में वह अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें तो उनके 30 सालों में इन्डस्ट्री दफ्तरों के कागजों में रही है। मौके पर कागज के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इस तरह 30 साल तक इन्डस्ट्री के नाम पर कर्जा वह बांटने का जो ढोंग रचते रहे जिसका नतीजा है कि आज इस सरकार को करोड़ों रुपये का कर्जा माफ करना पड़ रहा है। आपका दफ्तर इन्डस्ट्री लगाने के सम्बन्ध में कर्जा बांटता था, तो जो कर्जा देना होता था उसका आधा तो अधिकारी ले लेते थे और आधा इन्डस्ट्री लगाने वाले को मिलता था। फिर उसमें 50-60 रुपये महीने इंस्पेक्टर को फर्जी रिपोर्ट देने को मिलते थे कि इंडस्ट्री चल रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि मौके पर देखें तो कहीं कोई काम नहीं हुआ है और वह तमाम कर्जा जो लोगों ने लिया था उसका दस गुना ब्याज मिलाकर देना पड़ता है, लेकिन वह दे नहीं सकते, इसलिए मजबूर होकर सरकार को उस कर्जे को माफ करना पड़ रहा है।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र टांडा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह बुनकर करों का बड़ा इलाका है। वहां कच्चे माल की समस्या है। वहां 20 हजार पावरलूम और हडलूम चल रहे हैं लेकिन उनको रा मैटेरियल मिलने का कोई इंतजाम नहीं है। मान्यवर, अकबरपुर में स्टेपिल मिल है, लेकिन पता नहीं उसका स्टेपिल बनना क्यों बन्द हो गया है। नैनी मिल से स्टेपिल आता था वह भी रुक गया है जिसके फलस्वरूप जो स्टेपिल का काम अपने हाथों में ले रहे हैं वह बुनकरों से मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं और सुबह से शाम तक 3-4 बार रेट बदले जाते हैं। इससे मामूली बुनकर जिस पैसे में स्टेपिल खरीदता है मजबूरन उसे कम पैसों में ही बनाये हुये माल को बेचना पड़ता है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां एक सेल डिपो कच्चे माल को खोले जिससे बुनकरों की समस्या हल हो। दूसरी बात मान्यवर, वहां रंगाई और छपाई का कोई कारखाना नहीं है जिसे बीच के लोग बुनकरों को इक्सपोलाइट करते हैं और मनमाना अपना फायदा उठाते हैं।

तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि स्टेपिल और सूत से जो माल तैयार होता है, उसके बाद जो नोचना बचती है उसको अगर इकट्ठा किया जाए, बीसों ट्रक इकट्ठा होता है, कोई इंडस्ट्री खोल दी जाए तो बड़ी आसानी से वह चीज किसी काम आ सकती है, एक नई चीज बन सकती है और उससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। मन्त्री महोदय ने बताया कि रा मेटीरियल नहीं है स्टेपिल का, इसलिए माल नहीं तैयार हो पाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने और जिम्मेदारियां ली हैं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की रा मेटीरियल प्रोवाइड करने के लिए भी आप जिम्मेदारी लें ताकि बुनकरों की समस्या हल हो सके। आप दो चीजों की गारन्टी दे दें तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बड़ी आसानी हो सकती है। एक तो रा-मेटीरियल उपलब्ध कराने की और दूसरे तैयार माल

[श्री अब्दुल हफीज]

को खरीदने की पूरी गारन्टी आप लें ताकि गरीब बुनकर, जिनको अपना माल कम दामों में बेचना पड़ता है, वे परेशानी से बच सकें। इसके साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मुकन्दी सिंह (जिला बिजनौर)--

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उससे देश और प्रदेश का विकास होगा। माननीय उद्योग मन्त्री एक समाजवादी मंत्री हैं और उनकी सूझबूझ और नेतृत्व प्रदेश की प्रगति में सहायक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जिला बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र की स्थिति मैं आपकेसामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, 1977 में नजीबाबाद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था लेकिन आज तक वहां पर कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाई है। 9-1-78 को पूर्व गन्ना विकास मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती यहां से विशेष हवाई जहाज से नजीबाबाद पधारी थीं और किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने वहां नई चीनी मिल की स्थापना की घोषणा की थी लेकिन आज तक इस विषय में कोई कार्य नहीं हो पाया। जिल बिजनौर की 4 तहसीलें हैं। बिजनौर तहसील में बालावाली ग्रास फैक्टरी है, बिजनौर शुगर मिल और चांद शुगर मिल है, धामपुर तहसील में कामपुर और शिवहारा, दो शुगर मिलें हैं, नगीना तहसील में कताई मिल है लेकिन चौथी तहसील नजीबाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। चीनी मिल की स्थापना के लिए वहां की क्षेत्रीय जनता भारी प्रयास कर रही है नजीबाबाद क्षेत्र गन्ना का बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन इस बारे में कोई प्रगति न होना दुख का विषय है। नजीबाबाद पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार से लगा हुआ क्षेत्र है यूक्लिपटिस का उत्पादन वहां काफी मात्रा में होता है लेकिन उसका लाभ वहां की क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पाता है। जनता को जलाने के लिये इसकी छोटी लकड़ी 20 रु० क्विंटल मिलती है जबकि उसका मुख्य भाग 6 रु0 क्विंटल में सहारनपुर की कागज मिल में चला जाता है। यह बड़े दुख का विषय है। शासन से यह प्रार्थना की गई है कि वहां पर मिल की स्थापना हेतु प्रयत्न करें।

मान्यवर, यदि समान रूप से औद्योगिक विकास नहीं हुआ तो एक क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा और एक क्षेत्र बहुत अधिक डेवलपमेंट कर जाएगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के बारे में शासन ने कई मामलों में अवहेलना की है मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि 1977 में लालढांग, मोटाढाक क्षेत्र में पेय जल की योजना स्वीकृत की गयी थी लेकिन इस दिशा में कार्य सुचारु रूप से शुरू नहीं हुआ। वहां की जनता नालों का पानी पीती है। उसी में बछड़ा नहाता है और उसी में बच्चा नहाता है और वही पानी जनता पीने के लिए अपने घड़ों व बाल्टियों में भरती है। इस प्रकार की दुर्दशा वहां पर पीने के पानी की है। मैं उद्योग मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन की तरह ही शिलान्यास करने और उद्घाटन करने और भाषण देने में न रहें। जनता शासन को जनता ने भारी बहुमत से कायम किया है इस आशा के साथ कि जनता शासन जनता की कई आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करेगी। यदि उनकी आशाओं को पूरा नहीं किया जायगा

तो जो खूनी क्रान्ति होगी जिसको कोई भी नेता और कोई भी सबल आदमी नहीं रोक पायेगा यह मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं। जनता कुछ देखना चाहती है कि जो कुछ कहा जा रहा है वह उसके लिए किया भी जा रहा है या नहीं। पूर्व शिक्षा मन्त्री श्री काली चरन जी 6-12-77 को मेरे क्षेत्र में लाल ढांग में गये थे उन्होंने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुय लालढांग में राजकीय हाई स्कूल खोलने की घोषणा वर्ष 1978 के लिए की थी परन्तु आज तक राजकीय हाई स्कूल खोलने हेतु शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यह अत्यन्त दुख का विषय है। लालढांग जनपद बिजनौर का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। दूर-दूर तक चारों ओर लालढांग में कोई हाई स्कूल नहीं है। मुझे आशा है कि शासन द्वारा शीघ्र राजकीय हाई स्कूल खोलने की कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष --

श्रीमती कुदसिया बेगम ..

श्री मुकन्दी सिंह--

मैं बजट का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाय।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबेआला, उद्योग मन्त्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है और स्कीमें बनाई हैं उनको मैं इस पर मुबारकबाद देती हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि चूंकि मैं इधर बैठी हुई हूं इसलिए उधर से सरकार जो अपनी स्कीमें पेश करे उनकी मुखालफत करती हूं। मैं समझती हूं कि उद्योग एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सब को ही सरकार की मदद करनी चाहिए। उद्योग किस लिए बनाए जाते हैं। एक तो इसीलिए कि देश की उन्नति हो, देश की आमदनी बढ़े और विकास हो और दूसरा यह कि बेरोजगारी दूर हो।

अब दो चीजें तक्सीम होती हैं उद्योगों में एक बड़ी इण्डस्ट्रीज और छोटी इण्डस्ट्रीज काटेज इण्डस्ट्रीज जिसे कहते हैं। आज हमारे मन्त्री जी ने हमें बताया कि उन्होंने बहुत सी छोटे उद्योगों का इन्तजाम किया है और मुझे यह मालूम हुआ कि एक स्कीम है जिसके जरिये सौ आदमी ब्लाक में हर साल लिए जायेंगे और उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद रुपया दिया जायगा कि वे अपना धन्धा शुरू कर सकें। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैं जनाब मन्त्री जी को इस बात की मुबारकबाद देती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि कल जैसी चर्चा हुई थी अन्त्योदय से कहीं ज्यादा यह बेहतर स्कीम है क्योंकि इसमें एक खास नतीजा निकलता है। मैं मन्त्री जी से यह जरूर अर्ज करूंगी कि इसके अलावा वह ज्यादा से ज्यादा पोलीटेक्नीक आई० टी० आई० खुलवाने की कोशिश करें ताकि बच्चे वहां जा सकें और ट्रेनिंग हासिल कर सकें। मैं खास तौर से इस बात पर जोर दूंगी कि लड़कियों के लिए वहां सीट जरूर रिजर्व हो ताकि लड़कियां काम सीख सकें क्योंकि बहुत से ऐसे

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

काम होते हैं जो औरतें और लड़कियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं खास तौर से देहात और हमारे गांवों की औरतें और लड़कियां । उनका भी विकास होना बहुत जरूरी है ।

जनाबवाला मेरे संडीला क्षेत्र खास तौर से हरदोई संडीला क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है । मुझे खुशी है कि मेरी कोशिश और सरकार की मेहरबानी से वहां एक स्पीनिंग मिल बनाई गयी है जिसका आप जिक्र कर चुके हैं । मुझे सिर्फ मन्त्री जी से इतना कहना है कि इस बात का मेहरबानी करके ख्याल रखें कि वहां जो मजदूर काम करने वाले लोग रखे जाय वे ज्यादा से ज्यादा उसी क्षेत्र से लिए जायं बाहर से न लिए जायं क्योंकि मिल लगाने का मकसद यही होता है कि उस क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचे ।

जनाबवाला, मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहती हूं कि संडीला में बुनकरों का सब से पुराना उद्योग है और बुनकरों की बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है । अफसोस यह है कि बड़े बुनकर, पूंजीपती, छोटे बुनकरों को दूर करते चले जा रहे हैं । इसलिए मैंने जनाब मन्त्री जी से दरखास्त की थी कि कम से कम हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज बुनकरों को जितनी भी हो मदद पहुंचायें । उनको जिस तरह से ही मदद करें । एक मेम्बर साहब ने कहा कि बड़े तथा छोटे उद्योगों में किसी तरह का अन्तर न हो । मैं जापान गई थी । वहां किसी तरह की भी जिद नहीं है बड़ी तथा छोटी इंडस्ट्री में । दोनों बैठ जाते हैं और काम तकसीम कर लेते हैं कि कौन क्या-क्या बनायेगा । यहां भी इस तरह की व्यवस्था हो जाय जिससे दोनों को फायदा पहुंचे । मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे और संडीला जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जायगी और साथ ही यह भी दरखास्त करूंगी कि इस बात पर विचार किया जाय कि गांव की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री मुकीमुर्रहमान--

हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है । मैं इस तरह से बोलने नहीं दूंगा । मेरा चौथा नम्बर था । क्या सदन छोड़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मुझे मार्शल से निकलवा दें । मैं बैठूंगा नहीं । क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष --

निकालना अच्छी बात नहीं होती है । जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप बोलेंगे । आप अपने मन से नहीं बोलेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मैं उद्योग मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष --

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

कुछ लोगों को बार-बार मौका दिया जाता है और कुछ को बोलने का बिलकुल मौका नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष --

आप बैठें :

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं दोनों पक्ष से अपील करता हूं कि न तो विरोध में बैठे हुए लोग इतना कह कर बच सकते हैं कि हमारी दो साल की नीतियों में खामियां हैं और न हम अपनी जिम्मेदारियों से यह कह कर बच सकते हैं कि तीस वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया । असलियत यह है जैसा अकबर इलाहाबादी ने कहा है

"एक शेख और ब्राह्मण लड़ते हैं खूब बाहर
पीते हैं मयकदे में सागर बदल बदल कर ।

सवाल यह है

रंगे महफिल देखने को होश में आये थे हम
होश फिर उड़ने लगे हैं रंगे महफिल देख कर ।"

उद्योग के सम्बन्ध में जो नीतियां हैं उसमें हमारे रास्ते बिलकुल अलग-अलग हैं । हमने पंचवर्षीय योजनाओं को चुना है । देश के उद्योगीकरण के लिये पंचवर्षीय योजना पूर्वी योरोप यानी समाजवादी देशों की देन है । पूंजीपतियों के परिवेश में वे नीतियां कामयाब नहीं हो सकती । और वे नीतियां इसलिए कारगर नहीं हो सकती हैं क्योंकि चाहे छोटा उद्योग हो, मझले उद्योग हों या बड़े उद्योग हों एक बहुत बड़ा शैतान इस उद्योग विभाग में बैठा हुआ है जिसे रेट कांट्रेक्ट कहते हैं । इन जल्लादों ने देश की औद्योगिक नींव को खोद दिया है, कबर खोद डाली है । अरबों रुपय का कृषि का ह्रास हो रहा है । जो रा-मेटीरियल मिलता है वह कृषि उत्पान से मिलता है और एक छोटा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]—

सा देश जो ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है वह हमारे इस कच्चे माल को 9 हजार किलोमीटर से ले जाता है और उसे पक्के माल की शक्ल में वापस हमारे ही देश को महंगे भाव में बेच देता है और इन्टरनेशनल मार्केट में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होने देना चाहता है । मैं पूछना चाहता हूं कि अरबों रुपये का इस तरह से कृषि उत्पादन का ह्रास किया जा रहा है ।

मान्यवर, अतुल शक्ति, दिव्य शक्ति, परम शक्ति और भारत शक्ति कौन बनाता है ? यह गाजियाबाद की गलियों में बनता है, अमृतसर की गलियों में बनता है । कहां की ईंट और कहां का जोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा । मैं माननीय उप मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी एक योजना चली है जिसमें कि चारा काटने की मशीन आयी है । वह कहां से आयी है, इसका पता नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि वह किसान को काटने की मशीन है ? एक भयानक समस्या आ गयी है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है । उसके बारे में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये का घोटाला है और इसमें फ्लाय-वन के आफीसर्स भी इन्वाल्व हैं । इसे उद्योग मन्त्री जी ने स्वीकार भी किया था । 70-80 लाख रुपये की केवल एक आइटम पकड़ी गई थी । इसके अतिरिक्त बुनकरों की समस्या है । देहातों में उनका शोषण हो रहा है । उससे आज हस्तकला का शोषण हो रहा । उन्हें धागा नहीं मिलता है । टांडा, गोरखपुर, मऊनाथभंजन, खलीलाबाद में बुनकर बरबाद हो गये हैं उनका शोषण हो रहा है । ये लोग नया उद्योग खोलेंगे । उनको आप पनपने नहीं देना चाहते हैं । सरकार से लम्बे चौड़े विज्ञापन निकलते हैं । उनमें जो शर्तें लगाई गई होती हैं उनके बारे में क्या कहना—

दर्दे सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद,

उसका घिसना और लगाना, दर्दे सर ये भी तो है ।

जो आपकी 13 हजार इकाइयां हैं औद्योगिक इकाइयां हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है । करोड़ों रुपये उन्होंने ले लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि इन 13 हजार इकाइयों ने जो ऋण ले रखा है उसमें उद्योग विभाग की सांठ-गांठ है । इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपको याद दिलाना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष —

अब आप बैठें ।

*श्री हरी सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर मैं इसका समर्थन करता हूं । श्रीमन, आज एक नया नारा सुना है और यह उद्योग मन्त्री की ओर से कहा गया है कि चलो गांवों की ओर यह नारा गांधी जी के जमाने में सुना था या आज सुना है । यह सही है कि यदि गांवों को आगे बढ़ाना है तो यह उचित है । जैसे ग्रामोद्योग की योजना गांधी जी द्वारा चली थी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोटे-छोटे उद्योग गांवों में फैलाये जायं तभी किसानों और मजदूरों की उन्नति होगी लेकिन पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ कि गांवों की ओर कोई उद्योग नहीं फैलाये बल्कि 1-2 बीघा जमीन के लिए किसान और मजदूरों को आपस में लड़ाते रहे। श्रीमन्, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी।

मैं एक बात अपने उद्योग मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उद्योग विभाग में रिजर्वेशन पूरा हुआ है। आप हमारे महान नेता हैं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप स्वयं इस बात पर दिलचस्पी रखते हैं, आपका सारा जीवन इसमें लगा है तो फिर क्यों नहीं यह रिजर्वेशन पूरा हुआ। 18 फीसदी कोटा को आप तुरंत पूरा करिये। आज तक वह नहीं हुआ इसका क्या कारण है कांग्रेस सरकार लेक्चर देती रही जनता पार्टी में भी वैसा ही हुआ है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर आपने हरिजनों के लिए यह नहीं किया तो आप भी सफल नहीं होंगे। गरीब मजदूरों, किसानों की भलाई के लिए आप छोटे उद्योग धंधों को पनपाइये। आज तक गांवों में कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हैं। सिवाय कपड़े का काम वहां होता है वह भी धीरे-धीरे खतम हो रहा है। उसके ठेकेदार भी आज शहरों में बैठे हैं। यह नेता लोग जो यहां बैठे हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं। क्या आप उनके नौकर हैं जो वह कहें उसमें हां में हां मिलाते हैं। आप जनता की बात कहो और गरीबों के लिए उद्योग धंधे पनपाओ।

मैं अपने उद्योग मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आपने जो गांवों की ओर चलो का नारा दिया है उसके लिए जरूरी है कि गांवों में उद्योग धंधे फैलाइये। अगर इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आपको साल भर के अन्दर यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिये। जब तक गांव में उद्योग धंधे नहीं फैलायेंगे तब तक वहां की बेकारी दूर नहीं हो सकती है। मैं मन्त्री जी के अनुदानों का स्वागत करता हूं और कहता हूं कि आप 18 परसेंट रिजर्वेशन को पूरा करिये। जब तक आप यह नहीं करते तब तक आपका जो नारा है गांवों की ओर चलो का उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। गांवों के लिए छोटे-छोटे उद्योग धंधे जो गांधी जी ने बताये थे उन्हीं को अगर आप पनपा देंगे तो जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है और आप लोगों का नाम हो सकता है। मुझे खुशी है, आप जैसे महान नेता पर हमें पूर्ण आशा है एक दिन हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। मेरे भाई विरोधी दल के नेता ने जो कटोती का प्रस्ताव रखा है उसे उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिये। आप अपने नेता के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, यह हिम्मत आपमें कैसे हुई।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। श्रीमान बेकारों की बेकारी दूर करने के लिए तीन ही साधन हमारे पास हैं। खेती, उद्योग या नौकरी। पिछले 30 सालों में उद्योगों की कुछ ऐसी नीति रही जिससे खेती पर बोझ बढ़ता गया, ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहे। लेकिन मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जब से हम शासन में आये तब से इस सरकार ने पुरानी औद्योगिक नीति को बदला है और ऐसी नीति अपनाई जिससे ज्यादा से ज्यादा हाथों को काम मिले। कांग्रेसी हुकूमत में भी उद्योग लग

[श्री अशर्फी लाल यादव]

हैं लेकिन वह भारी उद्योग लगे और उसमें बड़ी-बड़ी मशीनें काम करती हैं, जिसमें आदमी बेकार होता है। किन्तु जनता शासन ने यह किया है कि ऐसे उद्योग चलाए जाएं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाथों का काम मिल सके। इसलिए मैं जनता शासन को बधाई देता हूं। मैं मन्त्री जी का ध्यान बुनकरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि उनको भी उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी है और सब को विदित है कि प्रदेश के लाखों लोग इस हथकरघे के काम में लगे हुए हैं, जो बुनकर कहलाते हैं। लेकिन उनकी हालत बड़ी शोचनीय है। वे बड़ी मुद्दत से यह काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बुनकर आज खुशहाल नहीं है, सब फाकेमस्त रहते हैं। इसको देखने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि इनको जो कच्चा माल-सूत, रंग केमिकल आदि दिया जाता है, वह इतना महंगा है कि उनकी हालत सुधर नहीं पाती है। जो माल वह तैयार करते हैं, उसकी सप्लाई की खपत की कोई अच्छी और निश्चित व्यवस्था नहीं है। जिससे माल बिक नहीं पाता है और घाटा उठाना पड़ता है।

जनता साड़ी और जनता धोती अभी तक हथकरघे पर बनती थीं, और सरकार ने उस पर एक रुपये की छूट प्रदान कर रखी थी। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री ने कुछ मिलों द्वारा तैयार इन जनता साड़ी और धोतियों पर छूट दे दी है और उसके लिए 1.90 रुपये की छूट दी गयी है। तो यदि यह स्थिति रहेगी तो इससे हाथ के काम को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बुनकर निरुत्साह होंगे और उनका धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो माल हथकरघे पर बनाया जाए, उसे मिलों में बनाने की कतई इजाजत न दी जाए। ऐसा नहीं होता है तो हाथ के काम को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। ऐसी दशा पिछले 30 वर्षों में रही है, उसका नतीजा यह हुआ कि हाथ के माल को आज कोई पूछने वाला नहीं है और उससे बुनकरों की दशा गिरती गयी है। इन बातों के साथ में प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, किसी देश व प्रदेश की अर्थ व्यवस्था उद्योग धन्धों पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस सरकार ने देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में बड़े तथा छोटे और कुटीर उद्योग स्थापित कर दिये थे। मान्यवर, जिस देश में एक सूई नहीं बनती थी, उसी देश में उद्योगों का इतना बड़ा विस्तार हुआ कि बड़े-बड़े कारखाने लगे और उनमें सूई से लेकर हवाई जहाज तक बनने लगे हैं। इन सब बातों को देखते हुए, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गम्भीरता से सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उसी सरकार की देन है जो आज बड़े-बड़े उद्योगों में प्रोडक्शन हो रहा है और हम सामान का विदेशों में निर्यात करते हैं। हिन्द सायकिल और दूसरी तमाम चीजें हम निर्यात करते हैं। इन सब चीजों के साथ में माननीय मन्त्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये उद्योग लगाने को कौन कहे, जनता शासन में जो हमारे प्रदेश में, जिलों में पहले से उद्योग लगे हैं, स्वीकृत हैं वे बाहर दूसरे प्रदेश में, चले जा रहे हैं। और हमारी सरकार उनको रोकने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले रायबरेली की बात कहना चाहूंगा। वहां इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लगी हुई है और उसमें उसके द्वितीय चरण में 40 करोड़ रुपये की लागत से एक क्लास-वार लगाने की योजना थी, लेकिन अब उसे वहां से हटाकर भोपाल

वक्तने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ले जाया जा रहा है। इसके विरोध में हमारे वहां के किसानों ने भूख हड़ताल की। इसकी मैंने आपको सूचना दी थी। अब वह लोग इस समय केन्द्रीय संचार मन्त्री बृजलाल वर्मा के बंगले के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं कि इस योजना को बाहर न ले जाया जाय, रायबरेली में लगाया जाय।

हमारे जिले में एक योजना और प्रस्तावित थी थर्मल पावर की 250 करोड़ रुपये की योजना थी ऊंचाहार में लगने की बात है। उसको इस सरकार ने अभी शुरू नहीं किया है। हमारे जिले में एक कताई मिल उद्योग विभाग द्वारा चल रही है। उसमें गड़बड़ी के कारण दो करोड़ का घाटा है। वह गड़गड़ियां क्यों हैं? हमारे जिले में एक अधिकारी आर0 सी0 गुप्ता थे, उनके अकर्मण्यता के कारण घाटा हुआ। वहां के मजदूरों पर भी उन्होंने अत्याचार किया। लड़ाई झगड़ा होता रहा तालाबन्दी रही। इससे दो करोड़ रुपये की हानि हुई। उसके बाद अकबरपुर में भी नियुक्त किया गया। वहां पर मजदूरों पर गोली चलवाई, वहां पर झगड़ा करवाया। वह मिल भी बन्द है। इसलिए मैं आपसे, उद्योग मन्त्री से इस सम्बन्ध में गुजारिश करूंगा कि जो औद्योगिक संस्थान हैं जिनको अधिकारियों के भरोसे पर छोड़ रखा है, उनमें चाहे निगम हो, या और संस्थाएं हों, जहां टेक्निकल काम को छोड़कर जो उसके मैनेजमेन्ट का काम है उसमें गैर सरकारी लोगों की नियुक्ति करें जिससे वह अच्छे ढंग से चला सकें। हमारे यहां बेरोजगार इंजीनियर्स थे। 15 लोगों को ऋण दिया गया बैंकों के द्वारा। एक काम्प्लेक्स चलाया गया। लेकिन कम बिजली मिलने के कारण और दूसरे करणों से वह काम्प्लेक्स बन्द हो चुका है। एक दो योजनाएं चल रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उसकी जांच करायें कि यह धनराशि क्यों बेकार हुई।

इसके साथ रायबरेली सुल्तानपुर के मध्य जगदीशपुर औद्योगिक योजना कांग्रेस सरकार ने चलायी थी। उसके विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। वहां पर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। वह भी योजना बन्द पड़ी है। मैं अनुरोध करूंगा कि वह भी योजना चलायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

महोदय, अपना हक मांगने वालों पर चली फिर गोली, कल भी अखबार में निकली थी, खबर, आज भी है। महोदय, उद्योग और सन्अत हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा कारनामा रहा है। यहां ढाके के मलमल की दस्तकारी ऐसी थी, दस्तकार अपने अंगूठों से ऐसे कपड़े बनाया करते थे और उन्हें घास पर डाल दिया जाये तो ढूंढे नहीं मिलता था। यहां के लोगों ने सन्अत और उद्योग का काम चिड़ियों से भी लिया है ईरान से औरंगजेब के जमाने में एक फारसी का मिसरा भेजा गया, उस पर दूसरा मिसरा लिखना था। मिसरा था कि आसमां रवदो कारे आफताब कुनद। आसमान पर गया और सूरज का काम करे औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसां जो एक बड़ी शायर थी उसने कहा कि इस मिसरे पर ऐसा तोहफा भेजना चाहिए जो दुनिया में किसी बादशाह ने किसी को न भेजा हो। उसमें एक तार का जाल तनवाया और उसमें सोने और चांदी के तार डाल छोटे

[श्री खान मोहम्मद आतिफ खां]

पौधे रख दिए और उसमें रोशनी के लिए जुगनू डाल दिए । बरसात में बर्यों ने झोंझ लगायी । एक मिसरा ।

कि आसमां रवदों करे आफताफ कुनद ।

अगर बेजरें नजर मेहर बूतराव कुनद ।

बूतराव का मतलब है जमीन का बाय । तो इस तरह से चिड़ियों से उद्योग का काम लिया । आज हम इस जगह पर पहुंच गये हैं कि दस्तकारों के अंगूठे काट लिए गये हैं । जनता साड़ी और जनता धोती जो गरीबों के लिए बनायी गयी थी और जिस पर कन्ट्रोल था जनवरी में उसकी कीमत कम कर दी गयी और उस समय के उद्योग मन्त्री श्री राम प्रकाश जी ने यह हुक्म दिया कि इसकी कीमत को बढ़ाया जाये । मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश में खेती के बाद सबसे बड़ी सन्अत हैंडलूम की है जिसमें 50 लाख इन्सान काम कर रहा है । इसके बारे में उद्योग मन्त्री जी ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ फिर रिपोर्ट मांगा कि हर हफ्ते इसकी पैदावार की रिपोर्ट हमारे पास आवे, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ । बुनकर सोसाइटी के खिलाफ विजीलेंस में इन्क्वायरी चल रही थी, उसको चलते हुए एक साल हो गया था और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जावेगी । लेकिन उसका भी कोई नतीजा सामने नजर नहीं आया । (लाल बत्ती जलने पर) मुझे हडलूम कारपोरेशन का चेयरमैन होने के नाते कुछ समय और दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

हमीरपुर में मौरंग निकालने का लाइसेंस सलामतउल्ला को दिया था जिसको हमारे नये मन्त्री जी ने समाप्त कर दिया है और दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दे दिया है । मसीउद्जमां का कर्जा माफ कर दिया गया है जो मामला वित्त में पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है । बरतन का उद्योग मुरादाबाद में बहुत अधिक होता है और उससे 38 करोड़ रुपया का फारेन एक्सचेंज मिलता है तो जो ब्रास फैक्टरी बनायी जाती है उस पर 8 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सेहरा जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

15 मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गिरधारी लाल से)--

आप 5-7 मिनट में समाप्त कर दें ।

*श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय उद्योग मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और उसका अनुमोदन करते हुए मुझे दो शब्द कहना है अपने बस्ती जनपद के बारे में।

मान्यवर, बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहां पर केवल शुगर फक्टरीज ही हैं जो पिछड़े वर्ग और मजदूरों के लिए हितकर है। इसके अलावा वहां पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे बस्ती जिले के गरीबों को मदद मिल सके। वहां पर जो सूती मिल लगाया जा रहा उससे वहां की जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। फैक्टरी के लिए उनके खेत भी ले लिए गये लेकिन हमारे बहुत प्रयासों के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

हमारे यहां पर जो पहले से एक उद्योग चल रहा है, उसकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती जनपद में मान्यवर वनकटा में एक क्रौकरी की फैक्टरी है जो बंद पड़ी हुयी है जिसमें 50 प्रतिशत रुपया प्रदेशीय सरकार का लगा हुआ है। उसके सम्बन्ध में मैंने एकबार मीटिंग में भी प्रश्न उठाया था लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है।

अब मैं अपने पिछड़े क्षेत्र की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे गांवों में ब्लौक्स में गरीबों के लिए उद्योग की योजना बनायी गयी है, लेकिन अगर उनकी ओर आपका विशेष रूप से ध्यान नहीं होगा तो उनका उत्थान नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन कर दूं कि आपकी अन्त्योदय की जो स्कीम्स चली हैं, लेकिन छोटे लोगों को जो लाभ उनसे मिलना चाहिए, वे उससे वंचित हैं। जो वहां पर असरदार और जोरदार व्यक्ति होते हैं वे जोर डाल कर सब चीज हथिया लेते हैं। जो गरीब लोग उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वे न तो लिख कर देने को तैयार होते हैं और न कहने को ही।

अब मैं अपने क्षेत्र में कुदरहा ब्लाक की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर घाघरा के कटान के लगाव में है। वहां पर खरीफ की फसल सेन्ट परसेन्ट गायब हो जाती है। वहां पर जो छोटे-छोटे उद्योग लगाते हैं, उनका भी शोषण किया जाता है। मेरे उस क्षेत्र में करघा चलाने जुलाहे लोग हैं लेकिन उनका शोषण खलीलाबाद में रहने वाले बड़े-बड़े व्यापारी शोषण करते हैं, वे उनकी कमाई को लूट लेते हैं। छोटे-छोटे उद्योग वाले उनसे सूत लेकर अपना काम करते हैं और उनकी कमाई उनका सारा मुनाफा पूंजीपतियों को ही मिलता है। मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था। वहां के जुलाहों ने ऐसी समस्या रखी थी जिनके समाधान के लिए मैंने उन्हें भूतपूर्व मन्त्री जी के सामने रखा था और उनसे कहा था कि हमारे क्षेत्र के जुलाहे लूटे जा रहे हैं, अनेक शिकायतें भी हुयीं लेकिन अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारी लाल]

अब मैं उन लोगों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं जिनको उद्योग विभाग से लाइसेन्स प्राप्त हुए थे लेकिन विभाग का उन्हें तनिक भी सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। एक नवयुवक ने राइस मिल चलाने का लाइसेन्स प्राप्त किया लेकिन उसे सबसे बड़ी बाधाओं और विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने डी० एस० ओ० को सीमेंट का प्रबन्ध करने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसकी सारी प्रगति अवरुद्ध पड़ी है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इस प्रकार से जो छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, अगर उनको सहायता न की गयी तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करता हूं।

(श्री मुकीमुर्रहमान के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो सोच रहा था कि आप गुस्से में आकर इस पर नहीं बोलेंगे।

*श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी उठक बैठक के बाद मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे अपने उद्योग मन्त्री जी पर और उनकी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है कि जो बातें मैं अर्ज करूंगा वे उन पर पूरी तरह से गौर करेंगे।

पहली बात मुझे यह कहनी है कि जितने आपके निगम हैं अगर उनमें से शब्द "नि" निकाल दिया जाय तो केवल "गम" रह जायगा। मुझे बड़ी खुशी हुयी उन आंकड़ों को सुनकर बशर्ते कि उन पर अमल हो जाय। अभी कुछ माह पूर्व दिल्ली में मान्यवर, उद्योगों से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एक पवेलियन बनाया गया था जिसके लिये 10 लाख रुपया शासन ने स्वीकृत किया था। यह काम उद्योग सचिव की अध्यक्षता में सौंपा गया था। इस पर खर्च बजाये 10 लाख के 21 लाख रुपया खर्च किया और 11 लाख का इस प्रकार का घपला किया गया। दिल्ली के कमिश्नर श्री मानिक बाधवानी ने इस सम्बन्ध में 21 अक्तूबर और 10 नवम्बर, 1978 को अपने दो पत्र मुख्य सचिव को लिखे कि यह खर्चा नाजायज हो रहा है, उनके दोनों पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री डी० पी० बोरा ने एक बयान पायनियर पेपर में इस सम्बन्ध में दिया था कि उनके भ्रष्टाचार की विस्तृत जांच सतर्कता विभाग द्वारा तुरन्त करायी जाये, परन्तु उसके बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई और मामले को दबा दिया गया।

इसके अलावा मान्यवर, यू० पी० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के लिये शेड्स बनाये जाते हैं जिसमें सीमेंट की चादरें लगती हैं। इसमें भी मान्यवर, लाखों करोड़ों रुपयों का घपला है। इस सम्बन्ध में कई शिकायती-पत्र उद्योग सचिव के खिलाफ माननीय रामनरेश यादव जी को जो उस समय मुख्य मंत्री थे दिये, उन्होंने सारे घपले की जाँच हेतु राज्य जल निगम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अध्यक्ष श्री पी० आर० व्यास भीमन को नियुक्त किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी शासन को करीब 3 माह पहले दे दी। आपके राज्य मन्त्री लक्ष्मण सिंह जी ने विधान परिषद् में यह बयान भी दिया कि जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। लेकिन उसके बाद भी आज तक उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और मामले को दबा दिया गया। क्यों ?

मान्यवर, उद्योग सचिव की पत्नी स्काटलैंड की रहने वाली हैं। पिछले 10 सालों में कभी मायके नहीं गयीं क्योंकि एक बार के आने–जाने में लाखों रुपये का खर्च आता है, किन्तु जब यह पेट्रोलियम और केमिकल मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हुए तब से इनकी पत्नी हर दूसरे साल जाने लगी हैं। यह पैसा कहां से आता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया निजी बातों को न कहें।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक करोड़ रुपया इनका स्काटलैंड में जमा है। (व्यवधान)।

मान्यवर, कानपुर में सर्व श्री शक्ति प्लास्टीकेम लिमिटेड किदवई नगर ने एक औद्योगिक इकाई लगाने के लिये अपने यहां के वित्तीय निगम को प्रार्थना–पत्र दिया और 10 लाख रुपये उस इकाई के लिये स्वीकृत हो गये। संचालक मंडल के अध्यक्ष यही उद्योग सचिव हैं। जब रुपये की स्वीकृति हो गयी तो उस फर्म ने भूमि वगैरह खरीदी और इमारत आदि बनवाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपना एक लाख रुपया खर्च कर दिया। बाद को उद्योग सचिव ने उस 10 लाख के कर्ज को जो स्वीकृत हो चुका था अस्वीकृत कर दिया और कह दिया कि वह नहीं दिया जायेगा। उस फर्म ने अपना जो एक लाख रुपया खर्च किया वह बेकार गया। बाद में वह इकाई बम्बई चला गयी। यह है इस सरकार के बढ़ते कदम। मालूम यह हुआ कि उद्योग सचिव के पिता फरीदाबाद में इसी प्रकार का उद्योग चलाते हैं जिसमें उनको भी 6 लाख रुपये के शेयर्स हैं। और यह उसके 7 साल से निदेशक हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह नियमानुसार नहीं है।

श्री मुकीमुर्रहमान—

उस कम्पनी से इसका कम्पटीशन होता इसलिये कानपुर वाली फर्म को ऋण नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुकीमुर्रहमान—

इन्हीं के साथ जो चेयरमैन थे, मुख्य मंत्री जब राम नरेश यादव जी थे, उन्होंने उनको हैड ओवर की इन्क्वायरी । सदन के अन्दर बयान दिया कि इन्क्वायरी 6 महीने के अन्दर कम्प्लीट हो जायगी । वह इन्क्वायरी, वह जल निगम के चेयरमैन न इस इन्क्वायरी को कम्प्लीट करके के सचिव के पास 1 जनवरी को भेज दिया और वह 1 जनवरी से मुख्य सचिव के पास पड़ी हुई है । (व्यवधान)

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, जो व्यक्ति हैं नहीं, उनके सम्बन्ध में यह भाषण करना संवैधानिक नहीं है । यह एक अधिकारी की पत्नी के सम्बन्ध में बोल रहे हैं । क्या यह संसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो चीजें निकाल देने वाली होगी, वह निकाल दी जायगी ।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, इसी सदन के अन्दर लक्ष्मण सिंह जी, राज्य मंत्री थे, उन्होंने यह कहा कि इसको सतर्कता विभाग को इन्क्वायरी दे दी गयी है और तथ्य आने वाले हैं । म यह कह रहा हूं कि जल निगम के जो आई० ए० एस० आफीसर, जो चेयरमन थे, उन्होंने इन्क्वायरी कम्प्लीट कर लिया और वह इन्क्वायरी मुख्य सचिव के पास चली गयी और मुख्य सचिव आज तक कहा नहीं कि क्या हुआ । तो मान्यवर, आधा मिनट के अन्दर यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह व्यवस्था दे दें । (व्यवधान) ।

कच्चे माल के देने के सम्बन्ध में फाइल मांगी गयी, 25 लाख रुपये का यह मामला है । · · (व्यवधान) · · अगर मेरा यह बयान गलत साबित हो जाय, तो सदन जो मुझे दण्ड देना चाहें वह मुझे स्वीकार है। लास्ट में माननीय मंत्री जी अपने भाषण में आश्वासन देने की कृपा करें कि इनके खिलाफ इन्क्वायरी करा कर उन्हें दंडित करने की कृपा करेंगे ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, हमको और इस सदन को आशा थी कि माननीय मंत्री जी समाजवादी घटक से हैं और वह इस प्रदेश की उद्योग नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन की घोषणा यहां पर करेंगे । मान्यवर, माननीय सेहरा जी ने जनता पार्टी और जनता सरकार की उद्योग नीति के सम्बन्ध में कुछ संकेत दिया । वह कोई मान्यवर इस प्रकार की बुनियादी नीति नहीं है कि आप उद्योग को किस तरफ ले जाना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी ने ग्रामोद्योग की तरफ, छोटे उद्योगों की तरफ बहुत जोर दिया है । हम इस दिशा केहामी हैं । लेकिन इस देश और प्रदेश के हित में माननीय उद्योग मंत्री जी से और यहां की राष्ट्रीय सरकार से, केन्द्रीय सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप भारी उद्योगों और पब्लिक सेक्टर को नेगलेक्ट कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, यह देश के हित में नहीं होगा। मान्यवर, इन छोटे छोटे उद्योगों के साथ जब तक भारी उद्योगों की स्थापना नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होती पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता, तो मान्यवर, एक दौर आने के बाद ये छोटे-छोटे उद्योग भी खतरे में पड़ जायेंगे। इनके लिए मशीनें कहां से आयेंगी। अगर हम इस कृषि का विकास करना चाहते हैं, आज कल जिस तरह का जीवन हमारा हो गया है, उसमें उद्योग, कृषि और जिन्दगी के तमाम पहलू, उससे पड़ हुए हैं और····

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में शान्ति बनाये रखें।

श्री देव कुमार--

किसी भी क्षेत्र में आप विकास करना चाहते हैं, तो आपको उद्योग नीति को बुनियादी तौर पर तय करना होगा। छोटे उद्योगों के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर को और भारी उद्योगों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए और इस पर आशा थी कि माननीय मंत्री जी कुछ राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। कुछ उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में खोलने की बात करेंगे। लेकिन इधर उनका ध्यान कतई नहीं गया है और ऐसा लगता है कि जनता पार्टी की जो नीति है, वह पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है और राष्ट्रीयकरण नीति के सम्बन्ध में बिलकुल खिलाफ है। ज्यादा वक्त मुझे मिला नहीं, मान्यवर, मैं खास तौर से उद्योग मंत्री का ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड में मुश्किल से 18 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं और इतनी कम शिक्षा के बाद 50 लाख की आबादी में दो-ढाई लाख शिक्षित बेरोजगार हैं और वहां पर खनिज पदार्थों के होने के बावजूद ऐसी भी उल्लेखनीय उद्योग-धन्धे की स्थापना नहीं की गई है। कई वर्ष पहले वहां बुन्देलखण्ड विकास निगम की स्थापना हुई थी उससे आशा थी कि उस क्षेत्र के विकास के लिये कोई बुनियादी परिवर्तन करते, उद्योग-धन्धों को खोज-खोज कर लायेंगे लेकिन वह बिल्कुल असफल रहा है। छोटे-छोटे काम, भट्ठे बनाते हैं, कहीं बालू निकालते हैं। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप बुन्देलखण्ड के विकास के लिए एक कमीशन की स्थापना करें। लेकिन 50 लाख की जनता की तरफ, बुन्देलखण्ड की तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं है। आज भी माननीय मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड का जिक्र नहीं किया इसका हमें रंज है। बुन्देलखण्ड की धरती, नवाब बांदा की धरती अंग्रेजों के जमाने से उपेक्षित रही है क्योंकि उसी ने आजादी का झंडा उठाया था। उद्योग कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है इसलिए हम ज्यों के त्यों खड़े ही रह गये। आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, यूरेनियम की, मिली, बाक्साइट बरेली में, मानिकपुर में कागज के कारखाने, बीड़ी के कारखाने, तमाम कारखाने लग सकते हैं। बबेरू में आटा····

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण इधर पीठ करके न खड़े हुआ करें।

श्री देव कुमार--

मिलें बन सकती हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बांदा जनपद में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है, केन नदी के पास एक 'अगेट' नाम का। जर्ज

[श्री देव कुमार]

फर्नान्डिज साहब तशरीफ ले गये थे । मुख्य मंत्री जी थे, मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी में है, अगेट पत्थर को इकट्ठा करके, मैं समझता हूं कि हजारों ऐसे कीमती हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्य आग, हिरन आदि मिलते हैं, जैसे डाइमण्ड कारपोरेशन है उसी तरह से बांदा में अगेट पत्थर का कारपोरेशन का निर्माण करें तो उचित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री देव कुमार--

मैं समाप्त कर रहा हूं । अरब कन्ट्रीज में कितनी कीमतें हैं यह कहना नहीं है । हथ-करघा के तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इन लोगों ने अनशन शुरू किया था, जितने सूती मिल हैं सब पूंजीपतियों के हाथ में । पब्लिक सेक्टर में कोई भी सूती मिल नहीं डाली । कुछ जानकारी कांग्रेस के रिजीम में मिली थी, सोशिलिस्ट यूनियन कई करोड़ का सूत बनाने का काम दे रहा था लेकिन पता नहीं उस योजना का क्या हुआ, भारत सरकार ने उस योजना के सम्बन्ध में क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग जिसमें 50 लाख आदमी लगे हैं वह उद्योग चौपट हो रहा है । उनको इतना महंगा सूत मिलता है कि उनकी कमर टूट रही है । अभी मंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन दिया था और अनशन भी किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री देव कुमार--

इस विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है । जो गरीब आदमी कर्ज लेना चाहता है पहले उससे रिश्वत तय हो जाती है, हिस्सा तय हो जाता है । मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां रामदास नाम का एक पाल, गड़रिया था उसने ग्रामोद्योग अधिकारी को पकड़वाया एक हजार रुपये लेते हुये । इससे सारे कर्मचारी उसके खिलाफ हो गये हैं । उसने 14 हजार रुपये कर्ज लेने के लिये दिया था मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया था और सवाल भी किया था । उसमें लिखकर आया कि कई साल पहले उसको जो अनुदान दिया गया उसका उपयोग अच्छा नहीं किया तो यह बात बिल्कुल फर्जी है । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, कृपया बैठें ।

श्री देव कुमार--

तो बैंक और उद्योग अधिकारियों में समन्वय होना चाहिये अन्यथा विकास नहीं हो सकता है और गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस प्रदेश में कृषि के बाद उद्योग धंधों का जाल बिछाने के लिये उपयोगी कदम उठायेंगे तभी प्रदेश का कल्याण हो सकता है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष--

पांच बज चुके हैं, एक विधेयक भी है। अब इस पर और चर्चा नहीं होगी।

श्री नेम सिंह चौहान--

मैं पिछड़ क्षेत्र की गरीबों की बात कहना चाहता था। अगर आप उचित समझें।

श्री उपाध्यक्ष--

गरीबों की बात आयी, लोग कह चुके हैं उसी में आप अपने को शामिल कर लीजिये।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के लोग भी बोले और हमारे पक्ष के लोग बोले हैं। सम्मानित सदस्यों ने कुछ विशेष बातें उठायी हैं। श्री श्याम धर जी ने, मुकीमुर्रहमान जी ने लारी जी ने कारपोरेशन्स की बात उठायी। यह सत्य है, आपके जो निगम हैं उनमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। पहली बात यह जो रा-मैटीरियल का एलाटमट है वह बड़ा डिफेक्टिव है। यह इस तरह का प्रोसीजर है कि या तो आप इंडस्ट्री चला लीजिये, अगर आप इंडस्ट्री चलायेंगे तो कोटा नहीं मिलेगा। अगर कोटा मिलेगा तो इंडस्ट्री नहीं चला पायेंगे। जो कोटा लेने वाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी साठ-गांठ कर रखी है। ऐसी स्थिति उनकी है कि या तो वह कोटा ही ले लें या इंडस्ट्री ही चला लें। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन की पालिसी है वह बहुत डिफेक्टिव है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि जो कोल क्राइसेस आयी, जहां कोयले के दाम 150 रुपये, 175 रुपये टन थे वह अब 600 रुपये टन हो गये। यह प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है या पहले के उद्योग मंत्री जी का रहा है कि रेलवे से जितने रैक्स मिलने चाहिये थे वह नहीं मिल पाये और उसमें कटौती भी हुयी। आपने एक मूवमेंट डाइरेक्टर भी बैठाया है। कहा जाता है कि आप ट्रक से कोयला लायें। ट्रक पर कंज्यूम होने वाला डीजल इंपोरटेड मैटीरियल है जिस पर हमारा फारेन एक्सचेंज जाता है। होता क्या है कि वह कोयला यहां नहीं आ पाता है वहीं रह जाता है दुर्भाग्य की बात यह है, उद्योग मंत्री जी ध्यान दें, जो लाइजन का काम उन खानों में कर रहे हैं। उसमें यू० पी० का आदमी बेकार है और इसके अलावा वह कोयला यहां नहीं भेजते बल्कि वह ब्लैक में दूसरी जगह भेज देते हैं। जब कि छोटी-छोटी स्टेटें अपने यहां हम से ज्यादा कोयले की रेकें भिजवा देते हैं।

[श्री गुलाब सेहरा]

मान्यवर, दूसरी बात निगमों के सम्बन्ध में कहना है । पिग आइरन में इस समय ब्लक 15 से 20 हजार रुपये तक एक बाक्स पर हैं । पिग आइरन पहले एसोसिएसन को देते थे और अब पिग आइरन उन्हीं उद्योगों को देते हैं जिनसे ब्लैक में पैसा मिल जाता है क्योंकि उनके यहां एक रजिस्टर रहता है जिसमें इन्ट्री करते हैं कि कौन इन्डस्टरी चल रही है कौन नहीं । लेकिन उसमें इन्टरी उन्हीं की होती है जिसमें पैसा मिलता है । आप ताज्जुब करेंगे कि उनकी परचेजिंग इतनी डिफेक्टिव है कि आप चेक करायें तो लाखों रुपये का माल गोदामों में मिलेगा । इम्पोरटेड मेटेरियल में तो कहना ही क्या, इनकी हालत ही नहीं कि इम्पोर्ट कर सकें । जो प्रिमियम वाले मेटेरियल हैं जिसमें मुद्रा मिलती है उसको देखें तो स्टील जो यू० पी० एस० आई० सी० द्वारा दी जाती है वह महंगी होती है और हिन्दुस्तान स्टील की जो शाप है वहां सस्ती पड़ती है ।

मान्यवर, तीसरी बात फाइनेन्शियल कारपोरेशन के मेमोरेन्डम और आर्टिकिल को देखें तो जो सिक यूनिट्स है, जो मेकेनाइज्ड यूनिट्स हैं उनको फाइनेन्स करेंगे और नई यूनिट्स को भी । इसमें कोआरडिनेशन होना चाहिये । होता यह है कि ज्यादा तर नये उद्योगों को ही वहां से पैसा मिलता है । फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने इधर काम किया है और जितनी लोनिंग किया है वह उसके लिये प्रशंसा के पात्र है । कोआरडिनेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नई यूनिट लगाने के लिये कारपोरेशन से पैसा तो मिल जाता है लेकिन आपके वहां से बिजली तथा दूसरे रा-मेटेरियल नहीं मिल पाते हैं जिससे उद्योगकर्ता को बिना बात के ब्याज देना पड़ता है । इसलिये दूसरे विभागों का इस सम्बन्ध में कोआर्डिनेशन होना चाहिये ।

मान्यवर, जनता पार्टी का नारा है कि हम 10 वर्षों में ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण और कुटीर उद्योगों का विकास 10 वर्ष में हो जायेगा । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि 10 वर्ष बाद मैं आपका पता कहां पूछूंगा । उस समय तक को आपका पोस्टल एड्रेस भी नहीं रहेगा और चूंकि आपको 10 वर्ष रहना नहीं है । श्रीमन्, कौशिक जी ने और हरीसिंह जी ने कहा कि गांव की ओर चलो । जनता पार्टी के चुनाव मेनीफेस्टो में कहा गया कि राजस्व का जितना रुपया इकट्ठा हो उसमें से 40 प्रतिशत कृषि पर खर्च किया जाए । लेकिन कृषि में आपने क्या उन्नति की । किसान चौपट हो गया । गन्ना किसान को गन्ना जलाने की नौबत आ गई, वह मर गया । आलू का किसान मर गया आपकी नीति से । आप कहते हैं कि हम गांव की ओर जा रहे हैं मुझे लगता है कि जिधर आपके श्रीचरण जायेंगे उधर बंटाधार हो जाएगा ।

श्री नेम सिंह चौहान--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गुलाब सेहरा जी यह बता दें कि जनता पार्टी ने कांग्रेस शासन की तरह भीख मांगकर तो जुल्म नहीं ढ़ाया ?

श्री गुलाब सेहरा--

मुझे असल फीगर तो नहीं मालूम है लेकिन जब हमने शासन छोड़ा था तो एक करोड़ 70 लाख टन अन्न छोड़ा था आपके लिये । एक बात बार-बार उठाई गई कि हमने 30 वर्षों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया । मैं कहता हूं कि जितने निगम, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं यह सब कांग्रेस शासन की देन हैं तो उसका पूरा दोष हमको काहे देते हैं ? उसमें

तो आप के भी साथी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, टी0 एन0 सिंह, हेमवती नन्दन बहुगुणा और आपके बनारसीदास जी भी मंत्रिमंडल में रहे हैं। रामनरेश जी की इमानदारी से मैं बहुत ज्यादा कन्विन्स हूं वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन करेंगे कैसे ? बाबू बदरे जी ने कहा कि उप मुख्य मंत्री बना दिये, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि आप एक सेमिनार में लन्दन जाना चाहते हैं लेकिन लोग आपको नहीं जाने दे रहे हैं। आप हेलीकाप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हैं ? कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण बजट उद्योग का है और जितने निगम हैं, जितने डायरेक्ट्रेट में लोग हैं, उनके बुनियादी परिवर्तन का आपने वादा किया था। पिछले मंत्री जी ने भी वादे किये थे कि पूरा ढांचा बदला जाएगा। आप इस ढांचे पर पुनर्विचार करें। इसमें आप हमारा सहयोग चाहें तो हम देंगे। दूसरे जो अनियमितताएं पिछले मंत्री जी ने की हैं उनको आप निकलवायें। जैसे मोम का कोटे, जो लोग सुबह को आर0एस0एस0 की शाखा लगाते हैं, उनके नाम और उनकी पत्नियों के नाम दिये गये। आप आश्चर्य करेंगे कि कोल डम्प एरिया बनाया गया टूंडला में और दो आगरा के और दो फिरोजाबाद के लोग उसके इन्चार्ज बना दिये गये। वहां के डी0आई0ओ0 और डायरेक्टर ने जिस व्यक्ति की रिकमेन्डेशन की, इंडस्ट्रियल स्टेट में एक 45 नम्बर का प्लाट था, वह डायरेक्ट मंत्री जी ने उस व्यक्ति को दे दिया। कौशिक जी ने कहा कि रंगे महफिल देखने को होश में आया था मैं, होश फिर उड़ने लगा रंगे महफिल देख कर। ऐसा मत कीजिए कि होश उड़ जायें। कुछ करें।

*श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों के सत्ता पक्ष और विपक्ष से सुझाव आये और आज मुझे गुलाब सेहरा जी के भी विचार सुनने का अवसर विशेष रूप से इस उद्योग विभाग के बजट पर मिला। मैं तो समझता था कि शायद सेहरा जी कुछ ऐसे रचनात्मक सुझाव देंगे जिससे मुझे और सरकार को जो हम करना चाहते हैं उस में सहयोग मिल सके। समय तो उन्होंने अधिक लिया लेकिन उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन की आंखों पर ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिससे उन को पुराना इतिहास नजर आता है। वह इतिहास क्या है। वह यह है जब वह सत्ता में रहे केन्द्र में और यहां पर। इसलिए मैं उस ओर संकेत कर रहा हूं कि आप ने चेम्बर आफ कामर्श के सिंधानिया साहब का भी नाम लिया। और कहा कि उद्योगों की आर्थिक नीति के बारे में जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से गुलाब सेहरा जी से कह देना चाहता हूं कि अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें कि क्या आप और हम मिल जुल कर 80 फीसदी जनता जो गांव में रहती है उस की आर्थिक उत्थान के बारे में न सोचें। हमारी नीति बड़े घरानों, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की नहीं है जैसा कि इन तीस वर्षों में होता रहा। अंग्रेज चले गये और कांग्रेस के हाथ में देश की बागडोर आई। सन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव--]

51 में अनुमान लगाया गया। दस बड़े घरानों की जो पूंजी थी वह 594 करोड़ थी और सन 75-76 में जब कि इमरजेन्सी और इंदरा गांधी की सत्ता अपनी चरमसीमा पर थी इन दस बड़े घरानों की पूंजी 3717 करोड़ रुपये हो गयी थी। मैं समझता हूं कि चेम्बर आफ कामर्श के पूंजीपति का नाम आप ने इसी हैसियत से लिया। यही इस बात का सबूत कि सचमुच में आप पूंजीवाद को बढ़ावा देने की बात किया करते थे। उस रास्ते पर जनता पार्टी की सरकार चलने वाली नहीं है। जनता पार्टी की नीति अपनी जगह पर स्पष्ट है। स्पष्ट नीति यह है कि जहां खेतों में उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं वहीं पर खेतों में जो सामान पैदा होगा उसी के आधार पर उद्योग धन्धे लगाये जायेंगे। परम्परागत उद्योग धन्धों, छोटे उद्योग धन्धों जिनकी आज बहुत आवश्यकता है, जहां पर आवश्यकता है बड़े उद्योग धन्धों का भी प्राविधान किया गया है।

जहां तक और सुझावों का सवाल है जिनकी कि चर्चा की गयी जैसा कि कारपोरेशन काम नहीं कर रहे है, इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम सब लोग चाहते हैं कि उद्योग पनपें, फले फूलें तो इस में सब के सहयोग की जरूरत होगी। जो सुझाव इस संबंध में आये हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जायगा।

एक बात जरूर मैं और कहना चाहता हूं। वह यह कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बात कही हैं विशेष रूप से मैं अपने माननीय सदस्य मुकीमुर्रहमान जो इधर के हैं उन से कहना चाहता हूं कि बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस तरह के विचार उन्होंने रखे इस की जानकारी पहले आई होती। सचमुच इस तरह की कोई जांच हुई थी। जांच की रिपोर्ट आई है। और अगर जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें यह साबित हो गया कि सचमुच कहीं पर उनका हाथ रंगा हुआ है तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। वैसे इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है कि उनकी पत्नी बाहर जा चुकी हैं। वस्तुस्थिति यह है कि उनकी पत्नी अगर पांच बार बाहर गई हैं, उनके पिता आई0 पी0 एस0 डायरेक्टर हैं। उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर कहीं कोई हाथ है उनका तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, बख्शे नहीं जायेंगे। जिन तथ्यों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है वह लिख कर देंगे, उस आधार पर कार्यवाही होगी।

कुछ सदस्यों ने अपने जिलों की चर्चा की। एक सवाल उठाया गया ऋण देने में विलम्ब किया जाता है, लोगों को परेशानी होती है तो उसकी जांच कराई जायगी और जरूरी कार्यवाही की जायगी। एक बात जरूर है जब फायनेन्स कारपोरेशन लोन देता है तो उसमें समय रहता है उस समय तक लोन की किस्त देनी होती है। ज्योंही सैंक्शन हो गया त्योंही इंटरेस्ट बनने लगता है। कारण यह है कि फायनेन्स कारपोरेशन के पास निजी पूंजी नहीं होती है, उसे बैंक से लोन ले कर काम चलाना पड़ता है। फायनेन्स कारपोरेशन घाटे पर न चले इस बात को ध्यान में रख कर उसे काम करना पड़ता है। बस्ती के सदस्य ने कहा कि बुनकरों को कठिनाई है। मैं बतलाना चाहता हूं कि बुनकरों की समस्या को हल करने के लिये हमारी 8 कताई की मिलें हैं उनमें साढ़े 12 हजार नये तकुवे लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको सूत मिल सके और इस तरह सूत की कमी धीरे-धीरे पूरी कर दी जायगी। जहां

तक उनके खरीदने का सवाल है 6 स्थानों पर सेल डिपो खोलने का विचार है और तीन चरण में ये खुल जायेंगे एक महीने में कुछ स्थानों पर, दूसरे महीने में कुछ और स्थानों पर और शेष तीसरे महीने में खुल जायेंगे जहां पर सूत खरीदने की व्यवस्था हो जायगी। टांड़ा के सदस्य ने कहा कि उनके यहां सेल डिपो खुलना चाहिये। जो प्रयोजन लागू की जा रही है फैजाबाद तथा बाराबंकी में वहां जरूर सेल डिपो खोलने की व्यवस्था की जायगी। जहां तक स्टेपुल की बात है तो केवल इस आधार पर दो मिलें बनाई गयी थीं हमारे देश में एक मध्य प्रदेश में और दूसरी बम्बई में जहां केवल फाइबर बनाने की बात थी। उनमें कुल का 85 परसेंट पैदा होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात की इजाजत नहीं मिलती कि जो क्षमता है उसके आधार पर हम फाइबर दे सके। उनमें केवल फायबर स्टेपुल बना सकें इसके लिये भारत सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है। बरेली के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां जो 4 कांप्लेक्स काम कर रहे हैं वे कुछ इस तरह के हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि उनको सही जानकारी नहीं है। सम्पूर्ण यूनिट 15 की है और हमारा स्थान 13वें स्थान पर है।

मान्यवर, जगदीशपुर और नोयडा का इन्डस्ट्रियल इस्टेट तथा कुछ अन्य इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स के बारे में कहा गया। हमारे साथ जानते हैं कि किस तरह से राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित हो कर ये योजनायें चलायी जाती रही हैं और बिना किसी योजना के शिलान्यास भी किये जाते रहे हैं, पटरियां भी लगती रही हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये किसानों की जमीन एक्वायर हो गयी है, उसका इस्तेमाल दूसरे ढंग से किया जायेगा। उस पर विचार हो रहा है। इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के लिये 200 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जा रही है और जो सम्भव हो सकता है उसके बारे में सरकार विचार कर रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने बुन्देलखन्ड के लाइम स्टोन के लिये कहा कि उस पर विचार हो। मान्यवर, प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, क्षेत्रीय असन्तुलन को देखते हुये, करोड़ों आदमियों को काम मिले, इन सारी बातों पर विचार किया जा रहा है। इसलिये जब तक हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति न सम्भले, कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिये छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, जो परम्परागत चले आ रहे हैं जिससे गांवों के लोग शहरों में भाग रहे हैं, उनको मजबूत किया जाय। माननीय गुलाब सेहरा जी अपने सीने में हाथ रखकर बोलें कि उन्होंने जो आगरे के सम्बन्ध में अपनी भावना व्यक्त की है और गांवों की ओर जाने का उन्होंने एक तरह से विरोध किया है जिस भावना को लेकर उन्होंने सिहानिया की बात कही है।

श्री देव बहादुर सिंह--

आगरे का असर कैसे हो सकता है, वह तो विचित्र असर होता है।

श्री राम नरेश यादव--

इन शब्दों के साथ मैं इधर के बैठे हुये और उधर के बैठे हुये माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और विशेष

[श्री रामनरेश यादव--]

रूप से माननीय गुलाब सेहरा जी को जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और जो शायद गांवों की तरफ जाना भी चाहते हैं उनसे कहूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। बिना गांवों का विकास हुये शहरों का विकास नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य और यह सदन मुझे इनको नई दिशा देने में सहयोग देंगे और हमारे कटौती के प्रस्ताव अपनी उदारता का परिचय देंगे। मैं माननीय कुदसिया बेगम साहिबा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विपक्ष में बैठकर हमारी योजनाओं का और हमारी नीतियों का खुले दिल से समर्थन किया है उसी तरह से इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय सेहरा जी भी हमारा समर्थन करेंगे और कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री गुलाब सेहरा से)--आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बल्कि एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में बड़े-बड़े घरानों और पूंजीपतियों की कितनी पूंजी बढ़ी है ?

श्री राम नरेश यादव--

आपने तो प्रदेश को 30 साल में ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया है कि वह 15 में से 13वें स्थान पर है और हम तो उसे पहले स्थान पर लाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि.....

एक सदस्य--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,96,67,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,00,28,090 रुपये से अनधिक धनारशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-69 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,74,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

श्री उपाध्यक्ष--]

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91-उद्योग विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,73,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117 के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117 उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,67,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से मैंने हर प्रताप सिंह की सूचना जनपद इलाहाबाद तहसील फूलपुर के ग्राम बेलहाथान से होकर शारदा सहायक नहर निकालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, को स्वीकार किया है । शेष रामआसरे वर्मा व श्री श्रीनारायण, श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री बाबूराम शुक्ल की सूचनाओं को अस्वीकृत किया है । स्वीकृत सूचना पर वक्तव्य सिंचाई मंत्री जी 14-6-79 को देंगे ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) (विधेयक, 1979†)

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है।

*(कृषि मंत्री) श्री शिवमंगलसिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम, 1964 में कुछ एक संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1979, जो 17 अप्रैल, 79 को असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था, के द्वारा किया गया था। उन्हीं संशोधनों को अधिनियम के रूप में ले आने के लिए यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, इसके द्वारा एक कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम की धारा 7(2) के अन्त में एक खंड और बढ़ाया जा रहा है। इसे इस तरह धारा 7(2)(क) कर दिया गया है और इसके साथ (ख) खंड बढ़ाकर प्राविधान किया जा रहा है कि राज्य सरकार जहां लोकहित में उचित समझे, उन सारे मंडी स्थलों को, जिसमें कृषकों के उत्पादनों को इकट्ठा करना और रखना उचित समझे, उन मंडी स्थलों में नये क्षेत्रों को जोड़ सकती है या बदल सकती है, जिनकी आवश्यकता उसे कभी-कभी, समय-समय पर दिखाई देती है। मंडी समितियों के स्थापना के बाद यह निश्चित रूप से आवश्यक हो गया है कि जितनी भी हमारे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन हैं, उन सभी सामानों को हम मंडी स्थल पर—एक निश्चित स्थान पर रखकर, उनसे सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित करें, जिससे उनको नीलाम करने में, नियन्त्रण करने में और किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सुविधा हो। अभी तक बिखरे हुए स्थानों पर इस प्रकार के थोक व्यापार के जो कार्यक्रम चलते हैं, उनको हम मिटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब एक स्थान पर आकर रखे जायं, जिससे हम उनका समुचित नियन्त्रण कर सकें और कृषकों को उचित मूल्य दिला सकें और किसी प्रकार की कोई असुविधा कृषकों को न हो। इसके बाद दूसरा, धारा 17 के खंड (3) में, उप खंड (ख) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जा रहा है। इसके द्वारा यह परिवर्तन किया जा रहा है। अभी तक दूसरी मंडी समितियों से यानी बाहर की मंडी समिति से जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में व्यापारी सामान लेकर बेचने आते थे, उन पर भी मंडी शुल्क लगाया जाता था। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। फुटकर व्यापारी जो छोटा सामान खरीदकर बेचते हैं उनको मंडी शुल्क से काफी असुविधा होती है। शासन इस भावना से प्रेरित होकर अधिनियम में जो संशोधन लाया है उसके अन्तर्गत अब सभी फुटकर व्यापारियों, जो दूसरी मंडियों से लेकर छोटा-छोटा सामान बेचते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 18 मई, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री शिव मंगल सिंह]--

उन पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है । यही मुख्य बातें हैं जो इसके पूर्व अध्यादेश के समय माननीय सदस्यों ने पारित किया था । मैं आशा करता हूं कि जो अधिनियम हमारा उसी आधार पर आया हुआ है, इसको भी पारित करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, मंडी समितियों के बारे में फुटकर क्रय-विक्रय के सिलसिले में जो संशोधन पेश किया गया है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ खराब । फुटकर क्रय-विक्रय पर आपने टैक्स हटाया इसका हर व्यक्ति स्वागत करेगा क्योंकि इससे साधारण देहातों के छोट-छोटे व्यापारियों पर असर पड़ता था । जो मंडी समिति के कर्मचारी होते थे बड़े व्यापारियों के यहां नहीं जा पाते थे, लेकिन रास्ता चलते जो छोटे-छोटे दूकानदार थे उनको पकड़ कर बैठा लिया करते थे और डरा धमका कर पैसा वसूल किया करते थे । यह व्यवस्था अच्छी थी । लेकिन लगता यह है कि ज्यों-ज्यों आप आगे कदम बढ़ाएंगे आपके सामने कठिनाइयां आएंगी । सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज तक मंडी समितियों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया । कहीं राजनीतिक दबाव है और कहीं और तरह का दबाव । जब सोचेंगे तो नयी-नयी परेशानियां सामने आएंगी । इसीलिए मेरा अनुरोध था कि जहां पर कुछ बातें अच्छी कर देते हैं कुछ खराब कर देते हैं । व्यवहार की कसौटी पर हर बात को कस कर, उसके भीतरी बाहरी पहलुओं पर गौर करके आज मंडियों में क्या हो रहा है, यह देखना चाहिए । मंडी आपने किसानों के हित के लिए बनायीं । लेकिन देहातों में जा कर किसानों से पूछें कि क्या उसका हित हो रहा है । वह एक बात कहेगा, जहां पर किसान का उत्पीड़न खत्म करने के लिए मंडी कर्मचारियों की तरफ भी देखना पड़ेगा, उनके कार्यकलापों के बारे में देखना पड़ेगा, किसान किस तरह से ग्रेस्प कर सके, वह देखना पड़ेगा । हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं दो साल से मंडी के लिए स्थल चुन लिया गया है । 13 लाख रुपये की योजना है, कि सारे इलाके का किसान यहीं आयेगा, उसके माल का क्रय-विक्रय होगा । दो साल हो गये, बस कागज पर नक्शा बना दिया गया वह कभी लखनऊ और कभी हरदोई और कभी मंडी दौड़ता है । रुपया पड़ा हुआ है । दो साल होने जा रहे हैं आज तक उस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है । तो जो कठिनाइयां हैं उनको देखना पड़ेगा । दो साल से मंडी स्थल चुन लिया गया हो, नक्शा बन गया हो, मंडी न बनायी जा रही हो । जब आप इसको देखेंगे तो यह हो सकता है । इसको आप प्रवर समिति के पास सुपुर्द कर दें जो इन सारे पहलुओं पर गौर करे और ठोस नतीजे इस सदन के सामने रखे । अगर अध्यादेश जारी करना समाप्त न किया जाय तो उसको कम अवश्य किया जाना चाहिए । इस आशा के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

पहले तो जो यह अध्यादेश है इसके अननुमोदन में मेरा नाम जुड़ा हुआ है मैं पहले इसके विषय में कहूंगा श्रीमन, आप देखें यह अध्यादेश 17 अप्रैल को निकला है और दो मई से असेम्बली चली तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन सी

ऐसी आवश्यकता पड़ गयी कि 14, 15 दिन माननीय मंत्री जी प्रतीक्षा नहीं कर सके कि विधान सभा की बैठ हो और उसमें यह विधेयक के रूप में आता। यह सरकार बिना अध्यादेश के कोई भी विधेयक इस सदन में नहीं लाती है। जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनकी संस्तुतियां रही हैं कि अध्यादेश का सहारा कम से कम लिया जाय। लेकिन यह सरकार अध्यादेशों के बल पर शासन करना चाहती है। मैं कहूंगा माननीय मंत्री जी इसको वापस लें और अध्यादेश की बात खत्म करें।

अब मैं विधेयक के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी इसको बड़ी मजबूरी में लाये हैं। बहुत से मंडी स्थलों पर लाखों और करोड़ों रुपया लगाकर दुकानें बना दी गयीं लेकिन वहां पर टेंडर जाने के लिए तैयार नहीं हैं और कानूनी दृष्टि से मंडी समितियों को कोई सहारा नहीं है जिनसे उन व्यापारियों को मजबूर किया जाय कि वे वहां पर जायें। इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कई जगहों पर मंडी समितियां गलत जगहों पर बन गयी हैं। जैसे रायबरेली में मंडी समिति गलत जगह पर बन गयी है वहां पर कोई व्यापारी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके कई कारण हैं, एक तो कहीं पर सुरक्षा नहीं है, कहीं पर मुख्य बाजार बहुत दूर है और कहीं पर उसके दूसरे काम धन्धे समाप्त हो सकते हैं। अब जो मंडी स्थल बनवायें तो कृषकों से, व्यापारियों से और वहां के जो अधिकारी हैं सब मिलकर बनायें। किच्छा में एक मंडी समिति मंडी स्थल के चुनाव के लिए समिति बनी। तत्कालीन जो मंडी समिति के अध्यक्ष थे वह भी गये और जिस स्थान का चयन किया गया है उस पर निदेशक महोदय ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है अब 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चिट्ठी मिली कि फिर दूसरे स्थल के बारे में विचार किया जाय। मैं भी वहां पर 27 तारीख को गया था। तो अगर एक बार स्थल का चयन हो जाने के उपरान्त फिर दूसरे स्थल का विचार किया जाता है तो फिर तीसरे स्थल का भी प्रश्न उठ सकता है और इसके लिए हम को भी और आप को भी कह सकते हैं।

परिश्रम करके, सब की राय लेकर, सहमति लेकर सुदृढ़ होकर आपको उस स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। उसमें हुआ क्या जो नये स्थल के लिए जमीन बेचना चाहते हैं वे कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष से मिलते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब-जब भी स्थल का चयन कर, उसमें ट्रेडर्स की राय लें कृषकों की राय लें और अपने इन्जीनियर्स की राय लें। इन शब्दों के साथ में अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

शायद आप दोनों एक ही जिले के हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह--

हम अपने-अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, मैं विरोध पक्ष की ओर ये शासन पक्ष की ओर। इसमें हमारा कोई समझौता नहीं है। मेरा निवेदन है कि ये दृढ़ता से काम करें। मैं इसलिए माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे इस बात का आश्वासन दें कि चयन में ट्रेडर्स और किसानों को भी रखेंगे, तब इस विधेयक का कुछ लाभ सरकार को मिल सकेगा।

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

मान्यवर, जो मंडी समिति बनायी गयी थी उसका उद्देश्य केवल यह था कि जो हमारे किसानों को बीच में लूटते थे, उनसे उनको बचाया जाय। लेकिन अब जो इसमें नयी चीजें शामिल की गयी हैं, उनसे ऐसा लगता है कि मंडी समिति के कर्मचारी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि किसानों को किसी प्रकार की सुविधा मिले। उनका ज्यादा ध्यान इस बात की ओर रहता है कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाय और अपना भी पैसा बनाया जाय। जो हमारे सचिव हैं वे यही देखते हैं कि किस प्रकार से उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। किसानों को जो सुविधा देने का उनका ऐम था वह तो समाप्त ही हो गया है। पहले एक सूत्री टैक्स लगता था। उसमें इतना भ्रष्टाचार था कि एक सामान पर 3-3 4-4 जगह उस पर मंडी टैक्स पड़ जाता था। मान लीजिए अगर एक आदमी 10 किलो कोई चीज कानपुर से खरीदता है तो 1 परसेन्ट कानपुर में, फिर एक परसेन्ट बाराबंकी में और अगर उसे वह तुलसीपुर में बेचना चाहता है तो एक परसेन्ट उसे वहां पर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक सामान पर उसे 3-3 और 4-4 जगह टैक्स देना पड़ता था।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया विधेयक पर ही बोले।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम है।

श्री बिन्दूलाल--

यह जो बहुसूत्रीय कर देना पड़ रहा है इसे समाप्त करने पर आप विचार करें। (व्यवधान) आप चाहे 1 परसेंट के दो परसेंट कर दें पर सिंगिल प्वाइन्ट रखें ताकि भ्रष्टाचार न होने पाये और लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कृषि के अन्तर्गत नहीं आतीं, उन्हें भी मंडी स्थल पर ले जाना पड़ता है और शुल्क देना पड़ता है। वन विभाग से जो लकड़ी आती है वह अगर वहां ले जायी जायें तो उनको वहां रखने की भी जगह नहीं होगी। इसके लिये वन विभाग ने लिखा भी है कि चूंकि यह कृषि उत्पादन में नहीं है इसलिये इसको मुक्त कर दिया जाये।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसे खत्म करें, अगला आइटम लें, मान्यवर।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, जिस मन्तव्य के साथ माननीय कृषि मंत्री जी इस विधेयक को लाये हैं, उनकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस विशिष्ट उद्देश्य को लेकर मंडियों की स्थापना की गयी कि उससे कृषक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिचौलियों से उनको बचाया जा सकेगा, वह मंशा पूरी नहीं हो रही है। मंडी समितियों का जो जाल फैला हुआ है उसको बिक्रीकर की ही भांति अब आय का एक स्रोत समझ लिया गया है। उपभोक्ताओं से तो आपने जो एक परसेंट लेते थे वह समाप्त कर दिया है पर अनेकों कठिनाइयां अभी शेष रह गयी हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। आज एक व्यक्ति अपने माल को अगर 4-5 मंडियों में पार करने के बाद कहीं ले जाता है तो उसको हर जगह मंडी टैक्स देना पड़ता है और यह बहुसूत्रीय कर हो गया है। बहुत से छोटे-छोटे गरीब लोग कभी खोया, कभी कोई और सामान बेचने को ले आते हैं। एक हरिजन बेचारा अगर 2 किलो बथुआ भी बेचन के लिय ले आया तो उसे भी मंडी शुल्क देना पड़ेगा।

आज चारों तरफ हाहाकार सा मचा है। मैं अपने सीतापुर के आधार पर कुछ बातें बता रहा हूं। वहां काफी मंडी शुल्क की चोरी मंडी कर्मचारियों द्वारा हो रहा है। जो अभी आदमी ठेले पर अपना सामान लेकर आते हैं यह कर्मचारी उनसे अलग से पैसा लेकर उनको पास कर देते हैं। इससे लाखों रुपये की आमदनी इन मंडी कर्मचारियों को हो रही है। मंत्री जी कृपया इस पर विचार करें कि इस भ्रष्टाचार को वह कैसे दूर करेंगे। इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। आज जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था, उपभोक्ता की परेशानी दूर करने के लिए इसके बारे में विचार करने की जरूरत थी। यह आमदनी का सोर्स बनता चला जा रहा है। हमारा उद्देश्य था कि काश्तकार की सुविधा हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, सब मंडियां शहर के बाहर चली गयी हैं। वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार माननीय कृषि मंत्री का, माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। मान्यवर, सीतापुर कृषि मंडी हस्तगित भी नहीं की गयी, लेकिन मंडी वहां पर भेज दी गयी, न वहां पर वैंक्स गये हैं, न पानी की व्यवस्था है न छाया की व्यवस्था है। उनको शहर के बाहर जाना पड़ता है। मैंने कई बार कहा कि कम से कम वहां पर पुलिस चौकियां स्थापित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, चलने रखे हुए हैं, मंडली स्थल पर, परिणाम क्या होता है कि काश्तकार को व्यापारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। व्यापारी गल्ला खरीद लेते हैं, जब तौलने के लिए आदमी आता है, तो कहते हैं कि इसमें तो खाद निकल रही है, इसके अन्दर मिट्टी है। मान्यवर, उसमें से दो-तीन किलो खादी निकाल निकलती है। तो यह मंडी का काम है। वह मान्यवर, चारों तरफ से शिकायतें होती हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि इसके बारे में अभी विचार करना होगा। मंडी समिति के चयन का मामला है, आपने कह दिया कि मंडी समिति एप्वाइंट करेंगे, आशा की जाती थी कि जब मंडी समिति बन जायेगी, तो शायद वह कुछ काश्तकारों को शोषण से बचायेगी। खरीदार को परेशानी से बचायेंगे। लेकिन अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो जनता को परेशान किया करते थे, उनको नामिनेट कर दिया गया। मान्यवर,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक विधायक, जो अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता है, उसे जनता के हितों का दायित्व है, उससे सुझाव लीजिए और फिर समितियों का नाम अंकित कर दीजिए । कम से कम उपभोक्ता का शोषण, काश्तकारों का शोषण तो बचेगा । व्यापारियों की परेशानी से बचेगा । तो कृपा करके परिस्थिति पर माननीय मंत्री जी विचार करें । काश्तकार का शोषण बचाने के लिए, अनेकों शोषणों को लेकर विधयक प्रस्तुत करें, हम उसका समर्थन करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अब तो और ज्यादा मजबूती आ गयी । मुझसे पहले क्योंकि माननीय गुप्ता जी बोले और माननीय बिन्दु जी बोले और एक स्वर में सभी लोगों ने मेरी ही बात दुहराई है जो माननीय देव बहादुर सिंह जी ने शर्त रखी है, अगर वह माननीय मंत्री जी मान लेते हैं, तो हम अपना प्रस्ताव वापस लेने पर विचार कर सकते हैं ।

*श्री शिव मंगल सिंह—

जहां तक हमारे माननीय देव बहादुर सिंह जी की आपत्ति थी कि यह सरकार हमेशा अध्यादेश के द्वारा काम करती है, ऐसा नहीं है । ऐसा समय जब आता है जब कि प्रदेश के हित में नियम बनाने की जरूरत पड़ती है और जब विधान सभा का सत्र बैठने वाला नहीं होता है । ऐसी परिस्थितियों में अध्यादेश लाया जाता है और ज्यों ही यह सदन बैठता है कोशिश की जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र अध्यादेश बदल कर नियम के रूप में परिणित कर दिया जाय । अब मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहांतक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, इसमें केवल 2 संशोधन हैं । एक, मूल अधिनियम की धारा 7 (2) (क) में और उसके साथ (ख) खण्ड जोड़ देने का प्राविधान है । इसके अन्तर्गत केवल इतना ही किया गया है कि जो भी हमारे थोक व्यापारी होते हैं, जो अभी तक बिखरे हैं, उन्हें एक स्थान पर लाया जा सके । इस सम्बन्ध में मैं श्री देव बहादुर और श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो कहा है, इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह व्यापारी वर्ग में सहृदयता होती कि किसानों की सुरक्षा करते होते तो सम्भवतः कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम का कोई प्रश्न उत्पन्न न होता । लेकिन वर्षों से दिखा गया है कि व्यापारी वर्ग ने प्रत्येक समय बल्कि मुसीबत के समय अधिक से अधिक जितना शोषण हो सकता था, का प्रयास किया । इसलिए जब भी कोई सरकार शोषण से विपरीत होकर कार्य चलाने की कोशिश की, जिनके द्वारा गरीबों, किसानों का शोषण हो रहा है, उसको सही ढंग से लाने पर कुछ न कुछ नियम बनाने पड़ेंगे । इसीलिए इनकी स्थापना की गयी । हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से किसानों का शोषण और उनके गल्ले का उचित मूल्य उनको मिल सके । फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी क्रान्तिकारी कदम उठाने की तरफ शासन अग्रसर हुआ है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । अब भी अनेक आज्ञाओं के विरुद्ध अदालतों में जाते हैं, कोशिश करते हैं रुकवाने की । वास्तव में इसमें कोई त्रुटि नहीं है, हम नहीं कर सकते, अभी प्रारम्भ हुआ है, गलतियां हो सकती हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, उसके अनुसार सुधार करेंगे । किसानों का शोषण न हो, उनको गल्ले का उचित मूल्य दिलाया जा सके, मैं समझता हूं इसमें देव बहादुर जी और वर्मा जी विरोधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं होंगे । इन मन्डी स्थलों का जिनका निर्देश किया गया है, एक निश्चित स्थान पर लाया जा सके, यह इसीलिए है ।

जहां तक मूल अधिनियम की 17 के खण्ड 3 (ख) में जो जोड़ा गया है, उसका मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने स्वागत भी किया है, तो जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं, उन्हें एक स्थान पर लाया जाये, आप चाहते हैं कि किसान का शोषण न हो, तो मान्यवर, इससे वह भी प्रभावित हैं, इसलिए इसे पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर माननीय मंत्री जी कह दें कि पास होने में कोई खतरा नजर आ रहा है तो हम वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

(कोई उत्तर न मिलने पर ।)

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 की इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 2 से 6, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, 1964 का अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 2 की संशोधन

(2) यह 17 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (थ-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(थ-2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, 'फुटकर विक्रय' का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के विक्रय से है जो मन्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अनधिक हो",

(दो) खण्ड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङङ) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, 'थोक सौदा' का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के क्रय और विक्रय से है जो मन्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो"।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य सरकार, जहां लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे अधिसूचना द्वारा—

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मन्डी स्थल या उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है,

(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन में से सभी या किसी का थोक सौदा उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायगा।"

धारा 17 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (3) में, उप खण्ड (ख) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क न तो लगाया जायगा और न वसूल किया जायगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को किया जाय।"

धारा 39 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा।"

निरसन और अपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12, सन् 1979

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6, खन्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग मान लिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इन्टरमीडिएट, हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में पेपर आउट होने, नकल होने तथा इस सम्बन्ध में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब इन्टरमीडिएट, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में पेपर आउट होने, परीक्षाओं में व्यापक रूप के नकल होने तथा इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा होगी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री और सदन के साथियों का ध्यान इंटरमीडियट, हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में इस बार जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर आउट होने, नकल किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बार तो हो गया परंतु आगे के लिये सदन और सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। यू० पी० बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियट, यह शायद विश्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो लगभग 10 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेती है। पिछले साल के पहले तक इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में आम लोगों में आस्था थी। कहीं एक आध छुटपुट घटनायें हो जाया करतीं थीं। लेकिन सामूहिक नकल, पेपर आउट होने और भ्रष्टाचार की घटनायें इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थीं। पारसाल मैंने सवाल उठाया था कि मेरठ से निकलने वाले सरस्वती गेस पेपर में पेपर आउट होकर बनारस, कानपुर आदि सब जगहों पर गया। तो उसके बारे में यहां से अधिकारी गये थे और जांच हुयी लेकिन मान्यवर, सबसे अधिक परेशानी यह है, मैं चर्चा नहीं करता लेकिन मेरे साथी कैलाश नाथ सिंह नौजवान हैं, बातचीत उनसे होती है तो ऐसा लगता है कि वह कुछ करना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता था कि शायद सदन के लोग उनकी मदद कर सकें। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की एक इस तरह की योजनाबद्ध साजिश बन गयी है, उसको तोड़ना अकेले मंत्री जी के बस का काम नहीं है, सदन को उनका साथ देना चाहिये और इनी-शियेटिव लेना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जो पारसाल जांच हुयी अधिकारियों ने उसको दबा दिया। जो बोर्ड का दफ्तर है और जो सचिव होते हैं उनसे बात हुयी। मैंने कहा कि 13 सेंटर्स छांट लें जहां पर नकल होती है। वह सहमत हुय कि इन सेंटर्स पर प्रधानाचार्य या मैनेजिंग कमेटी के कुछ लोग नकल कराते हैं। मैंने 13 सेन्टरों का जिक्र किया था कि जहां नकल होती थी जो टीचर एसोशिएसन के नेता थे उन लोगों ने रेप्रेजन्टेशन दिया कि बच्चे परीक्षा नहीं देना चाहते हैं लेकिन उनको पहले अस्वीकार करते रहे। मेरे यहां एक दबथुआ नकल का बहुत बड़ा सेन्टर है। इन सब जगहों से रेप्रेजेन्टेशन आये। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि परीक्षा 22 से शुरु होना था लेकिन 18 तारीख को यहां से आना जाना प्रारम्भ हुआ और फिर कहा गया कि लड़कों के अभिभावकों की शिकायत है कि वहां कम्युनल टेंशन होने का भय है इसलिये बच्चों की असुरक्षा है। सेन्ट जोजफ जगह से शिकायत आयी है, अतः सरधना सेंटर पहले रखा गया लेकिन बाद में वह बदलकर रासना कर दिया गया। यह सेन्टर बदलने के आदेश लखनऊ से गये थे।

मान्यवर, यह घटना इस तरह हुई कि 16 तारीख को मुख्य मन्त्री के लड़के का आवेदन पत्र आया कि उनका परीक्षा देने का सेन्टर नौगढ़ बस्ती कर दिया जाय जबकि वह खालसा कालेज, लखनऊ का स्टूडेन्ट था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के सचिव, श्री खांडेलवाल का नौगढ़ बस्ती गांव पड़ता है: तो जब इनका प्रार्थना पत्र सेन्टर बदलने के सम्बन्ध में आया तो फिर क्या था हजारों लड़कों के 16 मार्च से 22 मार्च तक सेन्टर बदलने के प्रार्थना पत्र आये और फिर वह सेन्टर बदले गये। लेकिन जो यह सेन्टर बदले गये वह सब प्रभावशाली विधायकों और मंत्रियों के बच्चों के बदले गये हैं। जब यह स्थिति नौकरशाही को मालूम हुई तो फिर प्रशासन झुक गया और

हजारों सेन्टर बदले गये केवल इसी आधार पर कि सुरक्षा नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में भी एस0एस0पी0 तथा उच्च अधिकारियों को लिखा गया कि नकल हो रही है, पेपर आउट हो गये हैं और आप लोग कुछ करें। तो उन्होंने निवेदन किया कि इसमें आफेन्स बनता है चूंकि पेपर का लीकेज हुआ है। बम्बई में इस प्रकार की एक बार घटना घटी थी तो वहां आई० जी० ने अफिशियल सेक्रेसी ऐक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था और लोगों को 7-7 साल की सजायें हुई थीं। हमारे यहां भी इस ऐक्ट के तहत पेपर आउट कराने वालों के विरुद्ध मुकदमा दायर करना चाहिये। लेकिन चूंकि यहां सब पेशेवर लोग, प्रिंसिपल, टीचर मिले हुय हैं इसलिये कम्प्लेन्ट की जगह यह लिखा कि हमारे यहां कोई नकल या पेपर आउट नहीं हुये हैं। प्रिंसिपल ने कहा मैं भी ऐसा गेस पेपर बना सकता हूं। जूनियर हाई स्कूल का इंगलिश का I-II पेपर मेरे पास है, यहां प्रिंसिपल और टीचर जो रह चुके हैं वह लोग बैठे हैं वह देख सकते हैं कि इन पेपरों में 100 प्रतिशत, जितना लड़कों को उत्तर देना चाहिये वह है, अन्सीन और ग्रामर तक मिलती है। तो ऐसा कोई प्रिंसिपल या टीचर नहीं है जो उसकी भविष्यवाणी कर सके। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या परेशानी शिक्षा विभाग को थी कि वह आफिशियल सेक्रेसी ऐक्ट के अन्तर्गत उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करता। विभाग पुलिस को लिखाने के लिये तैयार नहीं कि पेपर आउट कर आफिशियल सेक्रेसी ऐक्ट का उल्लंघन किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को आप कहां ले जायंगे। लेकिन आज हम अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे घर के पास 10-10 लाख रुपया सरस्वती गाइड और विशाल गाइड प्रकाशकों से लिया गया है और इसमें बड़े से बड़े अधिकारियों का हाथ है। शिक्षा विभाग कुछ करने को तैयार नहीं है। मन्त्री जी को मुझसे ज्यादा जानकारी है कि मेरठ में हर सेन्टर में कहां से पेपर आते थे, कहां टाइप होते थे, कहां बंटते थे? उसके बाद कौन सी दिक्कत आ गई है कि आज तक शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया? मैं यह चर्चा न उठाया होता लेकिन मन्त्री जी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसलिये हमारे लिये तो यही सबसे बड़ी अदालत है। इसलिए मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि यदि इस देश-प्रदेश को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है तो इस सदन की कोई समिति बनायें जो इस पर विचार करे। मन्त्री जी और कुछ नहीं करते तो कुछ टीचर्स के साथ इस पर विचार कर लें। चौधरी चरण सिंह आज शिक्षा मन्त्री होते तो सबसे पहले यह कहते कि यह काम हुआ है और हम इसको सही करेंगे। लेकिन माननीय कैलाश नाथ जी को विभाग के अधिकारी जो समझा देते हैं, वही समझ लेते हैं। हमें इन अफसरों से कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इसमें कुछ करें।

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)--

हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जूनियर हाई स्कूल परीक्षाओं में पेपर आउट होना, परीक्षाओं में व्यापक तरह से नकल होना और भ्रष्टाचार, यह 3 बातें इस चर्चा में सम्मिलित हैं। पहली बात है व्यापक रूप से नकल। इस संदर्भ में माननीय तोमर जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, मैंने स्वयं सदन में कई बार इसकी चर्चा भी की है, प्रश्नों और अपने भाषण के दौरान। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि मेरठ में 13 केन्द्रों पर प्रधानाध्यापक ने नकल कराई। यदि ऐसा

[श्री कैलाश नाथ सिंह--]

सिद्ध हो तो यह सचमुच शर्म की बात है। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक अगर इस नकल में स्वयं इनवाल्व हो जाए देश का पतन कहां हो गया है, मुझ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक जिम्मेदार होता है, परीक्षा में प्रश्न पत्र जिस आलमारी में बन्द करके रखा जाता है, उसका चार्ज भी केन्द्र व्यवस्थापक को दिया जाता है। पेपर खुलने की बात अगर केन्द्रों से होती है तो यह निश्चित है कि कहीं से गड़बड़ी होती है। इसकी हमने जांच कराई और मैं आपको यह सूचना दूंगा कि दबथुवा केन्द्र के बारे में यह सच है कि कहीं से एक दर्खास्त इस प्रकार की आई थी कि यहां का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सेन्टर बदल कर दूसरे स्थान पर कर दिया जाए। यह भी सच है कि लिखा था कि अगर हाई स्कूल न हो तो इंटरमीडियेट का कम से कम केन्द्र कर दिया जाए। इस प्रकार के बहुत से केसेज जब प्रतिनिधियों द्वारा प्रायः आते हैं, उस पर विचार करके केन्द्र परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है। मेरठ का ही उदाहरण विशिष्ट रूप से था। मैं नकल की बात नहीं करता, हमने इस दिशा में काफी कुछ किया है लेकिन नकल, बेइमानी ऐसी चीजें हैं कि इसके मूलोच्छेदन का दावा तो मैं नहीं कर सकता लेकिन उसकी मात्रा को घटाने का प्रयास जरूर कर सकता हूं क्योंकि यह ऐसी बातें हैं जिनमें हमें बहुत से फैक्टर्स पर विचार करना पड़ेगा। सब से बड़ा फैक्टर मैं समझता हूं मारल का है। आदमी की नैतिकता ही गिर जाय, चरित्र का पतन हो जाय और पैसा ले कर पेपर बांट दिये जायं, नकल की भावना प्रेरित की जाय। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने परीक्षार्थी अन्दर बैठते हैं उससे कहीं डबल अभिभावक बाहर खड़े रहते हैं। वे किसलिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम में से सभी अभिभावक होंगे। क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम भी नकल रोकने में सहयोग करें। मैं समझता हूं कि जिस चीज की ओर माननीय तोमर जी ने इशारा किया है इस पर अवश्य विचार होना चाहिए और हम विचार कर रहे हैं। बोर्ड समिति के सदस्य आप भी हैं। बहुत ही सुलझे हुये और इस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति हैं। आप ने इस ओर इशारा किया है। हम जिस प्रकार नकल हो रही है उसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इस वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा गया था। शायद पहली बार बोर्ड के इतिहास में देश के 32 वर्ष के इतिहास में यह पहला समय था जब तीन हिस्सों में तीन सचल दलों की व्यवस्था की गयी थी। मेरे पास रिपोर्ट है। ऐसे केन्द्रों पर नकल रोकी गयी है कि फाटक को तोड़ कर अन्दर घुसना पड़ा। नेपाल की सीमा पर ऐसे केन्द्र थे जहां शायद हम बिना पिस्तौल, बंदूक चलाये नहीं जा सकते थे। वहां हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे। नकल रोकी है। प्रतापगढ़ का उदाहरण मैं बताऊं। प्रतापगढ़ में हमारे एक डी०आई० ने जो व्यक्ति नकल कर रहा था उस को रोका। उन को मारापीटा गया। उसी दिन खुशकिस्मती से मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने यह कहा कि अगर वास्तव में घटना घटी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती मैं प्रतापगढ़ से हटने वाला नहीं हूं। इससे पुलिस वालों को बड़ा सतर्क होना पड़ा और मैं समझता हूं कि रात भर गिरफ्तारी हुई। दण्ड मिला। ऐसी घटनायें छुटपुट हुई हैं। कहीं पर आगजनी भी हुई है। तोड़-फोड़ हुआ है। तीन-चार केन्द्र में आदेश कर दिये गये हैं कि फिर से परिक्षायें ले ली जायं ताकि किसी विद्यार्थी का नुकसान न हो।

यह सत्य नहीं है कि पहली बार बोर्ड के इतिहास में केन्द्र बदले गये। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। कई हजार हमारे कन्द्र हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बोर्ड के मेम्बर हैं। फरवरी के महीने में यह तय किया गया कि परीक्षक कौन होंगे, कहां पर सेन्टर होंगे। 22 मार्च को परीक्षायें शुरु हो गयीं। 15,000 सेन्टरों में से केवल 37 सेन्टरों का स्थान बदलना पड़ा। बाकी सभी सेन्टरों पर परीक्षायें हुई। यह पहली बार नहीं हुआ है। मुख्य मन्त्री जी का लड़का भी इन्सान का लड़का है। जो नियम और कानून हम पर और आप पर लागू होते है वहीं कानून उस पर भी लागू होते हैं। मात्र इसलिए कि किसी उच्चपदस्थ का वह लड़का है कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। जो कानून था, जो साधारण प्रक्रिया थी, माननीय तोमर जो वकील हैं जानते हैं, जो नेचुरल जस्टिस था उसका पालन किया गया। उच्च पदस्थ का लड़का होने के नाते किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने की चेष्टा नहीं की गयी। हजारों सेन्टर बदले जाते हैं एक वह भी बदला गया। कहीं पर असुरक्षा की भावना से, कहीं पर जान-माल के खतरे से सेन्टर बदले गये। एस०एस०पी० की रिपोर्ट पर, डी०एम० की रिपोर्ट पर हमें आधारित होना ही पड़ेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मुख्य मन्त्री जी के लड़के की दरख्वास्त आप के पास कब पहुंची परीक्षा के पहले या बाद में...

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इस का उत्तर दिया जा चुका है। 16 तारीख को दरखास्त आई। 22 मार्च को परीक्षायें शुरू हो गई थी मैं पहले ही प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इसका पृष्ठपोषण अब न करें तो उचित होगा। माननीय तोमर जी ने एक बात कही है जो बहुत अच्छी है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय मन्त्री पहले हम लोगों को सुन लें तब उत्तर दें। उनको बाद में भी काफी समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

तोमर जी ने जो आपत्तियां उठाई हैं पहले मन्त्री जी उनका उत्तर देंगें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

52 में आप देखेंगे कि समय को सीमित करने की पावर भी आपको है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह चर्चा प्रारम्भ हुई 6 बज कर 15 मिनट पर 7·15 मिनट तक चर्चा चल सकती है। लिहाजा अभी तो समय है।

श्री कलाश नाथ सिंह--

एक बात महत्वपूर्ण तोमर साहब ने कही। उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो सेक्रेसी ऐक्ट की बात है तो हमारे पेपर्स सीक्रेसी एक्ट में आते हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। बम्बई में सजा हुई। यहां सी०आई०डी० की इंक्वायरी हो रही है। अब अगर अधिकारियों का हाथ इसम है तो यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जायगा, उनको सजा दी जायगी चहे वह बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। मुझे वह सारा पता देंगे क्योंकि इसका पर्दाफाश होना ही चाहिये। तोमर जी अगर उनका नाम बतलायेंगे तो प्रदेश के उन अधिकारियों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, यह सामूहिक नकल और पर्चा आउट होना कोई नई बात नहीं है। छूरे ले कर एग्जामिनेशन हाल में जाना, तमंचे ले कर जाना, बन्दूकें ले कर जाना साधारण बात है और इसके कारण आज कोई भी अध्यापक इंविजिलेशन के लिय तैयार नहीं है। आपन उड़न दस्ता रख दिया, पुलिस का भी इंतजाम कर दिया लेकिन वही पुलिस वाले बाहर से पर्चे भिजवा रहे हैं। तो यह पर्चे आउट होना, सामूहिक नकल होना, हिंसात्मक घटनायें होना इसके मूल कारण म जब तक आप नहीं जायगे तब तक आप इसे रोक नहीं सकेंगे चाहे सी०आई०डी० की इंक्वायरी करवा लीजिये या कुछ भी कर दीजिये, आपकी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा चरमरा गया है, यह संकट गहरा हो गया है। मैकाले ने जिस ढंग की शिक्षा पद्धति देश में जारी की थी उसका बुनियादी काम यह रह गया था चाहे कृषि वाले हों, जनता पार्टी वाले ह। आपकी शिक्षा नीति दिशाहीन है। बाबूगीरी के लिये मैट्रिक बाबूगीरी के लिये इन्टरमीडियेट तथा चपरासियों और ड्राइवरों आदि के लिये मैट्रिक और इन्टरमीडियेट चाहिए। लिहाजा किसी न किसी तरीके से या नकल करके वे मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट ले लेना चाहता है।

मान्यवर, यह देश की बदकिस्मती रही है कि आज तक जितने भी शिक्षा मन्त्री हुये हैं माननीय अब्दुल कलाम आजाद से लेकर पी० सी० चुन्दर तक, हर शिक्षा मन्त्री ने यह कहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वह निकम्मी है। उसमें आमूल परिवर्तन करना चाहिए लेकिन आज तक किसी भी शिक्षा मंत्री ने आमूल परिवर्तन नहीं किया है। मान्यवर, नकल करने की यह बीमारी सी० आई० डी० की इन्क्वायरी और पुलिस दस्तों से दूर नहीं होगी बल्कि उसमें बुनियादी परिवर्तन करना होगा। हमारा जो बोर्ड है वह इतना बड़ा है जिसमें लाखों विद्यार्थी एपियर होते हैं। इतना बड़ा बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा। इसको रखने की क्या आवश्यकता है। इसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। आप जानते हैं कि बहुत स विद्यार्थी अनफेयर मीन्स में पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर इन्क्वायरी चलेगी। महीनों बोर्ड के अन्दर केसेज पेंडिंग रहते हैं और इसी वजह से कइयों के रिजल्ट विदहेल्ड भी रहते हैं। यह शारीरिक रूप से एक समस्या बन जाती है कि एक निश्चित समय तक इन्क्वायरी नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट में रिट भी होता है जो कि फिर वर्षों तक मामला पेंडिंग में पड़ जाता है। यह भी हो सकता है और कोई यह होल्ड करे कि लड़के ने अनफियर मीन्स इस्तेमाल नहीं किया फिर भी उसके दो साल बरबाद हो जाते हैं। इसके लिये शिक्षा नीति बदलनी होगी जो आपके बस की बात नहीं है, वह

पूरे देश का मामला है। लेकिन आपने जो बकेद हाथी पाल रखा है उसको तोड़ दीजिये और छोटे-छोटे दो-तीन बोर्ड गठित कर दीजिये। आपके आज की हाई स्कूल का स्टेन्डर्ड वह है जो किसी जमाने में आठ प्राइमरी का था। जो बकवास हम प्राइमरी में पढ़ते थे वह आज का इन्टरमीडियेट का विद्यार्थी नहीं कर सकता है। इसलिये जब वे इसे नहीं कर सकते हैं तो फिर उसे खतम कीजिये। परीक्षार्थी का विकेन्द्रीकरण कीजिये तब आपका नियंत्रण हो जायेगा।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नकल करना, पेपर आउट होना या केन्द्र बदलना ये तीनों चीजें आपस में मिली-जुली हैं। गांधीवादी विचार धारा के पोषक हमारे मुख्य मंत्री अवश्य अपने को कहते हैं लेकिन गांधी जी का लड़का ही लाल गांधी, उनसे इसलिये नाराज हो गया था कि उन्होंने इसको उस स्कूल में नकल नहीं करने दी जिस स्कूल को वे स्वयं संचालित करते थे। मान्यवर, जब केन्द्र बदला जाता है तो उसके कुछ विशेष कारण होते हैं या उसके अभिभावकों का ट्रान्सफर आदि होता है तब केन्द्र बदला जाता है। क्या मुख्य मन्त्री जी का तबादला बस्ती हो गया था जिसकी वजह से उसका सेन्टर बदला गया। 16 तारीख को केन्द्र बदला जाता है और 18 तारीख को स्वीकृति मिलती है। दो महीने से केन्द्र बदलने की कोशिश कर रहे थे तो क्यों नहीं किया गया। आश्चर्य की बात है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र एक सप्ताह पूर्व केन्द्रों पर पहुंच जाते हैं और एक सप्ताह पूर्व ही केन्द्र भी बदल जाना चाहिए। 22 तारीख को केन्द्र बदले गये, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद 24 तारीख को बदले गए जहां पर कि प्रश्न-पत्रों की संख्या पूरी नहीं थी। मेरठ में प्रश्न पेपर फाड़े गए जो एक गड्डी 10 प्रश्न-पत्रों की होता है वह फेंक दी गई वहां से वह विशाल गैस पेपर और सरस्वती गैस पेपर जहां छपते हैं। वहां पहुंच गई। उनके पास पूरा स्टाक था। एस0 पी0 ने छापा मारा तो सील करवा दिया और ताला लगा दिया लेकिन वह सील और ताला भी तोड़ दिया गया, उसे रोका नहीं गया। मैं स्वयं इस बात को जानता हूं। मेरा पुत्र खुद क्वेश्चन पेपर लेकर आया था। इस तरह पेपर आउट होते हैं।

केन्द्र बदलने के भी कारण होते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी गांधीवादी हैं तो यह जो करप्शन सेंटर बदलने में किया गया यदि बिना उनकी जानकारी के किया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ उन्हें कदम उठाना चाहिए आखिर यह बिना उनकी जानकारी के क्यों किया गया या फिर वह स्वयं पर जिम्मेदारी लें और स्वयं पर ऐक्शन लें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तीन-तीन मिनट दे रहा हूं। इसमें सब माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायगा।

*श्री मूलचन्द ठाकुर (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, परीक्षा में जो नकल होती है उसकी शुरू से तैयारी होती है। जिस समय प्रार्थन-पत्र बोर्ड को दिए जाते हैं उसी समय से नकल की तैयारी हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मूल चन्द ठाकुर]

जाती है। छात्र यह जानते हैं कि किस सेंटर से नकल हो सकती है उसी से फार्म भरने चाहिए। उसी आधार पर फार्म भरे जाते हैं। जब उन सेंटर में उनका नम्बर नहीं आता है तो वह बोर्ड से कोशिश करते हैं कि उनका सेंटर चेंज किया जाय और बोर्ड से उस जगह पर उनका सेंटर कर दिया जाता है।

नकल की सूचना बोर्ड को दी जाती है फिर भी सेंटर तबदील नहीं किये जाते हैं। यह कह कर छोड़ दिया जाता है कि हमारे पास इतनी संस्थायें नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेंटर निर्धारित किए जाएं उन पर देख लिया जाय कि वहां पर नकल होती है या नहीं। हमारे सामने उदाहरण हैं जहां के सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट की है कि यहां पर नकल नहीं रोकी जा सकती है लेकिन फिर भी सेंटर रख दिए जाते हैं। जैसे मेरठ के दोकट कालेज है वहां के प्रधानाचार्य ने कहा कि यहां पर नकल नहीं रोकी जा सकती है लेकिन फिर भी सेंटर वहां कर दिया गया।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके बोर्ड का जो इंस्पेक्टिंग स्टाफ है उनके ऊपर आप कड़ाई बर्तें तो नकल रोकी जा सकती है। जिस वक्त परीक्षा होती है उस वक्त आदेश पहुंच जाते हैं कि फलां-फलां इंस्पेक्टिंग स्टाफ जाय लेकिन वह देहातों में जाने में एवोइड करता है बल्कि शहरों तक ही अपने को सीमित रखते हैं और वहीं हेरफेर करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिला विद्यालय निरीक्षक भी मिले होते हैं और वह इसमें सहायक होते हैं। जहां पर नकल के अड्डे हैं वहां पर फार्म विद्यार्थियों को सप्लाई करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और तब सेंटर निर्धारित करें।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा शिक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है गारजियन भी नकल करवाते हैं उस पर भी आप नजर रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री मूलचन्द ठाकुर—

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ने जो पुलिस का इंतजाम किया है वह ठीक काम नहीं करते हैं उसको न एस० पी० मानता है और न दरोगा मानता है। बल्कि वह नकल कराने में सहायता करते हैं। वह कहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए हैं। पुलिस वाले आपके जी० ओ० का कम्प्लाइंस ठीक से नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा वह कहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए हैं न कि नकल रोकने के काम के लिए। इस पर भी दृढ़ता से पालन कराया जाय तो नकल रोकी जा सकती है वर्ना नहीं।

श्री मोती लाल बेहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री की तड़क-भड़क व हाजिर जवाबी से आशावान हूं कि नकल का काम रुकेगा। मान्यवर, नकल वैसे भी किसी राष्ट्र के लिए नुकसानदेह और घातक है, क्योंकि यह बच्चे आगे अधिकारी बनेंगे, बड़े-बड़े

अफसर होंगे, लेकिन इनके पास ज्ञान कुछ नहीं होगा। मैं नेगी जी के विचार से पूर्णतया सहमत हूं। मैं बी0 ए0 तक के लोगों को देखता हूं, जिनको अच्छी हिन्दी तक का ज्ञान नहीं है।

मान्यवर, यह नकल होती क्यों है ? मेरा निश्चित मत है कि इसमें अधिकारीगण का भी हाथ रहता है, वे भी मिले रहते हैं। अगर यह मिले नहीं रहते, तो जब सेन्टर्स कायम करते हैं, उस समय कम से कम यह ध्यान रख सकते हैं कि किस सेन्टर पर किस वक्त कितनी नकल हुई थी, अब उसको पुनः सेन्टर बनाएं या नहीं ? मेरे क्षेत्र में एक विद्याभवन इंटर कालेज है, वहां के प्रिंसिपल का लड़का उसी स्कूल में पढ़ता था और गलत तरीके से उस प्रिंसिपल ने अपने लड़के को इम्तहान अपने ही स्कूल म दिलाया और नकल कराया और नकल करते वह पकड़ा भी गया। किन्तु फिर भी प्रिंसिपल का वह लड़का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतना ही नहीं वहां पर दो-दो, ढाई-ढाई सौ रुपये लेकर प्रिंसिपल ने अन्य लड़कों को नकल करने दी और वे कुछ छात्र पकड़े भी गये, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर कुछ तो इसका कारण है। इसके लिए लिखा गया, लिखने पर तो अधिकारी रोकथाम कर सकते हैं ? लेकिन मैं आपको बड़े दुःख के साथ सूचित करता हूं कि फिर इस बार वह सेन्टर बना दिया गया। मैंने लिखा था कि इसको सेन्टर बनाना बहुत अनुचित और गलत है। जब इम्तहान हो गया तो उसकी सूचना मिली और वह सेन्टर बकायदा कायम रहा। तो यदि शिक्षा मंत्री अपने विभाग में कुछ करना चाहते हैं तो वह अपने अधिकारियों की ओर पूरा ध्यान दें। मंत्री जी इनकी जब तक जवाबतलबी नहीं करेंगे, कोई रोकथाम होने वाली नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह चर्चा एक ऐसी बुनियादी चर्चा है, जो देश और प्रदेश के भविष्य से जुड़ी हुई है। यह मेरठ में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक भीषण बीमारी बनकर हमारे सबके सामने खड़ी हो गई है और कोई स्कूल या कालेज आज इससे बचा नहीं रह गया है। यदि बचा है तो उसे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखने पाता है और न अधिकारी उसकी सहायता करते हैं या इज्जत करते हैं। मैंने स्वयं डिप्टी डायरेक्टर, मेरठ, व डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल, मेरठ को फोन किया था कि फैज-ए-आम इंटर कालेज, मेरठ का प्रिंसिपल जो है वह हिन्दी हाई स्कूल नहीं है, वह प्रिंसिपल नहीं हो पायेंगे। इन्होंने पहले हिन्दी से हाई स्कूल परीक्षा के लिए अपना किठौर सेन्टर कराया, वहां पर नकल करने की तालमेल नहीं लगी तो फिर किना नगर सेन्टर कराया और वह उसका क्षेत्र है। किनानगर को सेन्टर कराकर नकल कराई जिसकी शिकायत मैंने स्वयं अफसरान से की कि उस कालेज में हर साल नकल होती है। उनको मैंने यह बताया कि प्रिंसिपल की जगह दूसरे फलां-फलां आदमी पर्चा साल्व करने के लिए बैठे हैं। वह उसको जाकर देखें। मौके पर कुछ लोग गये, अधिकारी तो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों की उनके साथ सांठ-गांठ थी। टीचर्स और दूसरे लोग गये, लेकिन कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई। हमारे यहां इस मामले में दो पब्लिशर पकड़े गए। (1) स्वतंत्र पब्लिकेशन, मेरठ, (2) विशाल मेरठ, मेरठ। लोग पकड़े गये, उनके खिलाफ डी0 एम0 और शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में सील लगाई गई, लेकिन चूंकि वे मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदार थे, मुख्य मंत्री का टेलीफोन गया और अधिकारियों की मौजूदगी में ही

[श्री मन्जूर अहमद]

वह सील फिर तोड़ी गई । आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, (न उन्हें गिरफ्तार किया गया, न जेल भेजा गया) । मैं चाहूंगा मंत्री जी ने चूंकि एक ऐसी बात कह दी, मैं तारीफ नहीं करना चाहता, एक समाजवादी नौजवान मंत्री से इस प्रकार की आशा नहीं थी, माननीय बनारसी दास जी का लड़का, लखनऊ के आस-पास इतने कालेज हैं, इनमें परीक्षा क्यों नहीं दिला पाये, बस्ती ही क्यों भेजा गया वह लखनऊ में रहते हैं, अपने बच्चों का इम्तहान बस्ती में दिलाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा हो गई है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मुझे वह बात मुनासिब नहीं लगी । यहां से कहां बस्ती पहुंच गए । अगर नकल करने के लिए नहीं गए तो किसलिए गए ।

(श्री नरेन्द्र सिंह का नाम पुकारा गया ।)

मेरा सुझाव यह है कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए अगर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो यह नहीं रुकेगी । डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, मेरठ न मिलकर, उनके कर्मचारियों ने मिलकर 20 सौ केन्द्रों पर नकल कराई है । पैसा कमाया है । पहले से पेपर आउट होता है । बाकायदा पता चलता है । अधिकारियों के खिलाफ आप जांच करें और कार्यवाही करें । अगर यह बीमारी खत्म नहीं होती है तो देश और प्रदेश अच्छी राह पर नहीं चल सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि आप नये ढंग से इस नकल की बीमारी को रोकने के लिए ठोस कदम उठायेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इस बात का बड़ा दुःख है कि मेरठ शहर का नाम इस पेपर्स की लीकेज और मास कापिंग में बहुत बदनाम हुआ है । वैसे मेरठ स्वतन्त्रता की क्रान्ति का जनक रहा है । लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली के पेपर्स ने कई बार लिखा कि मेरठ मास कापिंग का पैराडाइज है । दो बातें श्री सोहनवीर सिंह ने विशेष रूप से कही हैं । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि लीकेज हुआ यह सत्य है । यह कहना कि 90 प्रतिशत, 60 प्रतिशत हुआ है, गलत है । वह शत प्रतिशत हुआ है । दूसरे यह भी सत्य है कि मंत्री जी को इसकी बहुत विस्तार से सूचना है । इसकी जांच हो रही है । जो लोग दोषी हैं, जो प्रधानाचार्य या गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, इसको पूरा विश्वास है ।

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । मास कापिंग पूरे मेरठ डिवीजन में हुई उसका क्या कारण है ? बोर्ड की परीक्षाओं के पहले मेरठ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रारम्भ हुई 5 मार्च को समाप्त हुई । इसमें मास कापिंग हुई । उसके बाद कल्पना नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के पास पांच-पांच लोग बैठे हैं, एक लिख रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा किताबें इकट्ठी कर रहा है । तीन घंटे का पेपर छः घंटे में दिया जा रहा है । इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है पूरा विवरण । इसका पूरा प्रभाव बोर्ड की परीक्षाओं पर पड़ा । विद्यार्थियों का नारा था, मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दीपचन्द जी हैं, "वायस चांसलर दीपचन्द, मेरठ यूनिवर्सिटी दीपचन्द"।

यह वास्तव में नारा था। बहुत आराम से नकल हुई। कोई रोक नहीं सकता था। कुछ प्रोफेसर्स ने वाइस चांसलर को लिखा कि परीक्षा बन्द कर दें। वाइस चांसलर ने उन प्रोफेसर्स को जवाब में एक सर्कुलर भेजा 20 फरवरी को—एंग्जामिनेशंस कैन नाट बी स्टाप आन अकाउन्ट आफ मास कापिंग। श्रीमन्, सारे प्रोफसर्स कापी बांट कर बाहर बैठ गए। इस सर्कुलर के बाद मेरठ कमिश्नरी के 53 डिग्री कालेजों में खुली नकल हुई। प्रोफेसर्स बाहर चले गए। विद्यार्थियों का बिलकुल इसमें दोष नहीं है। सबसे पहला दोष अधिकारियों का है, जो कुलपति हैं उन्होंने ऐसा आदेश दिया। प्रोफेसर बाहर निकल कर बैठ गए। एस0 पी0 को पूरे जनपद म किसी एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की कि मास कापिंग हो रही है। मैंने नियम 52 में मेरठ विश्वविद्यालय के बारे में दिया था। यह नकल जघन्य अपराध है और इसके लिए सारे प्रोफेसर जिम्मेदार हैं। जब खुले आम नकल हो रही है तो पैरेन्ट्स ने भी खुले आम छूट दे दी। मेरा भी लड़का एक्जामिनी था। उसने बताया कि नकल हो रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े उत्साही व्यक्ति हैं और उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं। जब उन्होंने शिक्षा के बजट पर अपना भाषण दिया था तो उन्होंने वेदों तक की बात कह दी थी और योग के बारे में भी चर्चा की थी। मैं कहूंगा कि आपने उन विद्यार्थियों को क्या दिया है, परीक्षा देने के बाद उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। जैसा माननीय नेगी जी ने कहा कि जब तक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने जा रहा है, केवल लाइन लगाने से काम चलने वाला नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नकल की समस्या बड़ी गम्भीर है। प्रदेश में नकल करने की मात्रा व्यापक और सामूहिक स्तर पर बढ़ती जा रही है। जो इनविजलेटर्स नकल रोकना चाहते हैं वे हिन्सा के शिकार होते हैं उनको एक्जामिनेशन हाल ही में छुरी भोंकी जाती है, स्कूल से निकलते ही मारा और पीटा जाता है। कई अध्यापकों ने इनविजलेशन कार्य से इनकार कर दिया। जो ईमानदार अध्यापक थे उन्होंने इनविजलेशन करने से मना कर दिया। शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से सोचें और इसमें मौलिक परिवर्तन करें। सी0 आई0 डी0 की जांच तथा दूसरी जांचों से कुछ काम चलने वाला नहीं है। टीचर बरखास्त हो जाये, सेन्टर समाप्त कर दिया जाय इससे कोई हल होने वाला नहीं है। आप समस्या को मौलिक ढंग से सोचे। सही माने में दोष है वर्तमान शिक्षा प्रणाली परीक्षा पद्धति और एक्जामिनेशन बोर्ड का। बोर्ड का इतना बड़ा आकार है उसके कारण भी यह समस्या है।

श्रीमन्, माननीय तोमर जी और नेगी जी की बात का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप परीक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन करें जिससे नकल को बन्द किया जा सके। इस समस्या पर गम्भीरता के साथ मनन करना चाहिए। और कोई विकल्प निकालना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बड़ी गुटबन्दी है। मैं निवेदन करूंगा कि जो इस सदन के माननीय सदस्य शिक्षा में रुचि रखते हैं तथा प्रदेश के अच्छे शिक्षाविद् जो हैं उनकी एक सामूहिक समिति का गठन किया जाये जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दूसरा विकल्प क्या हो सकता है और आगामी सत्र से उसका प्रारम्भ किया जाये। हमारा जो माध्यमिक बोर्ड है उसका आकार जो इतना बड़ा है वह भी एक समस्या है, उससे सारा कन्ट्रोल हो नहीं पाता है। आप उसको कई भागों में विभक्त कर दें जिससे वह कन्ट्रोल करने में सक्षम हो सके।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

मान्यवर, चर्चा देर से हो रही लेकिन दुरुस्त हो रही है। इसके लिए मैं माननीय तोमर जी को बधाई दूंगा। जब तक मान्यवर, इस देश में नकल और शिक्षा में भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक डिग्री मात्र प्राप्त करके रोजी कमाने का ध्येय रहेगा, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है। यह एक बुनियादी बात है। मान्यवर, यह नकल जूनियर स्कूल्स, हाई स्कूल्स और इन्टरमीडिएट कालेजज में नहीं हो रही है यह प्रायमरी क्लासेज से आरम्भ हो जाती है। प्रायमरी स्कूलों के अध्यापक स्कूलों में नहीं जाते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तो स्वयं पेपर बनाकर और प्रश्नों को हल करके दे देते हैं। तो यह नकल आरम्भ से ही होती है।

मार्केट्स में 8-10 साल पहले कभी इतने गेस पेपर्स नहीं मिलते थे, कोई 1-2 मिल जाते थे। आज हर लड़का अपने गार्जियन को प्रेस करता है और उनसे पैसे मांगता है कि उसे गैस पेपर्स लाने हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि पर्चे आउट होकर उन गैस पेपर्स में छपते हैं। माननीय मंत्री जी जिस दिन मेरठ में इस मामले में बड़ी तेजी दिखा रहे थे मैं भी मौजूद था। लखनऊ में यहां पर कोचिंग क्लासेज चलती हैं, उनमें लड़कों को इम्तिहानों के दिनों में रात को बुलाया जाता है और परीक्षा का जब एक घंटा रह जाता है तब उनको छोड़ा जाता है। हम कई घरों पर जाकर देखा और पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके बच्चे कोचिंग क्लासेज में गए हुए हैं और वे वहीं से सीधे ही स्कूल में परीक्षा देने चले जायेंगे। आज तो हालत यह है कि अगर सेन्टर्स पर दरोगा या पुलिस के सिपाही नहीं जाते हैं तो नकल को नहीं रोका जा सकता है। कहीं-कहीं पर तो अध्यापक स्वयं पैसा लेकर नकल करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि इन गैस पेपर्स का चलन बिलकुल ही बन्द किया जाय तभी बच्चों में यह अहसास होगा कि मार्केट में गैस पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन किया जाय। आशा है माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर अवश्य ही विचार करेंगे ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

सब सुझाव आ जायेंगे, आप 15 मिनट का ही समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या समय बढ़ाना उचित रहेगा ?

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

यह जो गेस पेपर्स की बात सदन में चल रही है उसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि पेपर जो आउट हुआ यह उससे बात सिद्ध नहीं हुई। मान्यवर,

यह दलील जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और जानबूझ कर यह सिद्ध करना चाहते हों कि यह प्रश्न पेपर आउट नहीं हुए हैं बल्कि जो गैस पेपर्स निकलते हैं उनमें कुछ परसेन्टेज ही सवाल होते हैं।

श्रीमन्, शिक्षा विभाग में माननीय मंत्री जी अगर सचमुच में सुधार करना चाहते हैं तो किसी को बचाने का ख्याल वह अपने मन से निकाल दें। उसी दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि पेपर आउट किये गये अगर पैसा लेकर प्रदेश के तमाम अंचलों में उन्हें बेचा गया। यहां तक हो रहा है कि कापियां बदल दी जाती हैं। यह भी होता है कि जो लड़के ट्यूशन से नहीं पढ़ते वे पास नहीं हो सकते। मजबूरन बच्चों को ट्यूशन लगाना पड़ती है। वही बच्चे जब स्कूल और इन्टर में जाते हैं तो मास्टर लोग उनको नकल करवाते हैं। इसलिए इन सब बातों को दूर करने के लिये मंत्री जी विचार करें और कोई व्यवस्था करें।

श्री सोहनवीरसिंह तोमर--

मैं अधिक समय न लेकर यही कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री जी विचार करें। जिन लोगों की दिलचस्पी शिक्षा में है, जो शिक्षाविद् हैं, उनकी आप एक एडवाइजरी कमेटी बना दें ताकि यह जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये वह कोई ठोस सुझाव दे सकें। मंत्री जी, ने जो पहले वक्तव्य दिया उससे मुझे कुछ संतोष हुआ लेकिन वे यह समझें कि यह दर्द उसका व्यक्तिगत नहीं है, सारे समाज का है और समाज के लिये यह एक कोढ़ बन गया है। इसलिए मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस पर विचार करें और एक समिति का गठन करें।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, कोरम नहीं है, कोरम हो जाये तब मंत्री जी बोलें।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

बाबा राम अधार यादवह (जिला इलाहाबाद)--

शिक्षा जो है समाज की, देश की रीढ़ है। सब जगह के भ्रष्टाचार को तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा के अन्दर भ्रष्टाचार रह गया, तो काम नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोरम नहीं है, तो इसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाय। इसका समय और बढ़ा दिया जाय, कोरम है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम नहीं है, तो कैसे हो सकता है, बाबा जी।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, कोरम नहीं है, डिकोरम है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक नियम के अन्तर्गत कोई एतराज न करें तब तक।

बाबा राम अधार यादव--

कोरम नहीं है। मेरा निवेदन है कि समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या नियम है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

कोरम के बारे में नियम हमको बदलना पड़ेगा । जैसा पहले था कि नियम 51-52, जैसे सरकारी कार्य के लिए, तो ये अपना कोरम बनाये रखते हैं और जहां देखा कि ये कहीं ये प्रश्न पूछने वाले हैं, तो कोरम हटा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह नियम समिति के सामने लिखकर भेज दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय कोरम नहीं है । इस समय आपसी बातचीत होगी । यह लिखा नहीं जायेगा ।

बाबा राम आधार यादव--

[× × ×]

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय उप मुख्य मंत्री जी तो आ गये । उनकी जो शिव जी की बराती है वह कहां गये ।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

और लोग आ रहे हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायगा ।

(घंटी बजती रहने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं । इसे अब स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

चर्चा का समय समाप्त हो गया है । कोरम के न होने के कारण अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
6 जून 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

× × × [यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 598 प)

प्रश्न से सम्बन्धित सूचना--

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत शारदा बैराज के दाहिने पार्श्व पर दो दरों में सिल्ट एक्सलेटर तथा पोषक नहर के कि० मि० 0·3 पर एक सिल्ट इजेक्टर का निर्माण कराया गया है। सिल्ट एक्सक्लूडर मुख्य बैराज का ही अंग हैं और उस पर 32·66 लाख रुपये व्यय हुआ। सिल्ट इजेक्टर जो अलग संरचना है, कुल व्यय 70·25 लाख रुपये हुआ।

यह सही नहीं है कि सिल्ट एक्सक्लूडर तथा सिल्ट इजेक्टर ने आज तक कार्य नहीं किया। शारदा सहायक पोषक नहर जून, 1974 में पहली बार चलाई गई और तब से आज तक सिल्ट एक्सक्लूडर संदैव कार्य करता रहा है।

पोषक नहर के अपनी पूरी क्षमता के 70 प्रतिशत या अधिक से चलाये जाने पर ही सिल्ट इजेक्टर का चलना परिकल्पित था। अभी तक पोषक नहर अपनी पूर्ण क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत ही चलाई गई। वर्ष 1978 में पोषक नहर को 11,000 क्यूसेक के अधिकतम निस्तार से चलाया गया। पोषक नहर के लम्ब छिन्नक में कुछ संशोधन के फलस्वरूप सिल्ट इजेक्टर को नहर की 50 प्रतिशत क्षमता पर ही चलाना संभव हो सका है और वर्ष 1978 से इजेक्टर चलता रहा है।

इन कार्यों का निर्माण केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ एवं सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की की संस्तुतियों के अनुसार किया गया है उनके निर्माण में राज्य सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 616 पर)

लखनऊ में 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत वयक्तिक सहायक, मुख्य सहायक तथा अधिष्ठान लिपिकों की सूची

क्र०-संख्या	नाम	पदनाम
	सर्वश्री--	
1	देवेन्द्र सिंह	वैयक्तिक सहायक (प्राविधिक)
2	कैलाश नाथ रायजादा	वैयक्तिक सहायक (अप्राविधिक)
3	आर० सी० दीक्षित	वैयक्तिक सहायक (अप्राविधिक)
4	रमा शंकर सक्सेना	मुख्य सहायक
5	राज्यपाल, झांजी	,,
6	आनन्द प्रकाश	,,
7	अमर नाथ कौशिक	,,
8	कु० ई० कैलव	,,
9	बाल कृष्ण मित्तल	,,
10	अमर नाथ भारती	,,
11	कु० सिंधी नथानी	मन्डलीय मुख्य सहायक
12	बी० सी० भाटिया	मुख्य सहायक
13	जगदीश प्रसाद सक्सेना	,,
14	महेन्द्र नाथ चतुर्वेदी	,,
15	बी० वी० निगम	,,
16	रमाशंकर तिवारी	,,
17	त्रिदेश्वर दयाल	,,
18	हमीद अहमद	,,
19	एम०एच०रिजवी	,,
20	बी०पी०विश्वास	,,
21	कृष्ण शुक्ल	मन्डलीय मुख्य सहायक
22	कन्हैया लाल शुक्ल	,,

विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम
23	प्रेम नाथ निगम	मुख्य सहायक
24	धर्मेन्द्र बहादुर	वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
25	काशी प्रसाद श्रीवास्तव	,,
26	महेश प्रसाद सक्सेना	,,
27	लोकेश्वर सावंत	,,
28	हरदेव प्रसाद तिवारी	,,
29	चन्द्र भान सिंह	,,
30	चार्ल्स इग्नेश	,,
31	रमेश प्रसाद श्रीवास्तव	,,
32	अतीक अहमद	,,
33	इम्तियाज अहमद सलोनी	,,
34	छवि लाल त्रिपाठी	,,
35	उमा शंकर गर्ग	,,
36	विशन पाल सिंह	कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
37	हरीश चन्द्र श्रीवास्तव	कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
38	राम बिलास	,,
39	राम आसरे यादव	,,
40	राम प्रकाश बंसल	,,
41	वीरेन्द्र सिंह	,,
42	मुहम्मद सिद्दीक	,,
43	शिव नाथ राम	,,
44	बाबा दीन वर्मा	,,
45	महेश प्रसाद शुक्ल	,,
46	सुनिर्मल दास गुप्ता	,,
47	शिव सरन श्रीवास्तव	,,
48	मोहम्मद रफीक	वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
49	के0एस0 पचौरी	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम
50	आर० एन० मिश्रा	वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
51	ईश्वरदीन अवस्थी	,,
52	राज कुमार श्रीवास्तव	,,
53	शिव सुन्दर वर्मा	,,
54	श्री राम साहू	,,
55	आनन्द कुमार निगम	,,
56	कु० माया अडवानी	,,
57	बृज किशोर श्रीवास्तव	,,
58	हरी राम वर्मा	,,
59	कृष्ण चन्द्र सक्सेना	,,
60	नरेन्द्र नरायन मिश्रा	कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक
61	जावेद अली	,,
62	बाबू राम सिंह	,,
63	राकेश कुमार	,,
64	परमानन्द चतुर्वेदी	,,
65	अवध लाल	,,
66	मोहम्मद अनीस खां	,,
67	श्रीमती सरोज पाण्डे	,,
68	दामोदर पाठक	,,
69	शिव शंकर लाल	,,
70	राजेश्वर प्रसाद मिश्र	,,
71	रमेश दत्त शर्मा	,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 620 पर)

संलग्न सूची

बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र तथा मार्ग का नाम	वितरित किये गये खाद्यान्न की मात्रा
165--हरैया विधान सभा क्षेत्र--	टन
1--भड़रिया--रोहदा--छपिया मार्ग	46.73
2--मसकिनवा--सिकन्दरपुर मार्ग का छूटा भाग	41·11
3--सिगनारी--मेढ़ाये कोहराय--जोतीपुर बेलभगिया मखोड़ा--गहूघाट--बिसेसरगंज मार्ग	8·00
166--कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र--	
1--टिनिच--कप्तानगंज कि0मी0 4 से आगे रवई नदी तक	42·30
2--पैकोलिया से सिलाघाट मार्ग	21·42
3--दुबौलिया से कटरियाघाट मार्ग	26·00
168--बस्ती विधान सभा क्षेत्र--	
1--सोनूपुर--रामपुर--देवरिया मार्ग	शून्य
2--रामपुर--बनकटी मार्ग	32·18
169--रामनगर विधान सभा क्षेत्र--	
1--रुदौली भानपुर का छूटा भाग	25·47
170--डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र--	
1--सहियापुर--सिगार जोत घाट मार्ग 13 से 20 कि0मी0 तक	23·95
2--सोहरा--त्रिलोकपुर मार्ग	45·45
3--साहपुर--धोवेहा मार्ग	9·36
4--डुमरियागंज चन्द्रदीपघाट मार्ग का छूटा भाग	41·92
5--डुमरियागंज पिरैला मार्ग का शेष भाग	शून्य
6--भड़रिया--बढ़नी--चाफा का मार्ग	शून्य

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मार्ग का नाम	वितरित किय गये खाद्यान्न की मात्रा
171--इटवा विधान सभा क्षेत्र--	
1--साहपुर--घोवहा मार्ग	शून्य
2--झकहिया--कठैला--भदरहवा होरिलापुर कि0मी0 7 से आगे	64·37
172--शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र--	
1--देवरुआ से पंचपेड़ुवा मार्ग	40·91
2--चिल्हिया--परैयाघाट मार्ग का छूटा भाग	63·60
173--नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र--	
1--लोटन--नैपाल सीमा मार्ग	27·89
174--बांसी विधान सभा क्षेत्र--	
1--बांसी--धानी मार्ग कि0मी0 3 से आगे	80·77
175--खेसरहा विधान सभा क्षेत्र--	
1--रुधौली बखिरा मार्ग के कि0मी0 9 में ग्राम महुआर से रायठ हनुमानगंज	14·56
2--रुधौली--भानपुर मार्ग का छूटा भाग	
176--मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र--	
1--बखिरा--सहजनवा मार्ग का छूटा भाग	37·25
178--हैसरबाजार विधान सभा क्षेत्र--	
1--मेनसिर--मोलनापुर मार्ग	शून्य
2--घनघटा--बिड़हर घाट मार्ग	13·00

पी० एस० य० पी०--9 वि० सभा--28-6-79--835--(पी० डी०)

विधान सभा